राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का सातवां दिवस संख्या 5

बुधवार,
दिनांक 24 जनवरी, 1968

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.4 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(गृह, स्वायत्त शासन, सा. निर्माण, विद्युत्, विधि, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कारावास, चिकित्सा व पुरातत्व-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा !

कोटा-जयपुर रूट पर बस नं० आर० एस० एल० 1824 में अधिक सवारियां आदि के मामले

88. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 12-6-67 को कोटा से जयपुर चलने वाली आर. एस. एल. 1824 बस, जो कोटा से 5.30 बजे सायंकाल चली थी, 55 सीटर होते हुए भी 95 सवारियों से ओवरलोडेड थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस दिन एक यात्री गर्मी के कारण बेहोश हो गया था और सभी यात्रियों के चिल्लाने पर भी ड्राइवर व कन्डक्टर ने बस को रोका नहीं था ?

(3) क्या यह भी सही है कि ओवरलोड 95 सवारी वाली बस में टिकिट केवल 40 सवारियों के ही बनाये गये थे और बाकी यात्रियों से पैसे ले लिये थे और टिकिट नहीं दिये गये थे ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बस में जेठमल आत्मज कजोड नाम का केकडी निवासी व्यक्ति कोटा से देवली तक यात्रा कर रहा था और उससे कन्डक्टर नन्दलाल जैन ने 10 रु० 2 सवारियों के लिये थे किन्तु टिकिट नहीं दिया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि यात्रियों के बून्दी शहर में जोर जोर से चिल्लाने पर एवं कोतवाल बून्दी के कहने पर भी उक्त गाड़ी को नहीं रोका गया था ?

(6) क्या उक्त ड्राइवर-कन्डक्टर के खिलाफ कोतवाली बून्दी में मोटर व्हिकल एक्ट तथा 409 कारपोरेशन के धन के गबन के आरोप में कोई केस रजिस्टर किया गया है ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न यातायात विभाग से ताल्लुक रखता है। गलती से मेरे पास भेज

(श्री खेतसिंह)
दिया गया था इसलिये मेरे ख्याल से यातायात विभाग का जिस रोज टर्न होगा इसका जवाब दे दिया जायगा ।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : यह प्रश्न पिछली विधान सभा में दिया गया था''

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : यह तो गृह विभाग से ताल्लुक रखने वाला प्रश्न है ।

श्री फतहसिंह (ब्यावर) : सभी मंत्रि-मंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व है ऐसी हालत में जब उनके पास यह प्रश्न आ गया था तो उनको संबन्धित विभाग के पास भिजवा देना चाहिये था ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अगर गृह विभाग का यह प्रश्न नहीं था तो इसको ट्रान्सफर क्यों नहीं किया गया यातायात विभाग को ? यह काम सदस्य का नहीं है कि वह संबन्धित विभाग को भिजवायें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का खंड 2 है उसमें साफ है, एक यात्री गर्मी के कारण बेहोश हो गया था और सभी यात्रियों के चिल्लाने पर भी ड्राइवर व कन्डक्टर ने बस नहीं रोकी । यह साफ बताता है कि एक्सक्लूसिवली यह होम डिपार्टमेन्ट से संबन्ध रखता है ।

श्री खेतसिंह : अगर आप होम विभाग से चाहते हैं तो अगली टर्न पर मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न किस विभाग से संबन्धित है-होम या यातायात से दोनों इसके बारे में तय कर लें । छुट्टियों के बाद जब सेशन मिलेगा उस समय इसको फिर रख दूंगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): ऐसे सवाल अनेक बार आते हैं । यह तो सचिवालय की गलती है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! सचिवालय बड़ा सतर्क है इस बारे में ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मंत्री महोदय कहीं गलती से तो नहीं बन गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर ! एक बार अच्छा होता है मजाक ।

प्रश्न संख्या 89

अजमेर नगरपरिषद् में नाकेदारों एवं सहायक नाकेदारों के पद

89. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु.): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर नगरपरिषद् में नाकेदार कितने हैं और सहायक नाकेदार कितने हैं ?

(2) उक्त नाकेदारों और सहायक नाकेदारों में अनुसूचित जातियों के कितने कितने लोग हैं ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) 34 नाकेदार तथा 30 सहायक नाकेदार हैं ।

(2) चार हैं ।

श्री परसराम गंगाराम : क्या इन पदों पर नियुक्ति के लिये, अनुसूचित जातियों, के संबन्ध में जो रूल्स हैं, वह इन पर भी लागू हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नियमानुसार उनको स्थान दिया जाय ।

Page No.3

श्री परसराम गंगाराम : सहायक नाकेदार कितने हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: तीस सहायक नाकेदार हैं ।

श्री परसराम गंगाराम : शिड्यूल्ड कास्ट्स के कितने हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : चार ह ।

श्री परसराम गंगाराम : $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत के हिसाब से कितने होने चाहिये ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : म्युनिसिपैलिटी मे 48 प्रतिशत हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : 32 में से चार अनुसूचित जाति के हैं क्या यह 48 प्रतिशत हुआ ? आप किस स्कूल से यह पढ़ कर आये हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने म्युनिसिपैलिटी के लिये कहा है कि वहां 48 प्रतिशत इनकी संख्या है ।

श्री परसराम गंगाराम : इसकी पूर्ति कब तक करा दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : इसकी पूर्ति करा दीजिय ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने निवेदन किया म्युनिसिपैलिटी में 48 प्रतिशत हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां तो झाड़ू लगाने, सफाई आदि के लिये इनकी नियुक्ति है। नाकेदार का जो पद है उस पर तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री महेन्द्रसिंह ।

हरनावदा रोड के निर्माण संबन्धी ठेकेदार का क्लेम

90. **श्री महेन्द्रसिंह** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरनावदा रोड के निर्माण का काम श्री प्यारासिंह ठेकेदार को भी दिया था ? यदि हां, तो कितना व क्या ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने विभाग में अतिरिक्त खर्चे की अदायगी का दावा किया था ? यदि हां, तो किस संबन्ध में ?

(3) क्या यह सही है कि इस क्लेम को विभाग द्वारा नामन्जूर कर दिया गया था?

(4) क्या यह सही है कि यह क्लेम अब मन्जूर हो गया है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): (1) जी नहीं, श्री केवल प्रकाश ठेकेदार को दिया गया था ।

(2) श्री केवलप्रकाश ठेकेदार ने जंगल कटाई सर्विस रोड और चट्टान कटाई का क्लेम विभाग में पेश किया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जंगल कटाई सर्विस रोड का क्लेम स्वीकार कर दिया गया है । चट्टान कटाई का क्लेम जांच के पश्चात् नामन्जूर कर दिया गया है ।

श्री महेन्द्रसिंह : यह उत्तर अस्पष्ट है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रिहर्सल ठीक प्रकार से करके नहीं आये मालूम देते हैं ?

श्री विजयसिंह : शरीर मोटा है उसी अनुपात में जोर से कहें ।

Page No.4

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह सही है कि जो क्लेम ठेकेदार ने किया वह एग्जीक्युटिव इन्जीनियर ने नामन्जूर कर दिया है ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं । जांच के बाद जंगल कटाई का क्लेम स्वीकार कर दिया गया । चट्टान कटाई का नामन्जूर कर दिया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या ठेकेदार ने इस क्लेम को लेकर अदालत में दावा किया था ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं ।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या जो ठकेदार ने क्लेम किया था वह एग्रीमेन्ट के मुताबिक सही था?

श्री माधोसिंह : जी नहीं । एग्रीमेन्ट में नहीं था । बाद में क्लेम पेश किया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री विजयसिंह (मकराना): अध्यक्ष महोदय, यातायात मन्त्री इतने जल्दी बोल रहे हैं कि जैसे सड़क पर सफर कर रहे हों ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): प्रश्न तो पूछा ही नहीं ।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : जवाब दे दें ।

श्री अध्यक्ष : मैं आगे चल लेता हूं । नेक्स्ट

प्रश्न संख्या 91

श्री दीपचन्द छंगाणी !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 92

राजवी श्री रूपसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त छात्रों को डिग्री

93. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्यार्थियों को, जो अपनी बी०ए० अथवा एम० ए० की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में परीक्षा देने से पूर्व इमर्जेन्सी कमीशन लेकर चीन अथवा पाकिस्तान से युद्ध के समय देश रक्षा की भावनाओं से प्रेरित होकर सेना में भरती हो गये थे, परीक्षा में बैठे बिना बी०ए० अथवा एम०ए० की डिग्रियां प्रदान कर दी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान और जोधपुर विश्वविद्यालय के भी कई छात्र ऐसे थे जिन्होंने इसी प्रकार अपनी परीक्षा के अन्तिम वर्ष में इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त किया था परन्तु उन्हें इन विश्वविद्यालयों ने बिना परीक्षा लिये डिग्री प्रदान नहीं की ?

(3) क्या राज्य सरकार को मालूम है कि ऐसे कई छात्र, जो राजस्थान अथवा जोधपुर विश्वविद्यालय से अपनी परीक्षा के अन्तिम वर्ष में इमर्जेन्सी कमीशन लेकर सेना में गये थे, अब सेवा मुक्त हो गये हैं और वे अब डिग्री प्राप्त न होने के कारण ऐसी सेवाओं में, जहां उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, नियुक्ति के लिये दरख्वास्त नहीं दे सकते ?

(4) क्या राज्य सरकार राजस्थान और जोधपुर विश्वविद्यालयों से आग्रह करेगी कि वे भी उदयपुर विश्वविद्यालय की भांति ऐसे छात्रों को बिना परीक्षा लिये डिग्रियां प्रदान कर दें ?

Page No.5

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह) :

(1) यह सही नहीं है कि उदयपुर विश्वविद्यालय ने बी०ए० अथवा एम० एम० की परीक्षाओं में बैठे बिना डिग्रियां प्रदान की हैं। तथ्य यह है कि 3 विद्यार्थी फाइनल वेटेरिनरी साइन्स कक्षा के तथा 1 विद्यार्थी प्री० प्रोफेशनल एग्रीकल्चर कक्षा की परीक्षा देने से पूर्व आपत्कालीन कमीशन में भर्ती हो जाने के कारण प्रथम तीन को डिग्रियां तथा प्री प्रोफेशनल एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी को सर्टीफिकेट प्रदान किया गया है।

(2) जी हां।

(3) शिक्षा विभाग के समक्ष अभी तक इस प्रकार का कोई भी केस नहीं आया है।

(4) राजस्थान और जोधपुर विश्वविद्यालय स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं जिनकी कार्य प्रणाली उनके सीनेट या सिन्डीकेट या बोर्ड आफ कन्ट्रोल द्वारा ही निर्णीत की जाती है। ऐसी स्थिति में उनकी कार्य प्रणाली में राज्य सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिस समय भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ उस समय उदयपुर विश्वविद्यालय ने यह घोषणा की थी कि जो भी विद्यार्थी सेना में कमीशन लेना चाहे यदि वह फाइनल ईयर में जा रहा है तो उसको बिना इम्तिहान लिये डिग्री दे दी जावेगी ? क्या ऐसी घोषणा की गई थी?

राव श्री धीरसिंह : जब यह निर्णय लिया था तब बी०ए० और एम०ए० क्लासें वहां नहीं थीं। एग्रीकल्चर और वेटेरिनरी के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में ही उनकी घोषणा थी जैसा मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया है।

एम०ए०, बी०ए० के लिये दूसरे विश्वविद्यालयों ने दूसरी तरह की फेसीलिटीज दी हैं जैसे वे प्राईवेट तौर पर बैठ सकेंगे। उनके लिये स्पेशल क्लासें खोल दी जायेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार को ज्ञात है कि पंजाब यूनीवर्सिटी पटियाला ने इस प्रकार की घोषणा नवयुवकों को देश रक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के लिये की थी और उसे कार्यान्वित भी किया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर ! यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस तथ्य को देखते हुए, कि दूसरी यूनीवर्सिटियों ने इस तरह की घोषणाएं की हैं और उदयपुर विश्वविद्यालय ने एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिये घोषणाएं की हैं तो उसी बेसिस पर, अन्य विश्वविद्यालयों से प्रार्थना की थी कि देश रक्षा के लिये प्रोत्साहन देने हेतु विद्यार्थियों को बिना इम्तिहान में बैठे डिग्री दे दी जावे कन्सेशन के तौर पर ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये यूनीवर्सिटी का अपना अपना एक्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार सजेशन दे सकती है। प्रार्थना कर सकती है। क्या सरकार ने इस तरह से सजेशन दिया या प्रार्थना की ? और क्या उसको टर्न आउट कर दिया गया ?

राव श्री धीरसिंह : जी हां। सरकार ने सजेशन दिया। आप चाहें तो पढ़ कर सुना सकता हूं और उदयपुर विश्व•

(राव श्री धीरसिंह)
विद्यालय ने घोषणा की जिसके बारे में निवेदन कर चुका। दूसरी यूनीवर्सिटियों ने भी सहूलियतें देने की घोषणाएं कीं। आप चाहें तो उनको पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिना पढ़े मुख से ही कह दीजिये।

राव श्री धीरसिंह: प्राइवेट के तौर पर अपीयर हो सकते हैं, अगर नम्बर अटेन्डेन्स के कम रहते हैं तो उनको पूरा कर दिया जावेगा और उनका एग्जामिनेशन सितम्बर-अक्टूबर में ले लिया जावेगा। इस तरह कन्सेशन दिये हैं। पर डिग्री बगैर एग्जामिनेशन में अपीयर हुए देने की घोषणा सिवाय उदयपुर विश्वविद्यालय के किसी ने नहीं की। उदयपुर विश्व विद्यालय ने भी सिर्फ अपने यहां होने वाले एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेन्डरी के इम्तिहानों के लिये घोषणा की।

श्री अध्यक्ष : वह आपने फरमा दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह मालूम है कि जो इस तरह की कमीशन की पोस्टें हैं उनमें ग्रेजुएट होना आवश्यक है ? तो इस रूप में जब वे कमीशन इमर्जेन्सी से मुक्त हुए तो इमीजिएटली बगैर ग्रेजुएट की डिग्री लिये वे उन पोस्टों के लिये अप्लाई नहीं कर सकते और इस तरह जब तक ग्रेजुएट न हो जाएं तब तक उनको अन-एम्पलायड रहना पड़ेगा। यह स्थिति बन गई है।

राव श्री धीरसिंह : वे कन्सेशनों का उपयोग कर सकते हैं और फिर डिग्री हासिल करने के बाद रिजर्वेशन में रखी गई सीटों के लिये एप्लाई कर सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट ने उनसे अपील की थी इस तरह की सहूलियतें देने के लिये जैसा आपने फरमाया पर विश्व विद्यालयों ने इसको न मानकर दूसरी तरह की फेसीलिटीज देने की बात कही जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्लाटून कमाण्डर्स की पदोन्नति

94. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-10-59 के समय आर० ए० सी० में तैनात प्लाटून कमाण्डर्स को पदोन्नति देकर कम्पनी कमाण्डर बनाया गया है ? अगर हां, तो उनकी सूची देने का कष्ट करें तथा नियुक्ति व पदोन्नति की तारीख भी बतावें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों से पूर्व के तैनात प्लाटून कमाण्डर्स को पदोन्नति नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ? कृपया उनकी सूची मय नियुक्ति की तारीख के देने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि ग्यारहवीं बटालियन में कई प्लाटून कमाण्डर्स ऐसे हैं जो अभी तक कन्फर्म नहीं हुए ? अगर हां, तो क्यों ? उनके नामों की सूची देने का कष्ट करें।

उप-मन्त्री, गृह (श्री खेतसिंह):
(1) दिनांक 16-10-59 को कार्य करने वाले प्लाटून कमाण्डरों में से 25 की पदोन्नति हो चुकी है। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री खेतसिंह)

(2) उपरोक्त प्लाटून कमाण्डरों में से वरिष्ठता में अन्तिम व्यक्ति के ऊपर के 12 व्यक्तियों का सलेक्शन न होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो सकी। इनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रमोशन सलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर किये जाते हैं। जिनका रिकार्ड सन्तोषजनक नहीं होता, वे पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं।

(3) जी हां, केवल 11 प्लाटून कमाण्डर्स ग्यारहवीं बटालियन आर० ए० सी० में अभी तक कन्फर्म नहीं हुए हैं क्योंकि कुछ प्लाटून कमाण्डर्स नये भरती शुदा हैं, कुछ ने प्रोबेशन पीरियड की अवधि पूरी नहीं की, किसी किसी ने प्रमोशन केडर कोर्स नहीं पास किया और कुछ का रिकार्ड खराब है। कुछ के बी० एस० एफ० में डेपूटेशन पर जाने के आप्शन के कारण पदोन्नति के कागजात रुके हुए हैं। उनकी सूची भी संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आर० ए० सी० में प्रमोशन अथवा कन्फर्मेशन के क्या कोई नियम बने हुए हैं ?

श्री खेतसिंह : जी हां। सलेक्शन कमेटी बनी हुई है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो कमेटी बनी है उसने जो 16-10-59 को प्रमोशन किये उसके लिये उस कमेटी की बैठक कब हुई? 25 प्रमोशन हुए हैं इसके लिये ?

श्री खेतसिंह: तारीख तो मुझे पता नहीं, मेरे पास है नहीं। पर कमेटी के मेम्बर कौन कौन थे यह बता सकता हूं। तारीख इम्मेटीरियल है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उनके नाम क्या हैं और उन्होंने कब मीट किया इस पर्पज के लिये ?

श्री खेतसिंह : इसके चेयरमेन श्री सुल्तानसिंह डिप्टी आई०जी० थे।

श्री एन.सी. दत्ता डिप्टी आई०जी० मेम्बर थे
श्री पनसिंह, एस० पी० ,,
श्री डी०एस०साही, एस० पी० ,,
श्री जसवंतसिह डिप्टी आई० जी० ,,

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस सलेक्शन बोर्ड ने कब मीटिंग की इसके लिये और बाद में भी कब कब मीट किया ? 16-10-59 को पदोन्नति की उसके लिये कब मीट किया और इसके पश्चात् कब कब मीट किया और क्या उसकी बाकायदा प्रोसीडिंग्स रक्खी गई ?

श्री खेतसिंह : यह पहले ही कह दिया कि तारीखें मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : सलेक्शन से पहले मीट किया यह तहकीक है ?

श्री खेतसिंह : जी हां। रिकार्ड देखकर बाद में पदोन्नति की है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह बता दीजिये। आज 68 है। 59 से लेकर आज दिन 68 तक कितनी बार इसने मीट

Page No.8

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

किया है ऐसे केसों को कन्सीडर करने के लिये ?

श्री खेतसिंह : हर वर्ष यह बोर्ड बनता रहता है और हर वर्ष इसकी मीटिंग होती रहती है। 62-63 में यह बोर्ड था और 63-64 में इसके मेम्बर्स बदल गये थे। श्री एन० सी० दत्ता इसके चैयरमेन हो गये थे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर जो दिया जा रहा है उपमंत्री जी के द्वारा उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की प्रश्न की मन्शा है और जैसा कि मुझे आभास है कि सिलेक्शन बोर्ड ने मीटिंग नहीं की और न मेरिट्स पर ही केसेज पर विचार किया है, इस आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि 59 से अभी तक हर साल कब-कब मीटिंग हुई और आर० ए० सी० के जवानों का कन्फर्मेशन किया गया या प्रमोशन किया गया इसके लिए कब-कब कन्सीडर किया गया ? वह डेट्स जानना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का आभास गलत है। हर वर्ष में बोर्ड नया बना है और उसकी मीटिंगें हुई हैं और जो एप्लीकेन्ट्स थे उनके रेकार्ड्स को मंगाया है और उनका निरीक्षण किया है.....

श्री अध्यक्ष : वह आपने फर्मा दिया है तारीखें नहीं हैं माननीय सदस्य के पास।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि सिलेक्शन बोर्ड जब प्रमोशन और कन्फर्मेशन के लिए बैठा है तो इनके पहले के जो एडवर्स रिमार्क्स थे जिनके आधार पर प्रमोशन्स से उनको डिबार करते हैं तो उन जवानों को यह किसी को मौका नहीं दिया कि जो एडवर्स रिमार्क्स लगाये गये हैं उनके बारे में एक्स्प्लेनेशन दें ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स बने हुए हैं।

श्री खेतसिंह : नियम ऐसे हैं कि वह कम्युनिकेट होता है। आप किसी पर्टीक्युलर केस के लिये कह रहे हैं तो पर्टीक्युलर केस हो तो बताइये।

श्री अध्यक्ष : साधारणतया कम्युनिकेट होते हैं ?

श्री खेतसिंह : साधारणतया कम्युनिकेट किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक सप्लीमेन्ट्री करना है। आपने कहा है कि 12 केन्डीडेट्स प्लाटून कमाण्डर नहीं बनें क्योंकि उनका सर्विस रेकार्ड खराब बताया। तो सर्विस रेकार्ड लिखने वाले अधिकारियों के बारे में सर्विस रेकार्ड लिखने के लिए नियम तो होने चाहिएं। क्या वे नियम हैं और किन किन नियमों के तहत उनका सर्विस रेकार्ड खराब करने की बात लिखी थी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नेक्स्ट, श्री हरलाल मीणा !

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत......

Page No.9

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज !

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, 95।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी इजाजत हो तो इसको भी....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह (मकराना): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के मंत्रि-मंडल के प्लाटून कमाण्डर की कब पदोन्नति हो रही है?

(हंसी)

प्रतापगढ सब-डिवीजन के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

95. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रतापगढ़ सब-डिविजन में ऐसे कितने गांव हैं जहां अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ एक आदिवासी एरिया है? यदि हां, तो पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों के पीने के पानी की व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की गई?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी उसी जगह का पानी पीते हैं, जहां जंगली जानवर और पशु पिया करते हैं?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) समुचित व्यवस्था नहीं है ऐसे 188 गांव हैं।

(2) जी हां, मास्टर प्लान बना दिया गया है जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

(3) इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

श्री हरलाल मीणा : क्या ऐसे ग्रामों का, जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, सर्वे करा लिया गया है?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, सर्वे करा लिया और मास्टर प्लान बन गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरलाल मीणा : कब हुआ?

श्री हरिदेव जोशी : पिछले साल।

श्री हरलाल मीणा : कितने गांव हैं?

श्री हरिदेव जोशी: मैंने निवेदन किया है कि 188 गांव हैं।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा क्वेश्चन नं० 92 था। उसके बारे में मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पोस्टपोन कर दिया है.......

श्री अध्यक्ष : I have passed over this question.

राजवी श्री रूपसिंह : यह फर्मा दें कि यह क्वेश्चन कब लिया जायगा?

श्री अध्यक्ष : ले लिया गया है माननीय सदस्य नहीं थे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सवाल यह है....

Page No.10

राजवी श्री रूपसिंह : He wanted time for it...It is a breach of the Article of the Constitution. यह क्वेश्चन जो है सेप्रेशन ऑफ जुडिशियरी से संबंध रखता है··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप क्या चाहते हैं ?

राजवी श्री रूपसिंह : इसका जवाब दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकारा था लेकिन माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं थे इसलिये मैं दूसरे क्वेश्चन को लेकर चला गया। अब प्रश्न यह रहता है कि इसको वापिस लिया जाय··········

एक माननीय सदस्य : नाराज हो जायेंगे, साहब ।

श्री अध्यक्ष : मैं इन प्रश्नों को लेने के बाद यदि समय अवशेष रहा तो इस प्रश्न को लूंगा। नैक्स्ट। श्री दौलतराम सारण।

श्री रामचन्द्र (नोहर) : प्रश्न संख्या 96 ।

सड़क निर्माण कार्य में अवाप्त की गई भूमि

96. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) [श्री रामचन्द्र (नोहर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से लेकर अब तक कितनी कृषि योग्य भूमि सड़कों के लिए अवाप्त की गई है? और कितनी सड़कों के लिए बिना अवाप्त किये ही काम में ली गई है ?

(2) क्या राज्य सरकार यह महसूस करती है कि राज्य में सड़कों के दोनों और उत्पादक भूमि बेकार पड़ी है जिसे उत्पादन के काम में लेकर विभाग की आय बढ़ाई जा सकती है, फलदार और अच्छी लकड़ी वाले तथा छायादार पेड़ लगाये जा सकते हैं ?

(3) क्या इस भूमि को उपयोग में लेने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) क्या राज्य सरकार देश के वर्तमान खाद्यान्न के अभाव को देखते हुए सड़कों के दोनों ओर छोड़ने वाली भूमि में कमी करने पर गौर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? सड़कों के दोनों ओर कितनी भूमि छोड़ी जाती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है जो उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जायगी····

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): इनकी आवाज का भी शुद्धिकरण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी ठीक किये देता हूं। आप (उप-मंत्री महोदय से) सबसे पहले माइक को सामने रखते हुए और यह दृष्टिकोण रखते हुए कि आपकी आवाज माननीय सदस्यों को सुनाई दे इस तरह से बोलें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: शरीर बहुत भारी है।

श्री माधोसिंह : (1) वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है जो उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

(श्री माधोसिंह)

(2) जो भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की रोड बाउन्ड्री में आती है उसे नियमानुसार खाली रखना आवश्यक है। शेष भूमि के विषय में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : धीरे, धीरे ।

श्री माधोसिंह : (3) जी नहीं। इसे नियमानुसार खाली रखना आवश्यक है ।

(4) वर्तमान ट्रेफिक–वृद्धि को देखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है सड़कों के दोनों ओर निम्न प्रकार भूमि छोड़ी जाना आवश्यक है ।

एक माननीय सदस्य : फ्रन्टियर मेल की तरह भाग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय उप-मंत्री आपने इसको कई बार पढ़ा है। इससे स्पीड ज्यादा हो गयी है। एक एक वाक्य को अलग अलग करके पढ़ें धीरे-धीरे तो माननीय सदस्य समझ सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): रटा हुआ पढ़ रहे हैं और वह बैठकर याद किया है। खड़े होकर पढ़ने की प्रेक्टिस नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अभी अन्डर ट्रेनिंग हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तो माननीय सदस्य समझ गये हैं अब दूसरा भाग जो पढ़ रहे हैं उसको दुबारा पढ़ दें।

श्री माधोसिंह: चाहें तो एक एक लाइन पढ़ दूं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: समझ में नहीं आता है कि किस के बारे में आप जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का दोष नहीं है।

श्री माधोसिंह : (4) वर्तमान ट्रेफिक-वृद्धि को देखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सड़कों के दोनों ओर निम्न प्रकार भूमि छोड़ी जानी आवश्यक है:-

	कृषि प्रधान क्षेत्र में	अरबन और औद्योगिक क्षेत्र
राष्ट्रीय मार्ग व स्टेट हाईवेज्	100 से 200 फीट	80 से 200 फीट
मेजर डिस्ट्रिक्ट्स रोड	80 से 100 फीट	40 से 60 फीट
अदर डिस्ट्रिक्ट्स रोड	60 से 80 फीट	30 से 50 फीट
गांवों की सड़कें	40 से 60 फीट	30 से 50 फीट

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि हनुमानगढ़-रावतसर रोड की जो जमीन बगैर मुआवजे के काश्तकारों से सड़क के दोनों ओर 50 फीट ले ली गई है····

श्री माधोसिंह: मैं प्रश्न नहीं समझा। वापिस कहें।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रश्न संख्या (1) में यह पूछा है कि बगर अवाप्त किये और बगैर स्वीकृति के ही काश्तकारों

(श्री रामचन्द्र आर्य)
की जमीन सड़कों में मिलाई गई है या नहीं तो इसके बारे में आपने कहा है कि नहीं, तो यह हनुमानगढ़-रावतसर रोड पर 50-50 फीट दोनों तरफ काश्तकारों की जमीन ली गई है उसका मुआवजा नहीं दिया गया है तो इसके बारे में क्या स्पष्टीकरण है ?

श्री माधोसिंह : कई जगह मुआवजा दे दिया गया है और जहां पर नहीं दिया गया है वहां पर कार्यवाही जारी है दे दिया जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल एक विषमता का है। आप कहते हैं कि जिनकी जमीन ली है उनको मुआवजा देने की कार्यवाही चालू है, लेकिन मूल प्रश्न के उत्तर में यह कहा है कि कोई जमीन नहीं ली गई है, तो स्थिति क्या है ?

(हंसी)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : यह सवाल, कि कौनसी जमीन ली गई है, अलग तरह का है। हमसे जो जवाब मांगा गया है जमीन के मुतालिक वह दे दिया गया है। अब अगर कोई भी बात हो और जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है तो आप फर्माइये उसकी तहकीकात होगी और कतई तरीके पर उस पर एक्शन लिया जायगा। यह तो हमारे लिए और अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : इतनी दिलचस्पी आप रखते हैं।

(हंसी)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्ता।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप यह फर्माते हैं कि यह अलग से प्रश्न है तो अलग से नहीं है यह जनरल क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : वापिस पूछ लें।

श्री रामचन्द्र आर्य : हनुमानगढ़-रावतसर रोड पर जमीन जबरदस्ती ली गई है उसका मुआवजा नहीं दिया गया है और न उसका कोई क्लेम माना जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : रावतसर की जमीन जबरदस्ती ली गई है और उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने आपसे अर्ज किया कि ऐसा हुआ है जैसा कि आप मुझे बताते हैं तो उसकी पूरी मालूमात की जायेगी और अगर गलत कार्यवाही हुई है तो एक्शन लिया जायेगा कि क्यों ऐसा हुआ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या यह सही है कि इस प्रकार के पहले भी आदेश सरकार की ओर से कर दिये गये थे कि जो जमीन एक्वायर की जाये उसके लिए पहले मुआवजा चुका दिया जायेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले का इनसे क्या पूछते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपके पास कोई इस प्रकार का आदेश या घोषणा-पत्र हो तो बतादें उसको देख लिया जायेगा।

श्री श्रवणलाल : कई बार इस प्रकार के आदेश शासन की ओर से भी दिये हैं

(श्री श्रवणलाल)

विधान सभा में कि जो भी भूमि एक्वायर की जाये उसका मुआवजा पहले ही चुका दिया जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्रश्नकर्ता !

श्री रामचन्द्र आर्य : हनुमानगढ़ से रावतसर की दोनों साइडों में 50-50 फीट जमीन ली गयी है उसका मुआवजा शीघ्राति-शीघ्र दिया जाये।

श्री माधोसिंह : इसके लिये कार्यवाही की जायेगी और जो भी मुआवजा होगा वह दे दिया जायेगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, सड़कों के दोनों तरफ 50-50 फीट जगह छोड़ी जायेगी ऐसे आदेश हैं लेकिन कई जगह देखने में आया है कि सड़कों के दोनों तरफ 15-15 फीट के ऊपर ही लोगों के मकान बने हुए हैं तो उसकी भी कोई व्यवस्था करें। इससे बिल्कुल ही ट्रैफिक बन्द हो गया है और एक्सीडेन्ट्स होते हैं।

श्री माधोसिंह : कई-कई जगह राजस्थान में ऐसा हुआ है क्योंकि जमीन काश्तकारों की खराब होती थी।

श्री अध्यक्ष : झोपड़ियां बना दी गयी हैं यह प्रश्न है सड़कों के किनारे पर।

श्री माधोसिंह : इसके लिए जानकारी देंगे तो वहां से उनको हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए सलूम्बर से इकलेरा रोड का उदाहरण देता हूं। कोटा जिले की तहसील छीपा बड़ोद में इस सलूम्बर से इकलेरा रोड पर मुश्किल से 15-15 फीट जगह रह गयी है जहां दो बस ही आराम से क्रास नहीं हो सकती और इसी तरह सारथल में गांव बवासा में मुश्किल से 15 फीट या 20 फीट जगह छोड़ी गयी है उससे कई एक्सीडेन्ट्स हो गये हैं.........

श्री अध्यक्ष : सभी रोड्स को रिवाइज कर लीजिए।

नैक्स्ट, श्री डागा !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यहां पर तो जो लोग झोंपडियों में बस जाते हैं, उनकी पैरवी करते हैं और इस तरह से कच्ची बस्तियों वालों की झोंपड़ियां हटा दी जायेंगी तो उनके साथ यह बड़ा अन्याय होगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कच्चे मकान तो क्या एक एक लाख की बिल्डिंग बनी हुई हैं। कच्ची झोंपड़ियों वालों को दूसरी जगह दी जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि उनके पद संभालने के पहले जितने भी भृष्टाचार हुए हैं और घोटाले हुए हैं पद संभालते ही उनको ठीक कर देंगे ?

श्री माधोसिंह : कोई गड़बड़-घोटाले नहीं हुए हैं।

श्री श्रवणलाल : राजस्थान में जिन जगहों को एक्वायर किया गया है और जिनके मुआवजे काफी समय से बाकी हैं क्या उचित समय तक उनको मुआवजा चुकाने के लिए कोई आदेश या व्यवस्था करेंगे ?

Page No.14

श्री माधोसिंह : जो जो केसेज हमारे सामने लाये जायेंगे उनके लिए उचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : और जो नहीं लाये जायेंगे ?

श्री माधोसिंह : हमें मालूम होते जायेंगे तो हम जानकारी कर लेंगे ।

श्री विजय सिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह दो बैलों की जोड़ी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री डागा !

जोधपुर-पाली बिजली लाइन में खराबी

97. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1967 की 1 जनवरी से लेकर 15 नवम्बर, 67 तक कितनी बार बिजली जोधपुर से पाली के बीच फेल हुई ?

(2) उक्त अवधि में जोधपुर से पाली लाइन में कितनी बार खराबी आई ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

(1) 417 बार ।

(2) कोई खराबी नहीं हुई ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह सही है कि दीपावली के रोज वहां लोग विद्युत् से वंचित रहे और उस रोज पूरे रोज विद्युत् नहीं मिली?

श्री हरिदेव जोशी : यह जैसे ही मेरी जानकारी में आया इन्क्वायरी कर ली गई है कि इसके क्या कारण थे ।

श्री मूलचन्द डागा : यह दिक्कत कब खत्म हो जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : बहुत ही जल्दी ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि आपकी विद्युत् व्यवस्था के कारण उपभोक्ताओं को मोमबत्ती और लालटेन का उपयोग करना पड़ता है इसलिये क्या आप चार्जेज को कम करने पर विचार करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पाली शहर का जो पावर स्टेशन है, डीजल सैट के खराब होने के कारण वहां के लोगों को बहुत तकलीफ रही । अब जोधपुर और पाली को जोड़ दिया गया है और ऐसे ही जैतारण-ब्यावर लाइन को कनेक्ट होने से यह तकलीफ नहीं होगी ।

श्री मूलचन्द डागा : इस समस्या का निराकरण किस अवधि तक हो जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जब तक पाली को हाइडल से नहीं जोड़ देते हैं तब तक पूरी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता लेकिन जैतारण-ब्यावर वाली लाइन से जरूर राहत मिलेगी ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने समय की अवधि के लिए पूछा है ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं समझता हूं कि जैतारण-ब्यावर लाइन इसी महीने में जुड़ जायेगी और आगे की बात तो मैं अभी तत्काल नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : पाली को इस महीने में ही राहत मिल जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : कोशिश की जायेगी ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : संगम हो जायेगा ।

Page No.15

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : प्रश्न संख्या 98 ।

जेल सलाहकार मण्डल

98. **श्री भैरोंसिंह** [श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) द्वारा पूछा गया] : क्या कारावास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) इस वर्ष राजस्थान प्रिजन्स (शोर्टनिंग ग्राफ सेन्टेन्सेज) नियम, 1958 के अन्तर्गत किस किस केन्द्रीय कारागृह के लिए जेल सलाहकार मण्डल में किन किन सदस्यों को मनोनीत किया गया है और किस किस आधार पर ?

(ख) इन मण्डलों की कितनी कितनी बार बैठक हुई और प्रत्येक मण्डल में किन किन व्यक्तियों की सजायें, कितनी कितनी सजा कम करने की सिफारिश की गई है ? और उस पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(ग) जिन व्यक्तियों की सजा कम करने की सिफारिश की है वे किन अपराधों में कितने कितने वर्ष की सजा भोग रहे हैं ? उनके नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री--कारावास (श्री खेतसिंह) : (क) राजस्थान में केन्द्रीय कारागृह, जयपुर तथा जोधपुर में ही है । गत वर्ष 1967 में राजस्थान प्रिजन्स (शोर्टनिंग ग्राफ सेन्टेन्सेज) नियम, 1958 के अन्तर्गत इन केन्द्रीय कारागृहों की सलाहकार बोर्डों पर निम्नलिखित गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिलाधीशों की सिफारिशों पर मनोनीत किये गये थे—

(1) सलाहकार बोर्ड केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।

1. शाह कस्तूरमल, जयपुर।

2. श्री अवतार नारायण, रिटायर्ड, कमिश्नर, बनीपार्क, जयपुर ।

(2) सलाहकार बोर्ड, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर।

1. श्री एन. के. सांघी, जोधपुर, सदस्य लोक सभा ।

2. श्री काशीनाथ जोशी, एडवोकेट सुप्रिम कोर्ट, जोधपुर ।

(ख) दोनों सलाहकार बोर्डों की एक एक बार बैठक हुई । प्रत्येक बोर्ड में जिन जिन बन्दियान को पूर्ण सजा भुगतने से पूर्व कारागृह से मुक्त करने की सिफारिशें की और उन पर राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके संबंध में जानकारी सूचियों में अंकित हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(ग) प्रश्न 2 के उत्तर के साथ संलग्न सूचियों में वांछित सूचना अंकित है ।.

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : क्या कारागार मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो-कि कभी कारागृह में रहे हुए हों ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री देवीदत्त !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या इनके प्रश्न का उत्तर आ गया? सलाहकार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बोर्ड में जिन सदस्यों को कलेक्टर की सिफारिश पर रखा जाता है तो वह सिफारिश किस आधार पर देते हैं? कस्तूरचन्द शाह को किस आधार पर कलेक्टर ने रिकमन्ड किया ?

श्री खेतसिंह : नियम ऐसे हैं, अध्यक्ष महोदय, कि कलेक्टर से जब राय ली जाती है तो उनके पास में डिपार्टमेंट की तरफ से यह संबोधन भेजा गया है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिएं जिनकी कि समाज में इज्जत हो और जो ऐसी बातों में ठीक तरह से सलाह दे सकें। उन व्यक्तियों में से किसी का नाम जिलाधीश सजेस्ट करते हैं और उनमें से राज्य सरकार जिनको उपयुक्त समझती है उनको मनोनीत करती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समाज में प्रतिष्ठा और इज्जत का आधार सरकार ने क्या निर्धारित किया हुआ है ? ब्लैक मार्केटियर्स हों, मजदूरों पर गोलियां चलवाये क्या वही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, श्री गाडिया ! शिक्षा

बारां डिग्री कालेज का भवन

99. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बारां डिग्री कालेज भवन निर्माण का कार्य अभी तक किन कारणों से प्रारम्भ नहीं किया जा सका है और अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बारां की जनता ने डिग्री कालेज भवन निर्माण हेतु दो लाख रुपया राज्य सरकार के सुपुर्द कर दिया है ?

(3) यदि हां, तो यह रुपया किस तारीख को किस रूप में दिया गया ?

(4) क्या सरकार ने कालेज भवन निर्माण हेतु स्थान का नक्शा व खर्चे का तखमीना बना लिया है ?

उप-मंत्री शिक्षा (राव श्री धीरसिंह): (1) कालेज भवन निर्माण हेतु अभी तक स्थान निश्चित नहीं हुआ है। स्थान निश्चित होने पर नये कालेज भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) जी हां। केवल 1.50 लाख रुपया ही राज्य सरकार के सुपुर्द हुआ है। शेष 50 हजार रुपये का ड्राफ्ट बैंक द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण जिलाधीश कोटा को वापिस आपत्तियों का समाधान करने हेतु लौटा दिया गया है।

(3) उक्त राशि निम्न प्रकार प्राप्त हुई :

0.50 हजार 30-7-66 को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा।

0.50 हजार 17-6-66 को डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा।

0.50 हजार 19-5-67 को चैक द्वारा।

1.50 लाख

(4) तीन संकाय वाले कालेजों में 6.50 से 7.00 लाख अनुमानित व्यय होता है और इसके लिए मोडल प्लान मन्जूर शुदा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के गत सत्र में

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
बारां में कालेज भवन निर्माण के लिये स्थान का निर्णय कर लिया गया ऐसी घोषणा शिक्षा मंत्रीजी ने की थी ?

राव श्री वीरसिंह : यह सही है उस वक्त निश्चय कर लिया गया था लेकिन जब भवन निर्माण कार्य चालू करने का समय आया तब डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं उन पर दुबारा गौर करना पड़ा । होस्पिटल के पास जो जमीन है उसमें एक तो पानी की दिक्कत है, पानी इकट्ठा होता है, दूसरा मंडी के बहुत नजदीक है इसलिये कॉलेज चलाने में दिक्कत आयेगी ऐसी उनकी आपत्ति थी। तीसरी आपत्ति यह थी कि वह जमीन स्कूल की है उससे ले ली जायगी तो स्कूल को दिक्कत पड़ेगी। इसके अलावा फरदर एक्सटेन्शन के लिये, हॉस्पिटल के पास है इसलिये, गुंजाइश कम है । यहां पर मीठा पानी भी उपलब्ध नहीं है। ये आपत्तियां डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने उठाई थीं जिन पर गौर करना आवश्यक था । विधान सभा का यह सत्र समाप्त होते ही शिक्षा मंत्री वहां पर जायेंगे और स्थान देख कर निर्णय करेंगे कि कॉलेज भवन का निर्माण वहां पर कराया जाय या रेल्वे क्रासिंग के दूसरी ओर एग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज को एक्वायर करके बनाया जाय ।

श्री देवीदत्त गाडिया : पहले जब निर्णय लिया गया उस समय क्या इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया था और यदि ध्यान देकर निर्णय लिया गया था तो भवन निर्माण कार्य क्यों रोका गया ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि दो साइट्स के बारे में निर्णय था । पहला हॉस्पिटल के पीछे की जमीन के लिये था । बाद में डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने कहा कि इस जमीन पर भवन बनाना उपयुक्त नहीं होगा और रेल्वे क्रासिंग के उस तरफ जो जमीन है उस पर भवन बनाना उपयुक्त माना जा सकता है । उन्होंने जो दलीलें दी हैं वे विचारणीय हैं इसलिये इस प्रश्न को अभी स्थगित रखा है। दोनों साइट्स में से कौनसी उपयुक्त है उसको देखने के बाद निर्णय लिया जायगा इसके अलावा 2 लाख रुपये देने का सवाल था उसमें से डेढ़ लाख रुपये ही पहुंचे हैं 50,000 रु० आने बाकी हैं। दो साइट्स का सवाल है उसको देखने के बाद निर्णय लिया जायगा क्योंकि कॉलेज का भवन अच्छी जगह बनना चाहिए इसलिये उपयुक्त जगह देख कर निर्णय लिया जायगा ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : यह निर्णय कब तक ले लिया जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर : अधिवेशन के बाद में स्वयं जाऊंगा, आपसे भी बात हो चुकी है। मौके पर निर्णय किया जायगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है। कॉलेज हाई स्कूल भवन में चल रहा है। हाई स्कूल में 1,350 छात्र और कालेज में 350 छात्र हैं इसलिये दोनों एक ही भवन में चल नहीं सकते । चार माह बाद ही नया सत्र आने वाला है।

श्री अध्यक्ष : जब माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि विधान सभा के सत्र के बाद ही निर्णय करेंगे तो उन पर विश्वास किया जाय ।

श्री देवीदत्त गाडिया: क्या अंतिम निर्णय फरवरी महीने में ले लिया जायगा ?

श्री शिवचरण माथुर : निश्चित रूप से।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या मंत्रीजी उस तरफ जायेंगे तब सब जगह जायेंगे......

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन।

ग्राम कुचेरा के कुए में आग

100. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कुचेरा, जिला नागौर के एक कुए में दिनांक 4-6-67 की रात को आग जलती हुई देखी गई और देखने वाले लोगों ने स्थानीय सरपंच को इत्तिला की? यदि हां, तो सरपंच ने तत्काल क्या कार्यवाही की?

(2) क्या यह भी सही है कि दूसरे रोज सुबह कुए के पास खून पड़ा हुआ देखा तो लोगों ने फिर सरपंच को दिखाया परन्तु समय पर पुलिस में इत्तिला नहीं की और घटना की वास्तविकता को बिगाड़ने के लिये ऐसा किया है?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस घटना-स्थल पर देर से पहुंची और दो रोज तक कुए से आग नहीं बुझा सकी जिसके परिणाम स्वरूप घटना की वास्तविकता प्रकट नहीं हो सकी?

(4) क्या यह सही है कि कुए के पास से पुलिस ने खून बरामद किया है? यदि हां, तो लाश का पता क्यों नहीं लग सका?

(5) खून के अलावा पुलिस ने इस घटना सम्बन्धी और क्या क्या बरामदगियां की हैं?

(6) कुए में आग कैसे लगी तथा इतने लम्बे समय तक कैसे जलती रही और इसमें क्या क्या जला?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, यह सत्य है और देखने वाले लोगों ने स्थानीय सरपंच को इसकी इत्तिला दी जिसने फौरन इसकी सूचना पुलिस चौकी कुचेरा को तारीख 4-6-67 को ही दे दी थी।

(2) जी नहीं। एफ०सी०अमानसिंह ने उसी वक्त जरिये तार इसकी सूचना थाने को दी जिस पर एस०एच० ओ. थाना मूंडवा उसी दिन अर्थात् 4-6-67 को 4 बजे मौके पर वास्ते जांच पहुंच गये थे। हैड कांस्टेबल, अमानसिंह वहां ही मौजूद था। कुए के पास खून के धब्बे जमीन पर पड़े थे जो उसी समय पुलिस ने तहवील में ले लिये थे।

(3) जी नहीं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई थी और उसी समय 11 टंकी पानी मंगवा कर आग बुझानी चाही लेकिन कुए में धुंआ बहुत हो जाने के कारण इतनी अधिक गैस थी कि उस समय में कुए में इन्सान का उतरना संभव नहीं था। इसलिये रात्रि में फिर पानी डाला गया और दूसरे दिन कांस्टेबल मोडाराम, रामलाल, दीनाराम एवं सत्तार को कुए में उतारा लेकिन कुए में आग की गैस अधिक होने के कारण सिर्फ आधे घंटे ही कुए में रह सके। दुबारा दिनांक 6-6-67 व फिर दिनांक 7-6-67 को भी रेस्पिरेटर्स लगाकर पुलिस कांस्टेबल को उतारा गया था। इस प्रकार कुए की पूरी तलाशी की गई थी।

(4) जी हां। कुए के पास से पुलिस ने खून बरामद किया लेकिन कुए में तलाश करने के पश्चात भी कोई लाश नहीं मिली

(**श्री खेतसिंह**)

और ना ही लाश की किसी प्रकार की एलामात मिली ।

(5) कुए में से दौरान छानबीन एक पाजामा, एक बुसशर्ट, एक कच्छा बरामद हुआ था ।

(6) आग लगने का कारण बावजूद प्रयास के पता नहीं लग सका......

श्री अध्यक्ष: पता नहीं लग सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप अनुभवी हैं ।

श्री खेतसिंह: आग जलती देखने पर बुझाने के प्रयास थानेदार के पहुंचने पर किये गये व दिनांक 5-6-67 को प्रातः ही आग पर काबू प्राप्त हो गया था । कुए में 1,000-1,200 मरे हुए कबूतर मिले और कुछ नहीं । कुआ काफी समय से खाली था ।

एक माननीय सदस्य: क्या कुआ सूखा था या चालू था ?

श्री खेतसिंह: कुआ सूखा था और कई दिनों से पड़ा था ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सच है कि इन्क्वायरी के दौरान पुलिस एलर्ट नहीं रही और लाश निकालने की छूट दे दी और लाश निकाल कर ले गये? इन्क्वायरी पूरे ढंग से नहीं हुई, तथ्य छिपाये गये क्या यह सत्य है ?

श्री खेतसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह कतई सत्य नहीं है । मौके की सरपंच ने इत्तिला पुलिस चौकी पर दी । पुलिस चौकी उसी गांव में है । तुरन्त हैड कांस्टेबल मौके पर पहुंच गया और वह तब तक वहां पर रहा जब तक थानेदार वहां पर नहीं पहुंच गया । उसके बाद तुरन्त आई०जी०पहुंच गये, एस० पी० पहुंच गये इसलिये आपका यह कहना गलत है ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : क्या जांच से यह पता चला कि वहां पर ह्यूमन ब्लड था और कपड़ों पर ह्यूमन ब्लड के धब्बे थे ?

श्री खेतसिंह: जो मिट्टी कुए के पास से उठाई गई थी और जो कपड़े बरामद हुए थे वे सारे केमिकल एनेलिसिस के लिए कलकत्ता भेज दिये गये हैं ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल और श्री भगवान दास शास्त्री एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: दोनों एक साथ बोल रहे हैं । किसी का प्रश्न नहीं है ।

श्री श्रवणलाल: क्या जिस कुए में आग लगी उसमें पेट्रोल था या मिट्टी का तेल था ? आग में कबूतरों के निशान मिले, आपके कहने के अनुसार कपड़े भी उसमें कुए में से मिले, आग लगने पर कपड़े जलने से कैसे बच गये ?

श्री खेतसिंह: कुए में खोह थी । कपड़े दरारों में डाल दिये थे । तीसरे दिन कुए में से मिले । कुए में आग लगी उसमें घासलेट डाल दिया गया था उनसे गैस ज्यादा बन गई थी ।

एक माननीय सदस्य: मंत्री महोदय से सदस्य के नाते पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कर्ता श्री बुरडक ।

श्री हरजीराम बुरडक: इसमें थानेदार के अलावा किस अधिकारी ने जांच की ?

श्री खेतसिंह : सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, नागौर।

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि जिस समय आग लगी थी उसकी लपटें ऊपर तक आई थीं ?

श्री खेतसिंह : यह सही है।

श्री श्रवणलाल : जब आप यह तथ्य मानते हैं कि लपटें ऊपर तक जा रही थीं तो कपड़े जलने से कैसे बच गये ?

श्री खेतसिंह : आप समझे नहीं, कपड़े दरारों में डाले हुए मिले। मेरे पास यही इत्तिला है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। कपड़े मिले हैं उनकी कोई सनाख्तगी हुई कि किस आदमी के थे ?

श्री खेतसिंह : जी हां, न तो किसी ने शिकायत की कि हमारा रिश्तेदार मर गया है इससे ज्यादा संभावना लगती है कि इन्सान का कत्ल नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : कपड़े इन्सान के हैं क्या ?

श्री खेतसिंह : जी हां, कपड़े इन्सान के हैं।

श्री श्रवणलाल : लाश इन्सान की थी ?

श्री खेतसिंह : लाश मिली ही नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है वह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है लेकिन उसकी गम्भीरता के साथ उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य एक दफा !

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गम्भीर है, मंत्री जी इसको बचाना चाहते हैं और केस को दबाना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्न पूछिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न ही कर रहा हूं। मंत्री जी ने स्वीकार किया है लपटें बहुत ऊंची थीं और दूसरी तरफ कहते हैं कि कपड़े किसी खोह में पड़े रहे थे। क्या जिस समय पुलिस ने इस केस की जांच की तो कुए के अन्दर किसी के फुट प्रिन्ट या और किसी प्रकार के निशानात मिले ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आग लगे हुए कुए में फुट प्रिन्ट मिल जायेंगे ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या जांच करते समय यह मालूम किया किसी विशेषज्ञ द्वारा कि यह आग लगाई थी यह किस पदार्थ के द्वारा लगाई गई थी ?

श्री खेतसिंह : उसकी जांच की गई है और जांच जारी है, ऐसा नहीं है कि जांच खत्म हो गई हो। अभी तक यह मालूम नहीं हुआ है कि क्या खास वजह है जिसकी वजह से आग लगाई गई ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आग लगाई यह सवाल नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : इसकी क्या वजह बताई गई कि किस कारण से कपड़े सुरक्षित रह सके ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरा प्रश्न है कि किस पदार्थ से आग लगाई गई इसकी किसी एक्सपर्ट के द्वारा जांच कराई गई है ?

श्री खेतसिंह : आग किस प्रकार से लगाई गई इसकी जांच करने के लिये कौनसा एक्सपर्ट है यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या सब्सटेन्स था जिससे आग लगी ?

श्री खेतसिंह : वह मैंने बताया कि कुछ घास-फूस था उस पर घासलेट तेल डाला गया और घासलेट डाल कर उसको जलाया गया।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री रावतराम।

श्री लाभचन्द : क्या कुआ बहुत गहरा था ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

ग्राम लालगढ़ की जल प्रदाय योजना

101. **श्री रावतराम** (छापर-सु.) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लालगढ़ जिला चूरू की जल प्रदाय योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का एस्टीमेट क्या है और इसका सर्वे कब करवाया गया तथा इस ग्राम को कितना गैलन पानी की आवश्यकता है ?

(2) ग्राम लालगढ़ की जल प्रदाय योजना का कार्य कब तक चालू हो जायगा ? कृपया निश्चित बतावें कि ग्रामवासियों को कब तक पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। इसकी अनुमानित लागत 1.35 लाख रुपया है। इसका सर्वे सन् 66 में प्रारम्भ हुआ। इस ग्राम के लिए योजना के अनुसार 40,000 गैलन पानी प्रति दिन की आवश्यकता होगी।

(2) योजना बनाई जा चुकी है। योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि के बाद ही निर्माण कार्य हाथ में लिया जावेगा।

श्री रावतराम: क्या मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि इस कस्बे में बहुत बड़ी तकलीफ है पानी की इसलिए यह योजना यहां बनाना बहुत जरूरी है ?

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये ही तो योजना बनाई गई है।

श्री रावतराम : योजना तो बन गई है लेकिन योजना स्वीकार नहीं की है। अब सरकार क्या इस स्थिति में है कि चालू साल में इस योजना को स्वीकार कर लेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : कार्यवाही करा देंगे।

श्री रावतराम : मैं यह कहना चाहता हूं कि सर्वे कर ली है और योजना बना ली है यह ठीक है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि इस चालू साल में क्या इस योजना को स्वीकार करने की स्थिति में हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : स्कीम टेक्निकल एक्जामिनेशन में है और टेक्निकल एक्जामिनेशन होने के बाद ही कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकेगा।

श्री रावतराम : आप यह फर्मायें कि टेक्निकल एक्जामिनेशन की स्थिति में है या पैसे के अभाव की स्थिति में है ?

श्री हरिदेव जोशी : सबसे पहली बात तो यह है कि टेक्निकल एप्रूवल हो जाय, फिर

(श्री हरिदेव जोशी)

पैसे के लिए फीजिबिलिटी की दूसरी बात है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या पानी वहां पर्याप्त मात्रा में है ?

श्री हरिदेव जोशी : यही बात टेक्निकल एक्जामिनेशन में है कि जो चार कुए तय किये गये हैं वह क्या चालीस हजार गैलन के लिए काफी हैं।

श्री रावतराम : क्या यह नहीं कह सकते कि आने वाली गर्मियों तक इस योजना को चालू कर सकेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : आने वाली गर्मियों तक पूरी नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह।

छबड़ा-बारां वाया कवाई सड़क निर्माण कार्य

102. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि छबड़ा से कवाई होती हुई बारां को पक्की सड़क जाती है ?

(2) क्या इस सड़क का कोई काम चल रहा है ? अगर हां, तो कब से और अभी तक कितना काम निबट चुका है ? बाकी का रहा हुआ काम कब तक निबट जायेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) छबडा से कवाई के बीच 5 मील के भाग को छोड़ कर शेष भाग पक्का है।

(2) छबड़ा से कवाई के बीच 5 मीलों में काम 4-7-65 से हो रहा है। 40,817 रु० का काम हो चुका है और बाकी कार्य वर्ष 68-69 में पूरा होने की आशा है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री जी ने फर्माया है कि पांच मील का काम बाकी है और वह निबट जायगा। लेकिन सड़क पर न तो पुल बने हैं, न रपट बने हैं। जितनी सड़क बनी है उसमें से आधी बह गई है और 1965 से लेकर 1968 तक यह पूरी नहीं हुई है। इसमें सरकार का पैसा बरबाद हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाकर जल्दी से जल्दी इस काम को निबटा दिया जाय ताकि वहां के लोगों की परेशानी और असुविधा दूर हो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सड़क कब तक पूरी हो जायगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : यह बता दिया गया है कि 1968-69 में पूरा होने की आशा है।

श्री माधोसिंह : मैंने बताया कि बाकी कार्य वर्ष 1968-69 में पूरा होने की आशा है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंडेरी की क्या पोजीशन है, वह एक बड़ी भारी नदी है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है।

नगरपालिका क्षेत्र जोधपुर में बिजली बन्द होने के कारण

103. **श्री ओमदत्त भाटी** (श्री रघुनाथ

Page No.23

(**श्री ओमदत्त भाटी**)

विश्नोई द्वारा पूछा गया) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1967 से आज तक जोधपुर नगरपालिका क्षेत्र में किस किस तारीख को कितने कितने समय के लिए बिजली बन्द रही है व इसके क्या क्या कारण रहे हैं ?

(2) भविष्य में इस प्रकार बिजली बन्द न हो इसके लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : सूची सम्बन्धित कारणों सहित संलग्न है।

(2) इस स्थिति में स्थायी सुधार चम्बल से बड़े पैमाने पर बिजली प्राप्त होने पर होगा। फिर भी जोधपुर की स्थिति को सुधारने के लिये और वहां पर पॉवर फैक्टर और वोलटेज को बढ़ाने के लिए जोधपुर में 5,400 के० बी० ए० आर० के केपेसीटर्स और बिलाड़ा और जैतारण प्रत्येक में 1,000 के. बी. ए. के वोलटेज बुस्टर्स लगाये जा रहे हैं। यह कार्य मार्च, 1968 तक समाप्त होने की आशा है। जोधपुर के विद्युत् वितरण व्यवस्था में सुधार करने हेतु 1963-69 में प्रावधान किया जा रहा है जिससे वहां की स्थिति में और भी सुधार होगा। इसके अलावा ब्यावर से जैतारण तक ३३ के० वी० की लाइन उच्चतर प्राथमिकता के आधार पर खींची जा रही है जिससे कि जोधपुर पॉवर हाउस से 600 किलोवाट का भार कम किया जा सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो ब्रेक डाउन्स हुए हैं उनकी लम्बी चौड़ी सूची है। इन ब्रेकडाउन्स को दूर करने के लिए भविष्य में सरकार क्या चेष्टा कर रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : यही निवेदन कर रहा हूं कि क्या व्यवस्था कर रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह काफी अर्से के बाद का बताया। अभी क्या कर रही है जिससे ब्रेक डाउन्स नहीं हों।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने लोंग-टर्म बताया है और शार्ट-टर्म भी बताया। मैंने निवेदन किया कि अभी बहुत ही जल्दी इसी महीने में काम शुरू कर दिया गया है। ब्यावर से जैतारण तक 33 के० वी० लाइन लगाने का वह हो जाता है तो उसका रिलीफ मिल जायगा जोधपुर को। मतलब यह है कि ब्यावर-जैतारण लाइन पूर्ण कर देंगे और जोधपुर पॉवर हाउस पर स्ट्रेन नहीं पड़े इसलिए इसके अलावा केपेसिटर्स और बुस्टर्स लगाये जा रहे हैं। इस तरह जोधपुर को ओगमेंट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ! श्री रघुवीर सिंह।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : 104

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत :(भीम) अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनके सवाल तो पहले लिये जारहे हैं और जो सदस्य यहां उपस्थित हैं उनके प्रश्न नहीं लिये जा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैंने ऑथोरिटी लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के पास कल ही पेश करवा दी थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : जो अनुपस्थित सदस्य हैं उनके ले लेंगे जो उपस्थित हैं उनके प्रश्न रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों की सुविधा का ध्यान रखता हूं । आगे चलिये।

खेतड़ी में डिग्री कालेज

104. **श्री रघुवीर सिंह** (खेतड़ी) [श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खेतड़ी कस्बे में सम्वत् 1880 से केवल हाई स्कूल ही है जब कि खेतडी क्षेत्र के आस पास के गांवों में हायर सैकेन्ड्री या डिग्री कालेजें बन चुकी हैं ?

(2) क्या यह सरकार के विचाराधीन है कि खेतड़ी में डिग्री कालेज बनवाया जाय ताकि उस क्षेत्र के गरीब विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रह जावें ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि खेतड़ी के नजदीक ताम्बे की खानें हैं जहां केन्द्रीय सरकार के हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं और पास में कालेज न होने से यहां के विद्यार्थियों को उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए बड़ी कठिनाइयां होती हैं?

(4) क्या यह सही है कि ता० 26-1-67 को जब मुख्य मंत्री जी खेतड़ी में जल प्रदाय योजना का उद्घाटन कर रहे थे तब सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी कि खेतड़ी के हाई स्कूल में आगामी सत्र जुलाई सन् 1967 से कालेज की कक्षाएं आरम्भ कर दी जावेंगी ? यदि हां, तो इस वर्ष के बजट में कोई प्रावधान रखा गया है या नहीं और सरकार यह कक्षाएं कब से खोलने का विचार कर रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह)–

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) चालू वर्ष में धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है । यदि जन सहयोग द्वारा महाविद्यालय के लिये भवन का निर्माण राजकीय स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जा सके तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में महाविद्यालय स्थापित करने में राज्य सरकार समर्थ हो सकेगी ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न 2 के उत्तर में आपने 'जी हां' बताया है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उससे आपका अभिप्राय क्या है ?

राव श्री धीरसिंह : इसमें आपने पूछा है । क्या यह सरकार के विचाराधीन है कि खेतड़ी में डिग्री कॉलेज बनवाया जाय ताकि उस क्षेत्र के गरीब विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रह जायं । इसके बारे में ऐसा निर्णय लिया गया कि खेतड़ी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कालेज स्थापित किया जाय। लेकिन उसके लिए कन्डीशन यह है कि आप बिल्डिंग स्वीकृत नक्शे के अनुसार बनवा कर दे सकें । इसलिए क्या तैयार हैं ? उसका जवाब आया उसमें यह लिखा कि अलग से बिल्डिंग बना कर नहीं दे सकते। जो मौजूदा बिल्डिंग हैं उसमें इतनी जगह है कि उसमें कालेज चलाया जा सकता है । इसको एक्जामिन कर रहे हैं क्योंकि

(राव श्री धीरसिंह)
बिल्डिंग बनाने से तो वहां लोकल कमेटी के एक जो प्रमुख थे उन्होंने इन्कार कर दिया। इन्कार का लैटर मेरे पास है, आप चाहें, तो मैं बता सकता हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार ने जो आसपास कालेज बनाये हैं क्या उसमें पहली कन्डीशन या प्रिसिडेन्स यह रखा है कि नागरिक बिल्डिंग बना कर देंगे तो कालेज खोला जायगा ? ऐसी स्थिति नहीं हो तो नहीं खोला जायगा । एक प्रश्न और है मंत्री महोदय, क्या राज्य सरकार की यह नीति सही है कि यदि नागरिक लोग भवन के लिए धनराशि या भवन बना कर देंगे तो ही कालेज खोला जायगा नहीं तो राज्य सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए अपनी तरफ से कोई बिल्डिंग की व्यवस्था कर सके ?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर):- इसमें धनाभाव का प्रश्न है इसलिए ही बिल्डिंग बनाने वाली बात के लिए कहा । कालेज नहीं खुल सकता यदि बिल्डिंग नहीं बना कर दे सकते-इसमें जन सहयोग की ही बात है । यह कन्डीशन इसलिए रखी गई है कि भवन बना कर दे देंगे तो कालेज चलाने की पर्मीशन दे देंगे । यही कन्डीशन नहीं, इसके अलावा और भी कन्डीशन हैं, जैसे स्टूडेन्ट पर्याप्त संख्या में होने चाहिए । तो यह कन्डीशन तो धनाभाव के कारण रखनी पड़ी है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है ।

(12 मध्याह्न)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है, गत वर्ष जनवरी में मुख्य मंत्री स्वयं वहां पधारे थे और मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट सेशन से वहां कालेज खोल दिया जायगा। लेकिन आज उत्तर में राज्य सरकार केवल धनाभाव का कारण बता कर कहती है कि शिक्षा में विस्तार नहीं किया जा सकता। धन का अभाव है या नहीं यह मैं नहीं कहना चाहता पर आज राजस्थान का प्रत्येक नागरिक इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि भेड़ बकरियों की तरह से मंत्रियों की भर्ती की जाती है , धनाभाव होता है तो इस तरह भेड़ बकरियों की तरह मंत्री नहीं लिये जाते·····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न ही पूछ रहा हूं, प्रश्न यह है कि एक तरफ शिक्षा के प्रसार को रोकने के लिये धन का अभाव बताया जा रहा है और दूसरी ओर भेड़ बकरियों की तरह मंत्री लिये जा कर उन पर पैसा खर्च किया जा रहा है ····

श्री अध्यक्ष : क्या यह बात सही है ?

श्री शिवचरण माथुर : सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सही नहीं है ।

(हंसी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वहां पैसे वाले बहुत रहते हैं, उनके पैसे का सदुपयोग कराने के लिये ऐसा किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! नेक्स्ट।

जयपुर नगर में जुए के अड्डे

105 **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई व जून 1967 में जयपुर नगर में कुछ स्थानों पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जुए के अड्डे चलने की शिकायत आई० जी०पी० महोदय को की गई ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले एक वर्ष में इस प्रकार के अड्डे ज्यादा चलने लगे हैं ? यदि नहीं, तो गत 5 वर्षों में प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों के यहां छापा मारा गया और कितनों को सजा हुई ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। (2) जी नहीं। पिछले 5 वर्षों में क्रमश : 206, 185, 159, 153 व 145 कैसेज दर्ज हुए हैं। इनमें क्रमश : 510 381, 329, 309 व 253 व्यक्तियों को सजाएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती शिवकुमारी।

खानपुर हाई स्कूल का भवन

106. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खानपुर हाई स्कूल की नई इमारत कब बन कर तैयार हुई और कब से सरकार ने अपने अधिकार में ली हुई है ?

(2) सरकार के अधिकार में ली जाने के बाद से अब तक इसकी मरम्मत व मेन्टीनेन्स में कब कब कितना कितना रुपया खर्च किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि खानपुर हाई स्कूल भवन में जगह जगह पर दरारें पड गई हैं और उसमें लड़कों का पढाना सुरक्षित नहीं है ? यदि हां, तो इस मकान की मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक मरम्मत पूरी होने की उम्मीद है ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) नवीन इमारत सन् 55-56 में बन कर तैयार हो गई थी तथा सन् 57-58 से शिक्षा विभाग के अधीनस्थ है।

(2) सन् 64-65 से 66-67 तक 600) रु० प्रति वर्ष के हिसाब से कुल 1,800) रु० साधारण मरम्मत हेतु व्यय किया जा चुका है।

(3) विभागीय स्तर पर कार्यवाही जारी है तथा आर्थिक सुविधा होने पर मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। दरार पड़ गई है उसके लिये क्या किया गया ?

श्री धीरसिंह : दरार के लिये यह किया गया कि मरम्मत के लिये 600) रु० साल का रखा हुआ है, उनसे मरम्मत कराई गई। जनता द्वारा निर्माण कमेटी बना कर कार्य करवाया गया था, उसमें कुछ डिफेक्ट रह गया, अधूरा रह गया 15,000) रु० सरकार ने खर्च किया है। बेसिक कन्स्ट्रक्शन में डिफेक्ट के कारण क्रेक्स आ गई हैं, पैसा मिलने पर उसे ठीक कराया जायगा, वैसे 600) रु० प्रति वर्ष इसकी मरम्मत के लिये रखा गया है, उससे जितनी मरम्मत हो सकती है वह करवाते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : क्या यह सही है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्रीमती शिवकुमारी : जब सरकार ने इस हाई स्कूल बिल्डिंग को सम्हाल लिया है तो फिर सरकार ने इसकी मरम्मत के लिये छात्रों की सुरक्षा के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की ? इसे सरकार ने सम्हाल लिया है तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। लड़के बाहर बैठ कर पढ़ते हैं। बिल्डिंग में दरारें पड़ी हुई हैं, ऐसे स्कूल में विद्यार्थियों को बैठाने में बड़ा खतरा रहता है कि न मालूम किस वक्त इमारत गिर जाय। तो क्या ऐसी स्थिति में 600) रु० से ज्यादा मंजूरी देकर इसकी अच्छी तरह मरम्मत नहीं कराई जा सकती ?

राव श्री धीरसिंह : जैसी स्थिति आप बता रही हैं कि गिरने की हालत में है, ऐसी स्थिति नहीं है, गिरने की हालत में नहीं है, क्रेक्स आ गये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! और उत्तर दे रहे हैं।

राव श्री धीरसिंह : दीवार में क्रेक्स आ गये हैं, प्लास्टर में, उसकी मरम्मत के लिये 600) रु० रखा गया है सालाना। और धन उपलब्ध होगा तो और मरम्मत कराई जायगी। बिल्डिंग कोई कोलेप्स होने वाली हो ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि खानपुर की जनता ने और वहां के हैड मास्टर ने शिक्षा विभाग को लिख कर भेजा है कि इस स्कूल बिल्डिंग की, कमरों की मरम्मत नहीं कराई गई तो यह बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और इससे छात्र दब कर मर जायेंगे ?

राव श्री धीरसिंह : मरम्मत के लिये लिख कर भेजा है, यह नहीं लिखा है कि बिल्डिंग गिरने वाली है। पब्लिक द्वारा काम करवाया गया है उसमें डिफेक्ट रहा है, सरकार ने उस पर 15,000) रु० लगाया है, 15,000) रु० का और तखमीना बना कर दिया है, जितना रुपया सरकार ने इस बिल्डिंग पर लगाया है उतना ही और तखमीना बना कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : आपके सभी प्रश्न गम्भीर होते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस कड़कड़ाती सर्दी में छात्र बाहर बैठते हैं, क्या यह सही है?

राव श्री धीरसिंह : इस प्रकार की हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि छात्र बाहर बैठते हैं, हम जानकारी कर लेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपको सूचना देता हूं कि इस कड़ाके की सर्दी में छात्र बाहर बैठते हैं, आप कभी भी जा कर देख लें, इस कड़कड़ाती सर्दी में छात्र बाहर बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! गर्मी में बाहर बैठें तो आपत्तिजनक है, सर्दी में बाहर बैठें तो खुशनुमा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय को भी बाहर बैठा कर देखें।

श्री अध्यक्ष : आप तो मंत्री महोदय पर ही बहुत......हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आश्वासन चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आश्वासन तीन बार दे दिया है कि जल्दी पैसा आने पर जल्दी ही कार्य होगा।

(प्रश्न संख्या 107 सम्बन्धित माननीय सदस्य द्वारा वापिस लिया गया)

नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108।

अंक गणित की पुस्तकों में अंग्रेजी लिपि में अंक

108. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कक्षा 3 से समस्त प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों की कक्षाओं में अंक गणित की पाठ्य पुस्तकों में अंक अंग्रेजी लिपि में हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी पाठ्यक्रम का कोई विषय नहीं है? यदि हां, तो विद्यार्थी अंग्रेजी अंकों में शिक्षा कैसे पा सकते हैं?

(3) क्या यह सही कि उपरोक्त कारणों से प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों को राज्य में अंक गणित का अध्ययन करने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार इस समस्या के अविलम्ब समाधान लिये क्या कदम उठा रही है?

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) : (1) जी हां। सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही ऐसा है।

(2) जी हां। साधारणतया छात्र सत्र के प्रथम माह में ही अंग्रेजी अंकों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री नत्थी सिंह : क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय अंक तीसरे दर्जे में पहले महीने में ही सीखेंगे? क्या यह तय कर लिया है?

शिक्षा मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अन्तर्राष्ट्रीय अंक तीसरी कक्षा में फर्स्ट मंथ में सिखा दिये जायं, ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : शिक्षा नागरी लिपि में प्राप्त करते हैं, और हमारी सरकार की नीति है कि प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा उसी भाषा में, उसी बोली में दी जाय जो दूध की, जन्म की मातृ भाषा है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के अंक कहां से आ टपके हिन्द से और दूसरे अंक कहां से आ टपके?

श्री शिवचरण माथुर : नागरी लिपि में तो सिखाते ही हैं पर अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को मान लिया गया है इसलिये सिखाते हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मन्त्री महोदय, मान तो बहुत सी चीजें ली गई हैं। जब हमारी सरकार राज्य भाषा, जो हमारे यहां की मातृ भाषा है, में सम्पूर्ण कार्य करने को सक्षम है तो उन बच्चों के दिमाग पर बोझा डाल कर नागरी लिपि के अंकों के अलावा दूसरे अंक क्यों थोपे जाते हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह आर्डर का सवाल नहीं है····

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर एक्ट में कोई अमेंडमेंट हुआ है?

श्री शिवचरण माथुर: पार्लियामेंट जरिये इस प्रकार का प्रावधान रखा है। अंकों को अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर मानने में कोई एतराज नहीं है इसलिये तीसरी कक्षा से सिखाने की बात आती है, उसकी व्यवस्था सारे स्कूलों में कर दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या यह बतायेंगे कि राजस्थान सरकार के कलेन्डर छप रहे हैं, उन कलेन्डरों में कौन से अंक छाप रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य: क्या दिक्कत है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: पोपुलर करना चाहते हैं, इन्टर नेशनल अंकों को मान लिया है पर इससे कन्फ्यूजन होता है, एक ही क्वेश्चन पेपर में एक जगह हिन्दी के अंक हैं और दूसरी जगह इन्टर नेशनल अंक हैं।

श्री अध्यक्ष: कलेन्डर सारी जनता लिये है, यह विद्यार्थियों का प्रश्न है।

श्री नत्थी सिंह: प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि कक्षा 3 से आपकी सारी अंक गणित की पुस्तकों म अन्तर्राष्ट्रीय अंक दिये गये हैं। यह उचित नहीं है, अंक देवनागरी में होने चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय अंक सिखाने में कोई एतराज नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर: सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती विद्यार्थियों को।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री पूनमचंद विश्नोई (सभापति, विशेषाधिकार समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति.....

श्री रामानन्द अग्रवाल: प्रश्न संख्या 92 को लिया जाय या स्थगित कर दिया जाय, सदन ऐसा चाहता है।

श्री अध्यक्ष: बाकी के लिए सदन की इच्छा नहीं है ?

ज्युडिसियरी का एग्जिक्यूटिव से सेपरेशन

92. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में ज्युडिसियरी को एक्जीक्यूटिव से पूरी तौर से अलहदा करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक अलहदा कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) अब तक जो पारशियल सेपरेशन जुडिसियरी का एक्जीक्यूटिव से हुआ है, वो एक्जीक्यूटिव इन्स्ट्रक्शन द्वारा हुआ है, लेकिन Criminal Procedure Code में इसकी बाबत कब तक तरमीम की जाने की उम्मीद है ?

विधि मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लेकिन फाइनल निर्णय कैबीनेट के सामने जाना बाकी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कैबीनेट का फैसला होने के बाद पूरी तरह से इस सवाल का जवाब दिया जाय। इसलिए 15 दिन की मोहलत दी जाय।

एक माननीय सदस्य: इस माननीय सदस्य को मंत्री बना दो तो फिर आपसे सवाल नहीं करेंगे।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

फलौदी में बिजली के कनेक्शन प्राप्ति व बिलों के भुगतान की व्यवस्था

91. **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलौदी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फलौदी बिजलीघर से कनेक्शन प्राप्ति व बिल भुगतान व्यवस्था फलौदी से हटाकर पोकरण में क्यों रखी गई है और अब उसे पुन: उपभोक्ताओं की सहूलियत की दृष्टि से फलौदी में कब से शुरू किया जा रहा है ?

उत्तर

विद्युत् मण्डल ने अपने पुनर्गठन के फलस्वरूप बिल भुगतान एवं कनेक्शन प्राप्ति पोकरण में रखी है वापस वही व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

मुअत्तिल पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी

107. **श्री हरलाल सिंह खर्रा** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में इस समय कितने पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मुअत्तिल हैं व कितने कितने समय से ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ कर्मचारियों को मुअत्तिल करने से पहले चार्ज शीट नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) केवल 20 अधिकारी व कर्मचारी निलम्बित हैं जिनमें दो उप-निरीक्षक, 5 मुख्य आरक्षीगण, तथा 13 आरक्षीगण हैं। संलग्न सूची में विवरण दिया गया है।

(2). जी हां। निलम्बन करने के पूर्व चार्जशीट दे देना अनिवार्य नहीं है। निलम्बन प्राय: सम्बन्धित मामलों की गम्भीरता को देखते हुए किया जाता है ताकि दोषी कर्मचारी के खिलाफ जांच के दौरान उसके द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सके। यदि कोई कर्मचारी किसी क्रिमिनल केस में दोषी होता है या किसी अन्य गम्भीर मामले में इनवाल्व होता है तो उसका निलम्बन तुरन्त ही किया जाता है। चार्जशीट प्रारम्भिक जांच पश्चात् दी जाती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान विद्युत् बोर्ड

27. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान विद्युत् बोर्ड के कौन कौन सदस्य हैं और कब कब से ?

(ख) इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है ?

उत्तर

(क) इस समय राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के निम्न सदस्य-उन के नाम के सामने अंकित तारीख से हैं :—

(1). श्री एस. एल. खुराना, अध्यक्ष दिनांक 4-4-66

(2). श्री ओ. पी. गोयल, लेखा एवं वित्त सदस्य, दिनांक 13-7-67

(3). श्री शिवप्रकाशम्, प्राविधिक सदस्य, दिनांक 22-1-68

(विद्युत् मंत्री)

(4) श्री सोहनलाल सिंघानिया, सदस्य, दिनांक 31-10-65,

(5) श्री जे. पी. सक्सेना, सदस्य, दिनांक 10-11-67,

(6) श्री दुर्गा शंकर दुर्गावत, सदस्य, दिनांक 10-11-67,

7. सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, सदस्य, दिनांक 29-9-60,

(ख) नियुक्ति बिजली रसद एक्ट, 1948 की धारा 5 के तहत की गई।

पुलिस थाना क्षेत्र लाडनूं में आकस्मिक मौतें।

28. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना लाडनूं, जिला नागौर, के क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कितनी आकस्मिक मौतें हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जिले के दूसरे थानों से इस थाने के क्षेत्र में इसी अवधि में सब से ज्यादा आकस्मिक मौतें हुई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत है कि स्थानीय पुलिस कर्मचारियों का इसमें हाथ है ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में पुलिस थाना लाडनूं, जिला नागौर, में 16 आकस्मिक मौतें हुई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

नगरपालिका बारां के घायल कर्मचारी को सहायता।

29. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका का एक हरिजन कर्मचारी, गत २-३ वर्ष पूर्व बिजली के खड्डे व खम्बे लगाते वक्त घायल हो गया था ? यदि हां, तो उस कर्मचारी का नाम क्या है ? तथा कौनसी तारीख को घायल हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि वह कर्मचारी अब चलने में असमर्थ हो गया है ?

(3) क्या उस घायल कर्मचारी का इलाज नगरपालिका ने करवाया है ? यदि करवाया तो, कहां-कहां पर इलाज करवाया और उस पर पालिका कोष से कितना खर्चा हुआ ?

(4) क्या नगर पालिका ने उस घायल हरिजन कर्मचारी को घायल अवस्था में उसके परिवार के पोषण के लिये माहवारी सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी सहायता की गई ?

(5) इस समय इस कर्मचारी की क्या हालत है ?

उत्तर

(1) श्री लल्लू पुत्र तुलसी हरिजन दिनांक 23-5-65 को पेड़ की डाल काटते समय पेड़ से अचानक गिर गया जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई थी।

(2) जी नहीं।

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी नहीं।

(4) कर्मचारी के सेवा में होने से अतिरिक्त मासिक सहायता देने का तो प्रश्न उपस्थित नहीं होता लेकिन अन्यथा राहत पहुंचाने की दृष्टि से इनकी पत्नी को नगर पालिका सेवा में रख लिया गया है तथा कर्मचारी को पार्क में चौकीदार के स्थान पर नियत कर दिया गया है।

(5) कर्मचारी पालिका की सेवा में है।

सुमेरपुर की नल योजना

30. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सुमेरपुर, जिला पाली में गत ग्राम चुनावों के पहले नल-योजना (पहिले से स्वीकृत हुई) शीघ्र ही चालू करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो वहां नल-योजना चालू होकर ग्राम जनता एवं औद्योगिक बस्ती को पानी कब तक दिया जावेगा ? देरी होने का क्या कारण है ?

उत्तर

सुमेरपुर की जल प्रदाय योजना चालू है इस समय वहां पर करीब 140 कनेक्शन हैं। औद्योगिक बस्ती की एक अलग योजना है जो पूर्ण की जा चुकी है, किन्तु उसे चालू करने के लिये धन (Maintenance Charges) की व्यवस्था न होने के कारण बन्द पड़ी है। अगर वहां के उद्योगपति अथवा उद्योग विभाग मेन्टीनन्स का माहवारी खर्चा द तो औद्योगिक बस्ती की योजना से भी औद्योगिक ... जल की सप्लाई चालू की जा सकती है।

ग्राम कापरेन में मीठे पानी की व्यवस्था

31. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम कापरेन (जिला बूंदी) में क्या खारा पानी है ?

(2) सरकार इस ग्राम की जनता को मीठे पानी की उपलब्धि की क्या व्यवस्था कर रही है ?

(3) क्या इसका मास्टर प्लान भी तैयार कराया गया है ?

(4) क्या सरकार की ऐसी योजना है कि जहां पर खारा पानी हो वहां की जनता को मीठा पानी उपलब्ध कराने की प्राथमिकता दी जाती है ?

(5) कापरेन की जनता को कब तक मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना बनाई जा रही है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) योजना बनाई जा रही है। योजना की स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर आग कार्यवाही की जावेगी।

खेडली मंडी की नल योजना

32. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या जल-प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेडलीमंडी (अलवर) की नल-योजना पर कितना व्यय किया जाना है ?

Page No.33

(श्री गंगा सहाय)

(2) अब तक इस योजना पर सरकार ने कितना रुपया व्यय किया है ?

(3) इस योजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ ?

(4) अब यह नल योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी ? कब तक खेंडली मंडी की जनता को नल का पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

उत्तर

(1) योजना की अनुमानित लागत 3 लाख रुपये है। उसके मुकाबले में 3.06 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं और 20,000रु० बाकी बचे हुए कार्यों पर खर्च होने की संभावना है।

(2) 3.06 लाख रुपया।

(3) माह अगस्त, सन् 1964 में।

(4) योजना का निर्माण कार्य प्राय: विभाग की तरफ से पूर्ण किया जा चुका है। पाइप लाइन का टैस्टिंग होना बाकी है जो बिजली के आने के बाद ही किया जायेगा तथा साथ ही बिजली आने के एक माह पश्चात् जल-संधारण कार्य शुरू कर दिया जावेगा।

ललितकला अकादमी द्वारा आयोजित प्रदर्शनी पर व्यय

33. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष गत पांच साल में कौन थे ?

(2) इस अकादमी के तत्वावधान में कितनी प्रदर्शनियां कहां-कहां लगाई गई हैं और उन पर कितना-कितना खर्चा हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि जयपुर में लगी एक प्रदर्शनी में जो चित्र प्राप्त हुए थे उनके नेगेटिव चित्रों सहित चोरी चले गये थे ? यदि हां, तो क्या पुलिस उस चोरी का पता लगा सकी है ? इस प्रदर्शनी में किस किस को पुरस्कार दिया गया था ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों से श्री राम निवास जी मिर्धा अध्यक्ष हैं।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। पुलिस में रिपोर्ट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं:—

(1) श्री जी. पी. मेहता।

(2) श्री लीलाधर।

(3) श्री केसरीमल।

(4) श्री सुरेन्द्र कुमार कल्ला।

(5) श्री डी. एम. मेहता।

(6) श्री सूरज एन. शर्मा।

(7) श्री चतुर भाई के. पटेल।

(8) श्री बी. डी. आचार्य।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई है)

साहित्य, संगीत एवं नाटक तथा ललित कला अकादमी के कार्यालय

34. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी, संगीत एवं नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी-तीनों अकादमियों को तीन पृथक 2 स्थानों पर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि इन तीनों अकादमियों को अलग 2 स्थानों पर रखने के कारण जनता की गाढ़ी कमाई का तीन हजार रुपया व्यर्थ खर्च होता है ?

(3) क्या यह सही है कि इन तीनों अकादमियों को अलग 2 स्थानों पर रखने का केवल यही कारण है कि इनके अध्यक्ष तीन अलग 2 स्थानों पर ही उपलब्ध हैं ?

(4) क्या यह सही है कि 13 लाख रुपये की लागत से रामनिवास बाग जयपुर में रवीन्द्र रंगमंच की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये की गई है कि उपरोक्त तीनों अकादमियों का कार्य सुचारु रूप से चलाया जा सके ?

उत्तर

(1) राज्य की तीनों अकादमियों के विधानों में इन संस्थाओं के हैड-क्वार्टर्स पृथक पृथक स्थानों पर ही रहने का प्रावधान है। उद्देश्य यही रहा है कि अकादमियों के कार्यों का केन्द्रीकरण न होकर उसे व्यापक बनाया जाय और यथा सम्भव लेखकों व कलाकारों को एक ही स्थान पर होने वाले सांस्कृतिक गतिविधियों में सीमित न रखा जाय।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) रवीन्द्र मंच की स्थापना का मूल उद्देश्य रंग मंच की गति-विधियों को व्यापक रूप देना था और भवन के निर्माण के समय यह अवश्य सोचा गया था कि ललित कला अकादमी को यहीं स्थापित किया जाय किन्तु पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध न होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। रवीन्द्र मंच की स्थापना के समय अन्य अकादमियों को जयपुर में लाने का प्रश्न ही नहीं उठा था।

राजस्थान तरुण कलाकार परिषद् को आर्थिक सहायता

35. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तरुण कलाकार परिषद् को आर्थिक सहायता दी गई है ?

(2) यदि दी गई है तो कब व कितनी सहायता दी गई ?

(3) यह सहायता तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा संगीत नाटक अकादमी एवं राजस्थान तरुण कलाकार परिषद् दोनों के अध्यक्ष होने के कारण दी गई थी अथवा इसलिये दी गई कि उक्त परिषद् का संगीत नाटक के क्षेत्र में रचनात्मक योगदान था ?

(4) क्या अब भी उक्त परिषद् का इस क्षेत्र में वही योगदान है ? यदि है, तो क्या आज भी सहायता उसी प्रकार दी जा रही है जैसे पहले दी जाती थी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(शिक्षा मंत्री)

(2) दी गई सहायता की विस्तृत सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सहायता संस्था की स्वतन्त्र गतिविधि व अकादमी की कुछ योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रमों के आयोजन हेतु दी जाती रही है।

(4) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

कन्या पाठशाला, केकड़ी की अध्यापिका

36. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी नगर में कन्या पाठशाला केकड़ी में मोहन कुंवर नाम की एक अध्यापिका है?

(2) इसको केकड़ी नगर में कितने साल हो गए हैं?

(3) क्या सरकार इसका तबादला करने का विचार रखती है?

(4) अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) अनुमानत 14 साल हो गये हैं।

(3) इस अध्यापिका द्वारा स्थानान्तरण के लिये न तो कोई आवेदन दिया गया है। और न ही इसके विरुद्ध कोई शिकायत है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, धौलपुर के प्रधानाध्यापक व अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

37. **श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल, धौलपुर में इसी वर्ष समाप्त होने वाले सत्र में छात्रों ने क्या कभी हड़ताल की थी? यदि हां, तो कब और क्यों?

(2) क्या यह भी सच है कि छात्रों ने इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा अन्य दो या तीन अध्यापकों पर रुपया एंठने, आदि के अनेकों आरोप लगाये थे? यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गई? जांच के क्या परिणाम रहे? यदि जांच नहीं की, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। 1966-67 सत्र में बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल धौलपुर में दिनांक 20-8-66 को छात्र अध्यापकों ने उद्योग अनुदेशक द्वारा श्री रामनिवास शर्मा छात्र अध्यापक को चांटा मार देने के कारण हड़ताल की थी।

(2) जी हां। जांच करवाई गई, जिसके फलस्वरूप आरोप निराधार पाये गये तथापि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक तथा अन्य दो अध्यापकों के स्थानान्तरण के आदेश दिये गये।

(12.11 म० प०)

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (सभापति, विशेषाधिकार समिति): अध्यक्ष महोदय

(श्री पूनमसिंह विश्नोई)

में विशेषाधिकार समिति के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

जब सदन सत्र में नहीं था तो ये प्रतिवेदन प्रक्रिया के नियम 205 के अधीन जारी किये गये निदेश संख्या 3 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किये गये थे तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके मुद्रण, प्रकाशन एवं परिचालन के आदेश भी दिये गये थे।

राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक पर प्रवर समति का प्रतिवेदन तथा उक्त विधेयक को वापिस किया जाना

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य।

श्री मथुरादास माथुर !

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक 1967, प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, 1967 को वापस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूं कि केवल वापिस ले रहे हैं किसी को खुश करने के लिये या इसके बजाय और कोई बिल ला रहे हैं? वापिस लेने के कारण क्या हैं?

श्री मथुरादास माथुर : आप तो पहले ही उठ खड़े हुए। मैं कारण ही तो बता रहा था।

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के सामने जो वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, 1967 पेश किया गया था उस पर चर्चा के बाद वहां प्रवर समिति में यह निर्णय लिया गया और सभी प्रवर समिति के माननीय सदस्यों की यह राय रही कि यह विधेयक, और इसके साथ राजस्थान के अन्दर जो हाउस टैक्स म्युनिसिपैलिटीज द्वारा लगाया जाता है, और इसके साथ जो वेकेन्ट लैंड पर जो टैक्स लगाया जाता है, इन सभी को मिलाजुला कर एक ही विधेयक लाया जाय जिससे काम का डुप्लीकेशन न हो। इस तरह से विचार करने के बाद में यह निर्णय लिया गया कि एक ही बिल कन्सोलिडेटेड फार्म में लाया जाय। वह कन्सोलिडेटेड बिल इसी सत्र में ही मैं पेश करूंगा। इसलिये मुझे राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, 1967 को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान वाणिज्यिक तथा औद्योगिक भू-गृहादि कर विधेयक, 1967 को वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदस्य विधान सभा ने जयपुर नगर में कच्ची व गन्दी बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को उनके स्थानों से हटाने के बाबत जयपुर नगर सुधार न्यास द्वारा नोटिस दिये जाने एवं कई स्थानों से कच्ची झोंपड़ियां हटवाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला इतना अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर आज विचार किया जाय। फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि स्वायत्त शासन मंत्री स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्रातिशीघ्र एक वक्तव्य दें।

मैं स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्री तो बीमार हैं, तो क्या उनके बजाय दूसरे मंत्री देंगे ?

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री मुकुटबिहारी लाल : (बयाना) : यह जो स्थगन प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में जयपुर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों में बहुत बड़ा असन्तोष है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल : एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री मुकुटबिहारी लाल : उसको लेकर के··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आर्डर ! माननीय सदस्य। मैंने निवेदन किया है कि सम्बंधित मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे अथवा उनके बजाय दूसरे देंगे, उसके बाद ही आपका कोई स्पष्टीकरण का प्रश्न उठता है। फिर भी आप बोलना चाहें तो मुझे एतराज तो है। एतराज इसलिये कि आगे जो आज भाषण होने वाले हैं उनके लिये कम समय मिलेगा और अन्त में जाकर बडा मुश्किल होगा। कई माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे और मैं एक एक मिनट बचाना चाहता हूं। इसलिये मैंने निवेदन किया।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर पालिका के प्रशासक और रेवेन्यु ऑफिसर मिल कर····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री : वहां पर रेवेन्यु आफिसर ने भ्रष्टाचार फैला रखा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवानदास शास्त्री : वहां की स्थिति बहुत ही विचारणीय है और स्थिति और बिगड़ जायेगी। गवर्नमेंट को वहां जाकर कंट्रोल करना चाहिये··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैंने कुछ स्थगन प्रस्तावों के बारे में निवेदन किया। दूसरे जो प्रस्ताव माननीय सदस्यों के हैं मैंने उन पर जानकारी प्राप्त की है। कई प्रस्तावों पर स्टेटमेंट देने का भी निर्णय किया है या कर रहा हूं। अब

(श्री अध्यक्ष)
माननीय सदस्य इस वक्त मुझे इन्टरोगेट करें कि मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ तो मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कहूं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं कुर्सी छोड़ूं तो माननीय सदस्य कृपया मुझसे पूछलें । लेकिन यहां सदन का समय, मैं अपव्यय तो नहीं कहता हूं, लेकिन व्यय न करें। यह मेरा निवेदन है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव हमने दिये हैं वे आपक पास पहुंचे भी या नहीं यह कैसे मालूम हो?

श्री अध्यक्ष : आप मेरे पास पधार आयें अगर नहीं पहुंचा होगा तो भी मैं खींच कर लाऊंगा।

श्री विजय सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है वह तो हम मानते हैं लेकिन स्थगन प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके पास नहीं आये··

श्री अध्यक्ष : कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिये मैं यहां नहीं हूं। मैं मौन हूं। आप अपने अधिकारों से बाहर जा रहे हैं।

श्री विजयसिंह रावत: मैं अपने अधिकारों में ही हूं। मैंने मेंज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस पढ़ रखी है।

chair is on legs.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री इस बात का तो उत्तर दें, एक 16 वर्ष की बालिका का अपहरण किया गया और·······

श्री अध्यक्ष : आज इस पर स्टेटमेंट हो रहा है। आपने मुझे कुछ कहने का मौका तो दिया ही नहीं। माननीय सदस्य इसके सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था कि तहसील हिन्डौन के अन्दर चने की खेती के अन्दर कीड़ा लगने के कारण जो····

श्री अध्यक्ष: जानकारी के लिये भेजा गया है। जानकारी होने पर निर्णय दिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपने परसों आश्वासन दिया था कि एक-दो दिन में सम्बंधित मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : सुविधानुसार हाउस में शब्दों का जो प्रयोग किया है वह है एक-दो दिन में सुविधानुसार।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मेरे इन दोनों··

श्री अध्यक्ष: आर्डर ! आर्डर !

मैं फिर निवेदन करूंगा कि I am open to access में माननीय सदस्यों को पूर्ण संतोष उनके स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में देने का प्रयास करूंगा। अधिक से अधिक स्टेटमेंट माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों पर दिये जायं यह भी प्रयास करूंगा। आप, जब मैं आसन पर बैठा हूं, मुझ से बार बार उन्हीं प्रश्नों के विषय में पूछ रहे हैं। मैंने यह विश्वास दे दिया है कि मेरे यहां से जाने के बाद आप एक दो मिनिट मेरे साथ व्यय करलें। मैं उन सब का समाधान कर दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि गत सत्र में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
भी स्थगन प्रस्तावों के विषय में तमाम विरोधी दलों ने एक पत्र लिखा था कि स्थगन प्रस्ताव के विषय में आप व्यवस्था करें। जिनका उल्लेख यहां सदन में न हो और तिथि निश्चित न हो और वह तिथि एक हफ्ते बाद तक चली जाय तो उन प्रस्तावों की अहमियत समाप्त हो जाती है। उन स्थगन प्रस्तावों का यहां सदन में उल्लेख हो और उनमें से कोई अहमियत का होता है तो माननीय सदस्यों को उल्लेख करने का मौका दिया जाय। वह व्यवस्था करेंगे तो उचित होगा अन्यथा स्थगन प्रस्तावों की इम्पोर्टेन्स दब जाती है।

श्री अध्यक्ष: सदन में उल्लेख करने की ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष: मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि उल्लेख करने की स्थिति ही पैदा न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप डेट भी दे देंगे लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आज ही उनका उत्तर चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों की शंकाओं का समाधान यथाशक्ति करने का प्रयत्न करूंगा।

माननीय गृह मंत्री !

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये। एक तो मिट्टी के तेल के बारे में।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप मुझ से बात करके गये हैं। मैंने प्रयत्न किया है कि जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समाचार पत्रों की हड़ताल······

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

अभी यह स्थगन प्रस्ताव आया। माननीय सतीशचन्द्र जी ने अभी दिया। मैंने निर्णय ले लिया है। मेरे ख्याल से यह कल की बिजनेस लिस्ट में आ जावेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान कैनाल में······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

माननीय गृह मंत्री !

श्री रामकिशन : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : प्रस्ताव आपके सामने पेश किया वह एक सार्वजनिक महत्व का है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! व्यवस्था का प्रश्न है।····

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह बड़े महत्व का प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : व्यवस्था का प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, कि कल भरतपुर की बाढ़ के सम्बन्ध में यह व्यवस्था दी गई थी कि वक्तव्य दिया जावेगा। मैं यह जानकारी चाहूंगा कि आज वक्तव्य दिया जायेगा ?

Page No.40

श्री अध्यक्ष : मैं इसको व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं मानता फिर भी जानकारी देना चाहूंगा।

श्री रामकिशन : आज वक्तव्य देना है।

श्री अध्यक्ष : वह स्टेटमेंट देने के लिये भेज दिया गया है। तिथि आज तय कर देंगे।

श्री रामकिशन : राजस्व मंत्रीजी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि तैयार हैं तो मैं आज ही अकमोडेट कर लूंगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): एक ही प्रस्ताव में दो बातें उठायी गयी हैं, अध्यक्ष महोदय। एक राजस्व से और दूसरी सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है। राजस्व के सम्बन्ध में तो मैं जवाब दे दूंगा।

श्री रामकिशन : सिंचाई मंत्री भी तैयार हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): मुझे सूचना किसने दी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। इसका स्टेटमेंट कल दे देंगे। सिंचाई मंत्री जी आज तैयार नहीं हैं।

श्री रामकिशन : मुझ से कहा सिंचाई मंत्रीजी ने, तैयार हूं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ स०): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुशलगढ बांसवाड़ा में लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय हीराभाई। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बाढ से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव का···

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष: माननीय बुरड़क !

श्री रामकिशन: ये आर्य हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य: प्रक्रिया तथा नियमों के नियम 119 के तहत कल एक सार्वजनिक महत्व का प्रस्ताव दिया था। राजस्थान केनाल क्षेत्र में 5 फरवरी को जमीनें नीलाम होने जा रही हैं और इसमें देरी करेंगे तो गंगानगर का ही नहीं राजस्थान के भूमिहीन काश्तकारों का बड़ा भारी नुकसान होगा। इसलिये यह प्रस्ताव सबसे पहले लेना चाहिये। आप बार बार व्यवस्था दे देते हैं इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में भूमि नीलाम के जो नियम बना कर काश्तकारों को तबाह करने के लिये 5 फरवरी को पूंजीपतियों के हाथ में काश्तकारों की जमीनें बेंची जा रही हैं इसको आप सार्वजनिक महत्व का नहीं मानें तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। भूमिहीनों को 15 बीघा जमीन देने का ऐलान किया है। सदन में शीघ्रातिशीघ्र इस पर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं शीघ्रातिशीघ्र इसको लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: समय निर्धारित कर दीजिये इतना ही हम चाहते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर में बाढ़...

श्री हीरा भाई : बांसवाड़ा...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय मुकुटबिहारीजी ! माननीय श्रीहीराजी.........

श्री रामचन्द्र आर्य : बहुत ही गम्भीर मसला है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय आर्य। मैंने विश्वास दिलाया है कि मेरे पास प्रस्ताव है मैं माननीय नेता महोदय से इस सम्बन्ध में बात करके तिथि निश्चित कर दूंगा।

श्री हीरा भाई : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी। बांसवाड़ा में अकाल है और वहां लगान और तकावी वसूल की जा रही है।

श्री रामकिशन: यह बड़ा भारी गम्भीर मसला है।

श्री हीरा भाई : आपने व्यवस्था दी थी और अभी परसों की तरसों हो गयी। जवाब नहीं दिया जा रहा है। जवाब दिलाया जाय। समस्या हल नहीं हो सकेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आज ही लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननाय आर्य ! आप स्थान ग्रहण करें। मैंने बहुत नम्रता से निवेदन किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह महत्व का विषय है.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! महत्व का समझ लिया है।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बार बार खड़े होने पर)

ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ! माननीय आर्य।

श्री विजयसिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर) माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विजयसिंह रावत : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि स्थगन प्रस्ताव आते हैं, आप निर्णय दिये जाते हैं। मंत्री और डिपार्टमेन्ट कन्सर्न्ड उस दायरे में उसको पूरा नहीं करते और पूरा नहीं करने के कारण विधान सभा की बैठक छः छः महीने के बाद होती है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिससे हम सब को संतोष हो।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर !

माननीय गृह मंत्री

श्री विट्ठल : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा की बड़ी भयंकर स्थिति है।

श्री रामकिशन : हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह पता हो जाय कि वक्तव्य कब दिया जायगा। दरअसल यह कह दिया गया था कि आज जवाब दिये जावेंगे इसलिये यह अव्यवस्था हो रही है। कब दिये जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को आमन्त्रित कर यह बता दूंगा कि यह प्रस्ताव कब लिये जावेंगे।

श्री नत्थीसिंह : कल उपाध्यक्ष महोदय, आसन पर थे। यह कहा गया कि बांसवाड़ा में भुखमरी सम्बन्ध में वक्तव्य दिया जावेगा। इतना ही जानना चाहते हैं कि यह कब दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(12.30 म. प.)

जोधपुर की मुसम्मात मंगला के अपहरण व उसकी हत्या संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर गृहमंत्री का वक्तव्य

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गोयल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी द्वारा जोधपुर नगर में दिनांक 16-1-68 को मुसम्मात मंगला पुत्री श्री किशन दास सिंधी को उड़ाकर ले जाने और हत्या करने की घटना की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने व जोधपुर नगर में भय व आतंक का निर्माण होने का उल्लेख करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

इस विषय में जिला पुलिस से जानकारी प्राप्त हुई है, जिससे यह पाया जाता है कि कृष्णदास सिन्धी की 14 वर्षीय लड़की मंगला दिनांक 16-1-68 को रात 10 बजे बाजार दूध लाने गई थी। उसके काफी समय तक न लौटने पर श्री कृष्णदास ने थाने में यह रिपोर्ट की और यह बताया कि उसका शक रशीद नामक ड्राइवर पर है जो काफी देर से उसके मकान के आस पास घूम रहा था। इस सूचना पर पुलिस स्टेशन डिविजन (ए) पर मुकदमा हस्ब दफा 366 दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू हुई। दौरान तफतीश रशीद दिनांक 19-1-68 को गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि उसने मुसम्मात मंगला को उसके साथ भाग चलने को कहा, पहले तो वह राजी हो गई व दोनों बाई जी के तालाब की ओर गये किन्तु फिर उसने अपना विचार बदल दिया जिस पर उसने उसे तालाब में धक्का दे दिया। मुल्जिम की निशानदेही से लड़की की लाश तालाब से बरामद हो चुकी है व उसकी पोस्ट मार्टम से उसकी मृत्यु डूबने से बताई गई है। उक्त सूचना के बाद मुल्जिम के खिलाफ दफा 302 का चार्ज भी बढ़ाकर तफतीश अभी जारी है। मुल्जिम रशीद मोटर ड्राइवर है और गिरफ्तार हो चुका है। अनुसन्धान में किसी प्रकार का दवाब व बाधा नहीं पहुंची है और तफतीश कार्य अधीक्षक आरक्षी जोधपुर स्वयं की देखभाल में चल रहा है। जोधपुर नगर में इस घटना के फलस्वरूप कोई आतंक नहीं है वहां पूर्ण शान्ति-व्यवस्था बनी हुई है। पुलिस अपनी कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी की ओर पूर्ण सजग है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या यह सही है कि लड़की के फरार होने पर सबसे पहले मौखिक रिपोर्ट थाने में पेश की गई थी ? क्या यह सही है कि इस मौखिक रिपोर्ट के करने के पश्चात् पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं ली ? क्या यह सही है कि लिखित रिपोर्ट के अन्दर जब मृतक के पिता स्वयं ने मुल्जिम का नाम बताया, तब जाकर मुल्जिम को गिरफ्तार किया ? क्या यह सही है कि मृतक के साथ तालाब में फेंकने के पहले बलात्कार किया गया था ? क्या यह सही है कि इसमें जो मुल्जिम पकड़ा गया है वह ही शामिल नहीं बल्कि और लोग

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

भी शामिल हैं ? क्या यह सही है जो मुल्जिम पकड़ा गया है वह किसी गैंग से सम्बन्ध रखता है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रकार की घटनायें केवल जोधपुर में ही नहीं हुई हैं बल्कि राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों में हो रही हैं। राजस्थान के अन्दर एक प्रकार का गैंग सक्रिय है जो कि महिलाओं को उड़ाकर ले जाता है और बड़े शहरों में ले जाकर उन्हें बेचता है। मैं आपको इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा गृह मंत्री जी को स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में होने वाली घटना बताता हूं, टोडारायसिंह की एक लड़की को एक मुल्जिम भगा कर ले जाता है। वेरियस पोजेज के फोटो हैं उस लड़की के और उस लड़की को बम्बई ले जाना चाहते थे इसलिये, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं कि एक मुल्जिम गिरफ्तार किया गया लेकिन इस घटना के पीछे जो घटनायें बढ़ रही हैं-वह केवल व्यक्ति के जुर्म करने की मंशा से नहीं हैं बल्कि एक बड़ा भारी गैंग राजस्थान में सक्रिय है जो लड़कियों को उड़ाकर ले जाता है और बड़े बड़े बाजारों में बेच देता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर !

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे इस प्रकार के उठाये हैं जिससे इस केस का कोई संबंध नहीं है। टोडारायसिंह की एक लड़की, जो बारां जा रही थी, का संबंध इससे नहीं है। यह घटना दूसरी है और दूसरे ही कोई उड़ाने वाले हैं। दूसरे राजस्थान में कोई इस प्रकार का गैंग है, मेरी जानकारी में नहीं है और न ही कोई मेरे पास ऐसी सूचना आई है। परन्तु मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी होऊंगा कि ऐसी सूचना मुझे देंगे जिससे इस गैंग का पता लग सके और गिरफ्तार हो सके।

एक माननीय सदस्य : आपकी सी. आई. डी. क्या करती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी सी. आई. डी......(अश्रव्य)

आज इसी के संबंध में एडजोर्नमेंट मोशन दिया गया है। इससे टोडारायसिंह का संबंध नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : दूसरी बात आपने कही कि एक मौखिक रिपोर्ट दी गई। अध्यक्ष महोदय, रिटिन रिपोर्ट भी दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में कोई इन्ज्यूरी नहीं है। यह कहना कि उसके साथ रेप किया गया बहरहाल उसकी मृत्यु डूबने से हुई है। पुलिस तत्परता से, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस अपनी निगरानी के अन्दर खुद तफतीश कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। पूरी तफतीश हो रही है, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। अगर सही तफतीश नहीं हो रही है तो आप मुझे बतायें, मैं तुरन्त एक्शन लेने को तैयार हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की रियायत करने की नहीं है। लिखित रिपोर्ट उसने 3 बजे दी है-अपने हाथ से लिखकर। मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है। बहरहाल सरकमस्टेंशियल और कॉरोबोरेटिव एवीडेन्स ली जा रही हैं। जो सूचना मिलनी चाहिये वह कलेक्ट की जा रही है। पुलिस एस. पी. इसके अन्दर जांच कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता

(श्री दामोदरलाल व्यास)
हूं कि उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होगी और अगर आपके कोई नोटिस में आये तो मुझे बताइयेगा ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस के साथ ऐसे गेंग मिलकर काम करते हैं और अनेक प्रकार के अत्याचार और व्यभिचार करते हैं और इस प्रकार अपहरण करने की घटनाओं में पुलिस सक्रिय है ? इस बारे में इस विधान सभा के........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

एक माननीय सदस्य : आपके पास डी. ओ. लेटर आया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उसके लिये अलग से सवाल पूछ लीजिये । मैं आज इस एडजार्नमेंट मोशन के बारे में कह सकता हूं ।

जनसंघ कार्यकर्ताओं (अटरू) के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर गृह मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : दूसरा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, माननीय श्री देवीदत्त गाडिया ने दिनांक 17-1-68 को श्री राम चरण, मंत्री समाज कल्याण के अटरू जाने के सिलसिले में विशेष पुलिस प्रबन्ध व पुलिस द्वारा जनसंघ कार्यकर्त्ताओं के साथ दुर्व्यवहार का उल्लेख करते हुए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है । इस विषय में सूचना प्राप्त की गई है । यह पाया जाता है कि दिनांक 17-1-68 को अटरू में कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से 35 कान्सटेबल, 5 हैड कान्सटेबल व 2 सी. आई. विशेषरूप से अटरू भेजे गये थे । यह पुलिस दल वहां से लौट भी आया है । श्री चतुर्भुज प्रधान, पंचायत समिति, अटरू के खिलाफ अभियान काफी समय पूर्व से चल रहा है । पुलिस का इस अभियान से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है । पुलिस की ओर से किसी भी जनसंघ कार्यकर्त्ता के साथ दुर्व्यवहार की कोई भी घटना नहीं हुई है । न किसी सरपंच या पंच को बुलाकर धमकाया ही गया है । जबरन किसी को जीप में बिठाकर किसी अन्य स्थान में ले जाने की सूचना भी निराधार व मनगढ़ंत है । स्थगन प्रस्ताव में जो बातें पुलिस के खिलाफ कही गई हैं वे आधारहीन हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक निवेदन करूं, मैं खुद वहां पर था और जब मैं बारां से लौटकर आ रहा था तो विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरप्रसाद जी के चोट देखी थी और इसके अलावा चार आदमी और थे जिनके नाम नहीं जानता ।

श्री देवीदत्त गाडिया : वह पहले की घटना है ।

श्री रामकिशन : फिर मुझे मालूम नहीं । इसका मतलब यह है कि हर महीने जनसंघ के सदस्य पिटते रहते हैं क्या ?

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उप-मंत्री जी जिस समय वहां पहुंचे-17 जनवरी को, उनका एक निजी काम था और उस निजी काम के कारण वे अटरू गये थे

Page No.45

(श्री देवीदत्त गाडिया)

तो उस समय वहां पर 200 पुलिस के सिपाही, 5-7 थानेदार, दो डी. वाई. एस. पी. एक एडीशनल कलेक्टर और एस. डी. एम. थे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब उनका निजी काम था तो इतने पुलिस वाले किस कारण भेजे गये थे ?

एक माननीय सदस्य : उनका व्यक्तिगत काम था तो.....।

श्री अध्यक्ष : आप वहां थे कि नहीं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय दूसरा प्रश्न यह है कि जनसंघ के एक कार्यकर्ता श्री प्रेमचन्द शुक्ला बारां जा रहे थे, जैसे ही वे रेलगाड़ी से बाहर आये। आते ही पुलिस के सिपाहियों ने तथा एक डी. वाई. एस. पी. ने घेर लिया। और उनको कहा गया, तुम क्यों आये ? जनसंघ के कार्यकर्ता निजी काम से गये थे। वहां की पुलिस ने डी.वाई. एस. पी. ने उनको जबरदस्ती पकड़ कर पुलिस जीप में बिठाकर वापिस बारां लाकर छोड़ दिया। अगर कोई मंत्री अपने निजी काम से अपने गांव को जाता है तो क्या जनसंघ के कार्यकर्त्ता के साथ निजी काम के लिये जाने पर इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है ? यह बहुत ही शर्मनाक चीज है। उन तीन दिनों के अन्दर जो भी वहां गया उनको जबरदस्ती जीप में बिठाकर वापिस लौटा दिया गया।

पंचायत समिति के प्रधान, जो जनसंघ के हैं, के लिये पुलिस के सिपाहियों ने, थानेदार ने और डी. वाई. एस. पी. और एस. डी. एम. ने जनसंघ के सदस्यों पर जोर डाला, दबाव डाला कि वे उनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव रखें। उनको नाना प्रकार की धमकियां दी गई और उनसे जबर्दस्ती अविश्वास के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कराने की चेष्टा की गई। इसी प्रकार जब उप-मंत्री महोदय की माता का स्वर्गवास हुआ, जिनके साथ हमारी संवेदना है, जब उनकी माता का दाह संस्कार किया गया तो उस दाह संस्कार के स्थान पर 100 से अधिक सिपाही मौजूद थे। इस प्रकार निजी काम के अन्दर भी सरकार पुलिस को भेजती है....

श्री अध्यक्ष : आपके भाषण में एक सा कई प्रश्न हो गये। मैं उन प्रश्नों को निकाल रहा हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मंत्री निजी काम पर जाय उसके लिये भी उनके साथ सरकार को क्या जरूरत है कि वह पुलिस को भेजे ? दूसरा, जनसंघ के कार्यकर्त्ता को वहां क्यों नहीं जाने दिया गया ? क्यों उनको जीप में बिठाकर वापिस कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। इस एडजोर्नमेंट मोशन में खासतौर से यह कहा गया जब मंत्री अपने निजी कार्य के लिये गये थे तो उसके लिये पुलिस का इन्तजाम क्यों किया गया ?

इस बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं मंत्री हो या अन्य कोई माननीय सदस्य हो या साधारण नागरिक हो लॉ एन्ड आर्डर की सिच्युएशन के बिगड़ने का अन्देशा हो तो पुलिस का इन्तजाम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ दी परसन का ख्याल रखे बिना सरकार पुलिस का इन्तजाम करेगी, शान्ति

(श्रीदामोदर लाल व्यास)

और व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होने देगी ।

माननीय सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि उप-मंत्री महोदय निजी काम के लिये वहां गये थे । तो उनके लिये यह इन्तजाम क्यों किया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री हो या उप-मंत्री या माननीय सदस्य हो या कोई साधारण नागरिक हो जहां कहीं खतरा हो उसकी जान का तो उसकी हिफाजत के लिये सरकार बराबर व्यवस्था करेगी और करनी चाहिये ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या यह आपकी सरकारी नीति है ? यह आपकी नीति संबंधी घोषणा है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार की नीति की घोषणा है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपको मैं सैकडों उदाहरण बता सकता हूं । आपने कोई इन्तजाम नहीं किया और उस व्यक्ति को डाकुओं ने गोली से उड़ा दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह आपको कह रहा हूं, यह सरकार की नीति की घोषणा है और सरकार ने यही नीति अपनायी है । मैं आपको सैंकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जिनमें साधारण नागरिक की रक्षा के लिये पुलिस उनके घर पर तैनात की गई, गार्ड लगा दी गई । यह नीति सरकार ने बरती है और हर सरकार की यही नीति होनी चाहिये ।

प्रेमचन्द शुक्ला के बारे में जैसा कहा गया, मुझे जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर कह सकता हूं कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया, किसी को रोका नहीं गया । आपने स्पेसिफिक बात बतायी उसकी जानकारी करूंगा । इस जानकारी में मैं आपके सहयोग की भी आकांक्षा रखता हूं । आप इसको साबित करने में सहयोग देंगे ।

एक बात और कही गई कि प्रधान के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव को लाने के लिये कुछ पुलिस अधिकारियों ने और एस. डी. एम. ने मिल कर सदस्यों को धमकाया । इस संबंध में मैं कह सकता हूं उन प्रधान के खिलाफ काफी अर्से से एजीटेशन चला आ रहा है, जनता उनके खिलाफ है । इसमें सरकारी मशीनरी कोई काम नहीं कर रही है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं । माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि पुलिस की व्यवस्था शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये की गई थी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं माननीय उप-मंत्री का वहां जाना जिनके कारण शान्ति और व्यवस्था का खतरा पैदा होने की आशंका होती है तो ऐसी स्थिति मे इसका उत्तरदायित्व उन मंत्री महोदय पर है । क्योंकि जिनके जाने से जनता भड़कती है, जनता प्रदर्शन करती है तो इसके लिये जनता को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाय ? यह तो मंत्री जी जिम्मेदार हैं जिनके कारण शान्ति और व्यवस्था का भंग होने का खतरा रहता है । तो ऐसी हालत में आपको यह चाहिये था कि मंत्री जी को ही आप वहां न भेजें । इस सरकार का तो यह काम होना चाहिये जिसके कारण शान्ति भंग होती हो उसकी ही रोकथाम की जानी

(श्री भैरोंसिंह)

चाहिये । उनको आप जयपुर में ही रखें वहां न भेजें । उनके जाने पर जब लॉ एन्ड आर्डर की सिच्युएशन खराब होने का अन्देशा हो तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं ।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं । एक मंत्री अनपोपूलर हो, जो दल बदल कर इधर उधर चला जाता हो अगर उसका विरोध जनता करती है तो उसमें पुलिस और सरकारी अधिकारी का हस्तक्षेप का सवाल क्यों उठता है ? अगर जबर्दस्ती पुलिस या अधिकारी इस तरह से हस्तक्षेप करते हैं तो निश्चित रूप से जनता में रिजेन्टमेंट होगा । यहां सरकार का सवाल कहां आता है ? यह तो राजनीतिक मसला है क्योंकि दल बदल को जनता पसन्द नहीं करती तो निश्चित रूप से जो दल बदल कर जाते हैं उनका विरोध होगा, उनको काले झन्डे दिखाये जायेंगे, उसका अपमान किया जायगा। यह किसी पार्टी विशेष का प्रश्न नहीं है । इसमें कांग्रेस पार्टी भी हो सकती है, जनसंघ हो सकता है, समाजवादी पार्टी हो सकती है । लेकिन यदि सरकार इस प्रकार के संघर्ष में उतरती है और जनता उसके साथ संघर्ष करती है और उसको दबाने के लिए पुलिस या अधिकारियों का सहारा लिया जाता है तो यह उचित नहीं है । इसका मतलब यह हुआ, कांग्रेस पुलिस और सरकारी अधिकारियों का सहारा लेकर अपना प्रोटेक्शन लेना चाहती है । मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारा संघर्ष कांग्रेस दल के साथ है, उसके साथ हमारा पोलिटिकल संघर्ष है, उस संघर्ष के लिये हमारी मान्यतायें हैं । यदि हमारे इस राजनैतिक संघर्ष में हमारी मान्यताओं के बीच आप पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर अपना राजनैतिक हित साधन करते रहेंगे तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं । अगर आप पुलिस के बल पर जनता की मनोभावना पर अंकुश लगाना चाहेंगे तो वह लगने वाला नहीं । आज आप कांग्रेस पुलिस और सरकारी अधिकारी में कोई भेद नहीं करना चाहते । इसी तरह से आप चलते रहे तो पुलिस यदि जनता के साथ लड़ेगी तो जनता भी उसका मुकाबला करेगी । और यदि उसके बाद आपने सेना को भी बुलाया और जनता की भावनाओं को दबाने की कोशिश की तो जनता सेना का भी मुकाबला कर सकती है । फिर जनता और सेना के बीच कोई भेदभाव नहीं रह पायेगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं आप इस प्रकार के कनवेन्शन न डालें । ये तो मामूली मतभेद राजनीति में चलते रहेंगे । आप राजनैतिक लड़ाई में पुलिस का उपयोग न कर उसको राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा । आपको ऐसे कार्यों में सरकारी अधिकारी व पुलिस का सहयोग नहीं लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद विवाद ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है····

श्री चुन्नीलाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : एक व्यवस्था का प्रश्न पहले रामानन्द जी का आगया है उनको कहने दें ।

श्री रामकिशन : पहले चुन्नीलाल जी का है इनको कहने दीजिये····

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है आपके द्वारा में सदन....

श्री अध्यक्ष : खेद की बात व्यवस्था के प्रश्न में नहीं आती।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की तरफ अकाल के कारण काफी लोगों की मृत्यु हो गई। भयंकर अकाल की वजह से वहां इन्सानों की भूख से मृत्यु हो गई है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आपका इस बारे में स्थगन प्रस्ताव है उस पर आप बोलने लग गये। इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे भी चिन्ता है। मैं इसके बारे में संभवतः कल तारीख निश्चित कर दूंगा।

श्री रामकिशन : इस पर मुझे भी थोडा अर्ज करना है....

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिये कई माननीय सदस्यों के नाम आये हैं यदि इस तरह से चलता रहा तो कई माननीय सदस्य बोल भी नहीं पायेंगे। कल मैं इस बारे में उत्तर दिला दूंगा। इनके प्रस्ताव के बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अटरू क्षेत्र में पुलिस के इन्तजाम के बारे में में जो कुछ कहा उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं वे खुद इस सारी स्थिति को जानते हैं। वे खुद इस बात को जानते हैं कि पुलिस के इन्तजाम की आवश्यकता क्यों हुई। कौनसे लोग ऐसे हैं जिनके कारण शान्ति और व्यवस्था को खतरा था। अध्यक्ष, महोदय, वहां के ज्यादातर लोग उप-मंत्री को पसन्द करते हैं, मंत्री जी को बुलाकर उनका स्वागत करना चाहते थे लेकिन कुछ लोग पत्थर फेंक कर, लाठी चलाकर उनके स्वागत में बाधा डालने की कोशिश करने वाले थे। कांग्रेस का सदस्य हो या विरोधी दल का सदस्य हो या किसी भी साधारण नागरिक की जान माल की सुरक्षा का प्रश्न हो-पुलिस का यह कर्तव्य है और हर सरकार का यह कर्तव्य है कि उसका प्रोटेक्शन करे इसमें केवल कांग्रेस के सदस्य का ताल्लुक नहीं विरोधी सदस्य के साथ भी यदि कहीं ऐसा बरताव होता है तो आप विश्वास रखिये पुलिस का उतना ही इन्तजाम होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें जरूरत नहीं है।

श्री रामकिशन : विशेष तौर से अविश्वास प्रस्ताव में पुलिस का उपयोग किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने कह दिया कि नहीं किया।

श्री रामकिशन : मैं इसमें उलझना नहीं चाहता। मेरी आपकी यह अन्दरूनी बात है जब आप कई बातें कर सकते हैं तो पुलिस का भी उपयोग कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा तो नहीं है।

श्री रामकिशन : मैं अर्ज करता हूं विशिष्ट व्यवहार का जहां सवाल पैदा होता है। यह तो अन्दरूनी व्यवहार की बात है।

श्री अध्यक्ष: अन्दरूनी व्यवहार सदन का व्यवहार नहीं है। बाहर का सदन से बाहर का, यह व्यवहार है।

बी 13 (एम० एल० एज० क्वार्टर) में राजस्थान दलित वर्ग संघ क कार्यालय सम्बन्धी प्रश्न पर चर्चा

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि परसों हमने आपको विरोधी दल की तरफ से यह लिखकर दिया था कि राजस्थान दलित वर्ग संघ के अकाउन्ट्स के बारे में माननीय मंत्री जी श्री अमृतलालजी यादव द्वारा अपने क्वार्टर ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे सदन में नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जान बूझकर अवोइड करें तो क्या करूं।

उनके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि सरकारी मकान में रहते हुए उन्होंने उसका किराया वसूल किया है। हमने मांग की थी कि उनके कागजों में तबदील होने की सम्भावना है इसलिये उन कागजों को सीज किया जावे।

मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बी 13 के अन्दर इसका दफ्तर रखा। फिर बाद में निजी कोठी है, जिसमें स्वयं रहते हैं, जिसका 250 माहवार का किराया मिलता है दफतर को वहां शिफट कर लिया और वहां से उसके बिजली पानी के नाम पर उससे और गवर्नमेन्ट से अब भी पैसा वसूल किया है और उस मकान को अध्यक्ष महोदय, जिस मकान का 250 माहवार सरकार से किराया लेते हैं, भी सबलेट किया हुआ है, किरायेदार रखा हुआ है। किरायेदार से बिजली पानी का पैसा अलग से लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न स्थगित किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला ऐसा है जिसकी पूरी जानकारी निष्पक्ष तौर से सदन को होनी चाहिए। इस सम्बन्धी तमाम कागजात रक्खे जाने चाहिये सदन में ताकि हम उनको देख सकें मेरी जानकारी के अनुसार उनको बदलने की कोशिश की जा रही है इसलिये वे कागजात आप अपनी कस्टडी में लें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : मैं सूचना दे देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उस सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रति मुझको मिली थी। उसमें कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे। जिस दिन मिली मैंने माननीय वन मंत्री को चेम्बर में बुलाकर इससे अवगत करा दिया। माननीय सदस्य की जो आशंकाएं हैं, इस मामले से सम्बन्धित दस्तावेज और कागजातों से कि वे टेम्पर विथ हो जावेंगे, उससे भी मैंने उनको आगाह किया। जितने कागजात इससे सम्बन्ध रखते हैं माननीय मंत्री अपने पास रख लें ताकि कोई दस्तन्दाजी उनमें न हो सके। मन्त्री महोदय ने विश्वास दिलाया है कि वे पत्र सुरक्षित हैं उनके हाथ में। इसलिये माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में आशंका मेरे विश्वास पर से नहीं होनी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो कागजात माननीय मन्त्री ने ले लिये हैं वे या तो सदन की कस्टडी में आने चाहिये या आपके पास आने चाहिये। आखिर में माननीय मन्त्री एक दूसरे के कलीग हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यहां उनकी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। तो इसलिये हम इन माननीय मन्त्रियों को एवाड़ बोर्ड नहीं समझ सकते। आप सदन में मंगवा लिजिये, अपने पास रखिये या हमें दिखलाइये उन पर एग्जिबिट लगवाइये। सील लगाकर यहां रखिये। वरना अगर कलीग को बचाने के लिये उनका मन किया तो सभी कुछ गड़बड़ियां वे कर सकते हैं।

जब मन्त्री महोदय इतना विश्वास दिलाते हैं उनका दामन साफ है तो सारे कागजात सदन में क्यों नहीं रख देते वे? हम देख लें। एग्जिबिट लगा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर! यह प्रश्न··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आसन इसमें बीच में नहीं आता है अधिक। एक मसला उठाया गया। मन्त्री ने जानकारी नहीं दी हमने सवाल पूछा। बाद में अमृतलालजी यादव ने कहा कि उन्होंने किराया वसूल नहीं किया। आपने कागजात कब्जे में लेने के लिये मन्त्री महोदय को आदेश दे दिये। पर मामला विधान सभा में जब उठता है तो उसका उत्तर यहां हमें मिलना चाहिये। स्पष्टीकरण उन बातों का यहां आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण की बात पैदा नहीं होती। मैं इस स्थगित प्रश्न को बाद में ले रहा हूं तो दुबारा अभी आने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि उससे सम्बन्धित पत्र सुरक्षित रखे जावें।

मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि जो माननीय सदस्य की आशंकाएं हैं इस सम्बन्ध में उस सन्दर्भ में मैंने मन्त्री महोदय का विश्वास प्राप्त कर लिया है। पर मैं यह नहीं कह सकता कि यह सदन में आ जावें और सील बन्द हो जावें, ऐसा प्रश्न मैं इसको नहीं मानता। पर मन्त्री महोदय को बुलाकर फिर यह विश्वास ले लूंगा कि पत्र सुरक्षित रहें। अब शुरू से आखिर तक अगर किराया उठाया गया है तो टेम्पर विथ कहां तक करेंगे। शुरू से अन्त तक कागज चलते हैं। एक जगह तबदीली हो, दो जगह हो, खजाने से रुपया लिया वहां तबदीली हो ये सारी बातें हैं। ऐसी आशंकाओं के लिये मैं विश्वास दिलाता हूं कि पत्र सुरक्षित हैं। पर अभी आग्रह करें कि पत्र अपने कब्जे में सुरक्षित रख लूं वे रख लूं अपनी कस्टडी में तो सदन को इस प्रश्न पर आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री अमृतलाल यादव (यातायात मन्त्री): मेरे से यह प्रश्न सम्बन्धित है। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं थोड़ा निवेदन कर दूं। उससे शायद शंकाओं का समाधान हो सकेगा। मैं अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं कि वे···

फिर मेरी दिक्कत है। स्पष्टीकरण का इसमें प्रश्न नहीं है। यह स्थगित प्रश्न है। यह प्रश्न माननीय सदस्य ने अभी उठाया है। अगर वे ऐसा विश्वास दिलाते हों कि इस अभिभाषण के दौरान में यह प्रश्न बार बार नहीं उठेगा, बीच बीच में तो स्पष्टीकरण करने का समय

(श्री अध्यक्ष)

दिया जा सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि कई माननीय सदस्यों को बोलना है। सम्भवतः यह प्रश्न कई सदस्यों के भाषणों में आवेगा। उस पर फिर स्पष्टीकरण होगा। एक ही प्रश्न का कई कई बार स्पष्टीकरण हो इसमें समय का सवाल है। अब अगर आपके स्पष्टीकरण के बाद में यह प्रश्न कोई भी माननीय सदस्य अपने भाषण में दुबारा रेफर न करें तो स्पष्टीकरण इस समय करना उचित मालूम हो सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मैं आपको विपक्ष की तरफ से आश्वासन देता हूं कि जो आरोप लगाये गये हैं उनका स्पष्टीकरण अगर सन्तोषजनक आया तो हम इस प्रश्न को नहीं उठावेंगे बहस मुबाहिसे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बी 13 का ही मसला नहीं है। जिस बंगले में रहते हैं बिजली पानी के नाम पर दलित वर्ग से जो पैसा वसूल हुआ तो उस बारे में जिस बंगले में रहते हैं उसका भी सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो स्थगित प्रश्न दिया है तो उसके साथ यह मामला भी साफ हो जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उत्तर सन्तोषजनक होगा तो जिक्र नहीं करेंगे। पर यह मालूम तो हो। उत्तर तो आने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : उत्तर सन्तोषजनक है या नहीं, यह आपके ऊपर रह गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप में और हम में क्या अन्तर है। हमें सन्तोष होगा तो आपको भी हो जावेगा। हमारे ही तो आप बिठाये हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह: यह यादव साहब पर ही छोड़दें कि वे सन्तोषजनक उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप पर न छोड़ें न हम पर छोड़ें। पर स्पष्टीकरण के बाद फिर सवाल होंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि स्थगित प्रश्न के सन्दर्भ के साथ ही इसको लिया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर अलग बात है और चार्ज के स्पष्टीकरण का अलग प्रश्न है। पोइन्ट आन एक्सप्लेनेशन पर यह उनको अधिकार है कि वे अपने पर लगाये गये आरोपों का स्पष्टीकरण करें। यह अधिकार उनको मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आज के नेचर ऑफ डिसकसन को देख लिया जाय। सायंकाल सदन उठने के कुछ पहले तक उसके बाद स्पष्टीकरण लिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको पहले समय दे दिया जावे। फिर वाद-विवाद इस पर कम ही होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो करवा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट नहीं हुई क्या हम यह मान लें कि यादव साहब ने आपसे प्रार्थना की है कि उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाये और आपने उनको मौका नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष : दोनों ही बातें नहीं हैं। यह भी नहीं है और वह भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि भाषण शुरू हो जाये इस विवाद में हम घन्टा दो घन्टा और लेलेंगे तो भाषण पर जो समय दिया जाना चाहिए उसमें क्षति होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह चाहूंगा कि अभिभाषण भी सरकार की नीतियों और कार्यकलापों पर होता है·····

श्री अध्यक्ष : आप (श्री अमृतलाल यादव) स्पष्टीकरण देना चाहेंगे ? दे दीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनका मौलिक अधिकार है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि मैं 15 अगस्त, 1960 से बी-13 एम० एल० एज० क्वार्टर में आया था···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब ?

श्री अमृतलाल यादव : 15 अगस्त, 1960 आप नोट कर लीजिए इस दिन में बी-13 एम० एल० एज० क्वार्टर में आया था।····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब तक रहे ?

श्री अमृतलाल यादव : सब बता रहा हूं। आप तसल्ली रखिये। और मैं 28 अगस्त, 1964 तक उसमें रहा।····

श्री भगवानदास शास्त्री : कब से ?

श्री अमृतलाल यादव: 15 अगस्त, 1960 से 28 अगस्त, 1964 तक मैं उसमें रहा। सुन लिया आपने ?

श्री नरसींसिंह : लिख लिया जी। आगे बढ़िये।

श्री अमृतलाल यादव : आगे बढ़ रहा हूं।

दलित वर्ग संघ का कार्यालय 1 जनवरी 1962 से 31 अगस्त 1964 तक इस बी-13 एम० एल० एज० क्वार्टर में रहा यानि मैं जिसमें रहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी जनवरी से ?

श्री अमृतलाल यादव : 1 जनवरी, 1962 से 31 अगस्त 1964 तक। तो यह साफ हुआ कि 15 अगस्त, 1960 से मैं इस बी०-13 एम० एल० एज० क्वार्टर में आया था और उसी दिन से यह दलित वर्ग संघ का कार्यालय उसमें नहीं था। 1 जनवरी, 1962 से जब मैं इसका अध्यक्ष हुआ तब यह कार्यालय मैं इसमें लाया उस दिनसे, जब से यह कार्यालय यहां रहा 1 जनवरी, 1962 से 31 अगस्त, 1964 तक, इसका कोई किराया मैंने वसूल नहीं किया········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बिजली पानी समेत ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं किराये की बात कह रहा हूं। बिजली और पानी का 5 रुपये महीने के हिसाब से लिया गया।····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, यही तो है।

श्री अमृतलाल यादव : सुन लीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फाइल मेरे पास है। मैंने बिजली पानी का इस एम० एल० एज० क्वार्टर का अलग से बिल

(श्री अमृतलाल यादव)
चुकाया जिसकी रसीदें इसमें मौजूदा हूं। मैं आपकी सेवा में इसको पेश करने के लिए तैयार हूं। जो बिल मैंने चुकाये हैं उसमें किसी में 13 रुपये पानी का है, 14 रुपया बिजली का है। उसमें से लगभग उनका यह था कि हम 5 रुपया से ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो वह उस प्रपोर्शन में 5 रुपया पानी और बिजली दोनों का कर दिया है और मैंने अपनी तरफ से अलग बिल चुकाया......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी कितनी बत्तियां थीं और कितने पाइन्टस थे ?

श्री अमृतलाल यादव : उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैंने बिल चुकाया है। उसमें पानी के बिल हैं बिजली के हैं और वह देख सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय को दे दीजिए।

श्री अमृतलाल यादव : मैं जब कह रहा हूं कि अध्यक्ष को दे रहा हूं तो आप बीच में क्यों पंचायती करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : हम तो आपसे सुनना चाहते हैं।

श्री अमृतलाल यादव: मैं सुना रहा हूं।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी शंका हो सकती है कि जिस दिन से मैं रहा हूं उसी दिन से वहां दलित वर्ग संघ का दफ्तर है तो ऐसी बात नहीं है और जहां तक 40 रुपया और 20 रुपया किराया लेने का सवाल है मैं समझता हूं कि सार्वजनिक कार्यकर्त्ता का जीवन सार्वजनिक कार्यों के लिए रहना चाहिए और कोई उससे अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करता है या और कोई ऐसी बातें करता है तो उसकी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल होता है लेकिन जिन लोगों की मन्शा ही मतलब और बेमतलब प्रतिष्ठा को उछालने की रहती है और जिनका पेशा है बदनाम करने का....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 31-8-64 तक माननीय मंत्री जी वहां रहे तो माननीय मंत्रीजी ने यह बताने का कष्ट नहीं किया कि 31-8-64 को जब उन्होंने बी-13 क्वार्टर को छोड़ दिया और जब वह अपने निजी बंगले में चले गए तो क्या दलित वर्ग संघ का दफ्तर भी उस निजी बंगले में गया ? और गया तो वहां वह दफ्तर कब तक रहा और वहां पर उन्होंने किराया वसूल किया या नहीं और वहां पर बिजली और पानी का कितना पैसा वसूल किया ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में काम करने की बात कही है। उसकी कुछ सीमायें हैं और उसमें मैं कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता हूं। मैं तो उनसे, मंत्री से, एक बात पूछना चाहता हूं..

श्री अमृतलाल यादव : मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है कि यह सवाल माननीय भैरोंसिह जी ने पहले भी उठाया था और मैंने उनसे बात भी की थी और उनको मैंने बताया भी था। यह मेरे पड़ौसी भी थे।

श्री अध्यक्ष : यह पड़ौसी धर्म ही तो है।

श्री भरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, इस समय क्या वाद विवाद खड़ा हुआ इसका तो मुझे पता नहीं लेकिन आपने जो बात कही थी, आपने जो मुझे बताया था कि मैंने किसी प्रकार की रकम दलित वर्ग संघ से वसूल नहीं की लेकिन उस समय की स्थिति म और आज की स्थिति में फर्क यह है कि आपने स्वीकार किया है कि मैंने बिजली और पानी के नाम पर 5 रुपयें वसूल किये हैं अब में केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूं कि मंत्री होन के नाते आपको प्रशासनिक अनुभव है, बिजली विभाग और पानी विभाग के बिना परमीशन के आप किसी को बिजली और पानी नहीं दे सकते। पानी और बिजली देने के संबंध में नियम बने हुए हैं और उसमें कन्ज्यूमर कौन होता है इसकी परिभाषा दी हुई है। कौन आदमी किस को बिजली और पानी ट्रांसफर कर सकता है और यह किस प्रकार का अपराध है इस प्रकार की स्थिति कानून में बताई हुई है। मैं तो केवल एक ही जानकारी करना चाहता हूं कि राजस्थान के, मंत्री मंडल के इस समय कई सदस्य बैठे हुए हैं इनसे, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उपर स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या मैं जो बिजली का कन्ज्यूमर हूं आथोराइज्ड कन्ज्यूमर हूं किसी दूसरे को पानी और बिजली दे सकता हूं और अगर मैं देता हूं तो क्या वह चोरी की परिभाषा में नहीं आता? यह एक भी मंत्री खड़े होकर कह दे।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसकी जरा जांच करा लें कि यह क्वार्टर्स जिनके नाम एलाट हुए उनमें से किन किन ने सबलेट किये।

श्री भैरोंसिह : मैं इसको स्वीकार करता हूं कि अगर किसी ने इस प्रकार का अपराध किया है तो यह जघन्य अपराध है और उस सदस्य को जिसने यह किया है कड़े से कड़ा दण्ड मिलना चाहिये। यादव साहब इस बहाने से आपने कुछ कर लिया हो उसके लिए आप किसी प्रकार से दण्ड से मुक्त नहीं हो सकते। इस सदन का कोई सदस्य आप और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, कानून मंत्री बैठे हैं और राजस्व मंत्री बैठे हैं, कोई भी मंत्री यह कह दे कि मैं अधिकृत कन्ज्यूमर होने के नाते किसी दूसरे आदमी को बिना बिजली और पानी विभाग की अनुमति के बिजली दे सकता हूं। यह कानून में अपराध है या नहीं? और अगर है तो आप वही कर लीजिए। दण्ड दें या नहीं दें यह सदन बहुत बड़ा है। आपको माफ भी कर सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या जो मंत्री हैं अब और पहले नहीं थे तो उस समय के कार्यों के लिए यह सदन जिम्मेदार है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : As M.L.A.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने मंत्री की हैसियत से जो प्रश्न किया है तो यह अलग चीज है। मंत्री क पहले वह किसी चीज के लिए है तो क्या वह उसके लिए जिम्मेदार है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, प्लीज!

मैं इसको यहां समाप्त करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो व्यवस्था का सवाल खड़ा किया गया है कि मंत्री महोदय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस समय एम. एल. ए. थे। तो प्रश्न तो यह है कि एम. एल. एज. के क्वार्टर में रहने के कारण उसका किराया वसूल नहीं किया और बिजली पानी का वसूल किया है। बिजली पानी का वसूल किया गया है और उसका प्रश्न खड़ा किया तो इसका जवाब नहीं दिया गया। आप यह कहते हैं कि एम. एल. ए. और मिनिस्टर के प्रिविलेज में डिफरेन्स होगा। एम. एल. एज. की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन एकसी हैं। मिनिस्टर होने का मतलब यह है कि उनको एडिशनल एक्जीक्यूटिव रेस्पान्सिबिलिटी दी गई है। इसके कारण से प्रिविलेजेज में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। एम. एल. एज. के अलग प्रिविलेजेज हों और मिनिस्टर के अलग हों....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का जो सवाल खड़ा किया गया है तो उनका प्रश्न जो खड़ा किया गया था उसका जवाब आप दे दें कि बिजली और पानी का कोई आथोराइज्ड कन्जूमर है वह ट्रान्सफर करके किसी से पैसा वसूल कर सकता है क्या ? ऐसा कानून से हो सकता है क्या ? लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बैठे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस लीगल पोजीशन का स्पष्टीकरण करना यहां उपयुक्त नहीं है और न किया ही जा सकता है। माननीय सदस्य, मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण कर दिया है, उस स्थिति का। मैं अभिभाषण पर वाद-विवाद आरम्भ करा रहा हूं। माननीय सदस्य, अभिभाषण पर अपना भाषण आरम्भ रखें जो बोलना चाहें।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष.....

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन मंडल की सिफारिशों को लागू कराना

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। अध्यक्ष महोदय, आज मैंने भी देखा है कि प्रेस गैलेरी में प्रेस के लोग नहीं हैं। जानकारी तो पहले भी थी कि प्रेस वाले शायद आज आल इंडिया वर्किंग जरनेलिस्ट यूनियन के डिसीजन के अनुसार हड़ताल करने वाले हैं। विधान सभा में गवर्नर साहब के एड्रेस पर वाद-विवाद होगा तो यह बहुत ही अहम मसला है। हम यह चाहते हैं कि विधान सभा की कार्यवाही विधान सभा की प्रोसीडिंग्स तक ही न रहे, पर प्रोसीडिंग्स बाहर जनता तक पहुंचे। आज इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि अखबार वालों के लिए ही भाषण दिये जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति नहीं है, लेकिन अखबार माध्यम है विधान सभा और जनता के बीच में ताकि विधान सभा की कार्यवाही जनता तक उनके द्वारा पहुंचे। इस माध्यम को लेकर यदि आज किसी प्रकार के अभाव की स्थिति है तो मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्किंग जनरलिस्टों की मांग, जो वाजिब है, का समर्थन करना हमारे लिए कर्त्तव्य हो जाता है। कर्तव्य इस नाते कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने कई बार वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के बारे में आश्वासन दिया है। समय समय पर इस बारे में चर्चा लोक सभा में हुई है और विधान सभा में भी हुई है और इस प्रकार का आश्वासन मिला है और लोक सभा में भी मिला है। इस आश्वासन

(श्री भैरोंसिंह)

के बावजूद वर्किंग जनरलिस्टों के संबंध में वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू नहीं की गई। उनको जो शिकायत है उस शिकायत के संबंध में आल इंडिया बेसिस पर इस प्रकार की हड़ताल हो गई है और स्ट्राइक के कारण ही वे आज अनुपस्थित हैं।

ऐसी स्थिति में गवर्नर के एड्रेस पर चर्चा होगी तो विधान सभा और जनता, दोनों, के अन्दर कुछ इस प्रकार का सामन्जस्य नहीं है। वह चर्चा विधान सभा की प्रोसीडिंग्स तक ही रहेगी। जनता को मालूम नहीं होगा कि सरकार की जिन नीतियों के बारे में गवर्नर महोदय ने अभिभाषण दिया है उस संबंध में विरोधी दल की क्या प्रतिक्रिया है, उसमें क्या खामियां हैं, सरकार के सामने क्या सुझाव रखे हैं और जनता की समस्या किस प्रकार की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू नहीं करने के प्रोटेस्ट में जो वर्किंग जनरलिस्ट यूनियन ने स्ट्राइक किया है और उस स्ट्राइक को लेकर विधान सभा में अनुपस्थित हैं तो हम भी आज विधान सभा की कार्यवाही को स्थगित कर दें। इससे उनकी मांग का समर्थन भी होगा और यह जो वेक्यूम क्रियेट हो गया है जिसके कारण से हमारी चीज जनता तक नहीं पहुंच पायेगी, हम उस वेक्यूम को फिल-अप कर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से :

श्री रामकिशन (बैर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक इस प्रकार का सवाल है जिसको सदन में विरोधी पक्ष के उठाने से पहले सरकारी पक्ष को खुद को उठाना चाहिए था....

श्री अध्यक्ष : आप किस पक्ष से बोल रहे हैं?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): जिस पक्ष में हैं वहीं से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह क्रासिंग ऑफ दी फ्लोर का तो सवाल नहीं है? आरम्भ रखिये।

श्री रामकिशन : पक्ष की जानकारी नहीं रही आपको।

श्री अध्यक्ष : जानकारी तो है लेकिन फिजीकल जानकारी का प्रश्न है। मैंने अन्दाजा लगाया। आरम्भ रखिये।

श्री रामकिशन : इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में मैं अपना दृष्टिकोण बता देना चाहता हूं। बड़े ताज्जुब की बात है कि जब फैसला हो चुका है और पार्लियामेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है तब राजस्थान के श्रम मंत्रालय के हमारे अधिकारी सोये हुए हैं। वे बड़े लोगों से मिले हुए हैं और इन पत्रों के जो मालिक हैं उनसे हमारे अधिकारी फैसला नहीं मनवा पा रहे हैं। यह सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। लोकतन्त्र में सरकार की बात पत्रों के जरिये फैलती है और विरोधियों की बात फैलती है, लेकिन सरकार का दृष्टिकोण पत्रों के माध्यम से ज्यादा फैलता है। सरकारी पक्ष चुप साधे रहा और आज इस स्थिति में नहीं है कि जो फैसला हो चुका है, जो माना जाना चाहिये था, उसको आपका श्रम मंत्रालय आज तक मनवाने में अपने को असमर्थ पा रहा है। इसका कारण खाली यह कहकर नहीं बता सकते कि यह

(श्री रामकिशन)

अखिल भारतीय प्रश्न है हम से सीधा सम्बन्ध नहीं है। राजस्थान के श्रम मंत्रालय का इससे निश्चित तौर से सम्बन्ध है। जब श्रम मंत्रालय की ओर से इसका उत्तर दिया जाय तो जिम्मेदारी की बात कही जाय न कि इसका अखिल भारतीय दृष्टिकोण बतलाकर इस सवाल को समाप्त करने की चेष्टा की जाय। मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्रीजी जब श्रम मंत्रालय की तरफ से इसका उत्तर दें तो इस बात का पूरी जवाबदारी के साथ उत्तर दें कि फैसले को मनवाने में उनके श्रम मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : (श्री रामानन्द अग्रवाल के बोलने के लिये खड़े होने पर) आर्डर प्लीज! माननीय सदस्य का एक दृष्टिकोण मेरे सामने आ चुका है। आप जब बोलेंगे तो वही दृष्टिकोण होगा। मैं यह चाहता हूं कि....

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर) : उनका दृष्टिकोण आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री दुर्गालाल बादवार : राजस्थान सरकार अपना मत व्यक्त करने से पूर्व हमारी भावना जो जाने।

श्री अध्यक्ष : भावना जान चुके हैं। राज्य सरकार इस बारे में, आप चाहेंगे तो अपनी ओर से कोई स्पष्टीकरण कर देगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है।

श्री अध्यक्ष : हां है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : प्रश्न यह उठाया गया है जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की ओर से कि प्रेस के लोगों की हड़ताल है और इस सम्बन्ध में इस सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिए। मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसा कोई प्रिसीडेन्स नहीं मिलेगा। जो माननीय सदस्य हैं इस सदन के वे ही सदस्य हैं। इनके अलावा अगर कोई आता नहीं है तो यह उसकी मर्जी है। कोई हड़ताल करता है तो इसकी जिम्मेदारी इस सदन की नहीं है, और इस वजह से कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा प्रिसीडेन्स नहीं मिलेगा जब कि प्रेस गैलेरी की हड़ताल हुई हो उसके कारण से सदन की कार्यवाही को रोक दिया गया हो।

जहां तक इस प्रश्न पर आगे स्टेटमेन्ट देने का सवाल है उसका आज ही नोटिस आया है और मैं कल सदन के सामने पूरी जानकारी रखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी महसूस नहीं कर रही है यह कहते हुए कि यह केन्द्र का प्रश्न है। मेरा यह निवेदन है कि वेज बोर्ड की जो रिकमन्डेशन है उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मन्जूर कर लिया है। मन्जूर करने के बाद उसकी कानूनी पोजिशन हो जाती है और स्टेट गवर्नमेन्ट का लेबर डिपार्टमेन्ट उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिये जिम्मेवार हो जाता है, और कोई भी अगर मालिक इसको इम्प्लीमेन्ट नहीं करता है तो उसके लिए इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत लेबर डिपार्टमेन्ट को पावर्स हैं कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसके खिलाफ उसको कार्यवाही करनी चाहिये और उसको मजबूर किया जाना चाहिए।

सवाल यह है कि स्टेट के लेबर डिपार्टमेन्ट ने अपनी पॉवर्स को इस्तेमाल नहीं किया, इन्टरवीन नहीं किया इसलिये वह हड़ताल कर रहे हैं। वह केन्द्र के कारण नहीं, मालिकों के एटीट्यूड के कारण ही नहीं आपके एटीट्यूड के कारण भी है।

(1.17 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस कारण स्टेट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है उससे स्टेट गवर्नमेंट दूर नहीं हो सकती। और जो हमने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है उसका दृष्टिकोण भी यही है। यों तो आपकी स्टेट में इसका कोई ताल्लुक नहीं है और कोई अपने आप कुछ होता रहे तो इस सदन में लाने का सवाल नहीं था। उसका ताल्लुक सीधा स्टेट गवर्नमेंट से है कि वह इन्टरवीन नहीं कर रही है और एक तरह से मालिकों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं जो कि आपकी नीति है। इसलिये हम यह कहना चाहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने रिकमन्डेशन्स को मन्जूर कर लिया है उन वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन्स को आप लागू करें आप सोये न रहें अगर आप से नहीं हो सकता है तो लेबर डिपार्टमेंट को छोड़ दें और आप इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट को सम्हाल लें। इससे तो भीखाभाई ही अच्छे थे कि वे कुछ तो करते थे उनके दिल में टीस थी। आप तो बिल्कुल मालिकों की हिमायत करते हैं इस तरह से।

श्री उपाध्यक्ष: अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री गोरधन सोनी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस सम्बन्ध में जो......

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। अब इजाजत नहीं दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं आसन से व्यवस्था चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैंने जो प्रस्ताव आसन के पास भेजा है उसमें कहा गया है कि पत्रकारों के लिये वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन लेबर डिपार्टमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं की हैं। इसके सम्बन्ध में सरकार की ओर से कल उत्तर दिया जायगा यह मानकर चलें या और किसी तारीख को—यह स्पष्ट हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्रम मंत्रीजी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: जैसा सदन का और अध्यक्ष महोदय का आदेश होगा। लेकिन अभी मैं उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं, कल दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कल उत्तर दे दीजिये।

माननीय श्री केदार नाथ!

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर

(श्री केदारनाथ)

आपने मुझे बोलने की इजाजत दी। अभिभाषण सुनने का तो मुझे मौका नहीं मिला लेकिन पढ़ने का जरूर मौका मिला और उसके बाद मान्यवर, जिस माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा और जिस माननीय सदस्य ने उसका अनुमोदन किया उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि राजस्थान में आज राजनैतिक स्थिरता है, आर्थिक प्रगति के रास्ते पर जा रहा है और सामाजिक शान्ति है। मैं सोचता हूं सारे देश की पृष्ठभूमि में यदि मैं आपके सामने यह अर्ज करता हूं कि राजस्थान में राजनैतिक स्थिरता उस महीने की है जब चुनाव लड़ा था और जीत कर यहां आये थे। उस समय कांग्रेस टिकट पर 88-89 सदस्य गिनती में थे और उसके बाद यदि 8 महीनों में 108 बन गये यदि एम० एल० एज० द्वारा दल बदलाव के बाद आप राजनैतिक स्थिरता मानते हैं तो मैं आपकी इस परिभाषा से अपने आपको सहमत नहीं पाता।

मान्यवर, यदि राजस्थान सरकार ने केन्द्र की मदद से कांस्टीट्युशनल हैड राज्यपाल के पद को गलत साबित करके इस तरह से राज्य बनाया तो मैं साबित कर सकूंगा कि मौजूदा चुनाव के बाद देश में जो घटनाएं घटीं उनको देखते हुए राज्यपाल का पद कांस्टीट्युशनल हैड का पद नहीं रहा। उसको मैं कांस्टीट्युशनल हैड नहीं मानता, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेट नहीं मानता बल्कि एक आटोक्रेट मानता हूं। हरियाणा में क्या हुआ? केन्द्र के इशारे पर राज्यपाल ने यह फैसला किया कि वहां की हुकूमत को बर्खास्त करके मध्यावधि चुनाव कराये जायं। यदि राज्यपाल पर कांग्रेस की हुकूमत बनाने का और मिड-टर्म इलेक्शन कराने का इल्जाम है तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए। सबसे ज्यादा दल बदल यहां पर हो रहा है। 18 आदमियों ने दल बदले हैं। मैं उनको दोष नहीं देता। लेकिन दल बदलने की हालत किसने पैदा की, किसने करप्ट किया, कौन दोषी है- इस ओर देखना होगा। इतना दल बदल होने के बाद भी आप कहते हैं यहां पर पोलिटिकल स्टेबिलिटी है तो मैं माननीय डागाजी से कहूंगा कि......

श्री उपाध्यक्ष : वहां के दल बदल की स्थिति में और यहां की स्थिति में फर्क है। वहां तो उधर गये इधर आये।

एक सदस्य : यह तो गबन है।

श्री केदारनाथ : म यह बात अर्ज कर रहा था कि राजस्थान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। राजस्थान में आज डेमोक्रेसी नहीं है और इस चुनाव के बाद (कुछ सदस्य बोलने के लिये खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री केदारनाथ : कांस्टीट्युशन क्या है, प्रोप्राइटी आफ कांस्टीट्युशन क्या है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है, रूल ऑफ मेजोरिटी क्या है और उसके बाद रूल ऑफ आर्डर क्या है यह सवाल हमारे सामने आया है इसको हमें समझना चाहिये। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि हम चौथे प्लान का स्वरूप

(श्री केदारनाथ)

नहीं बना पाये। राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह शीघ्र ही एक नया वित्त आयोग बनाये। राजस्थान कैनाल के लिये सरकार पैसा नहीं दे सकी। भारत सरकार ने उसे लेने से इन्कार कर दिया। चौथे चुनाव के बाद जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं उतनी पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्री में कभी सुनने को नहीं मिलीं।

मान्यवर, यह सेन्टर का फर्ज था कि पॉलिटिकल पार्टीज को लीडरशिप को ध्यान में रखते हुए कांस्टीट्यूशनल कन्वेन्शन्स एस्टेब्लिश करने की पूर्ण व्यवस्था करती। कब राज्यपाल किसी हुकूमत को बर्खास्त कर सकता है, कब मिड टर्म इलेक्शन हों, एसेम्बली को सम्मन करने का हक किसको है, स्पीकर को है या चीफ मिनिस्टर को, राज्यपाल की नाराजगी हो तो सरकार बर्खाश्त की जा सकती है या नहीं-ये सब कन्वेन्शन एस्टेब्लिश होने चाहिये थे। यह हाउस 18 जनवरी से पहले सम्मन होना चाहिये था लेकिन नहीं हुआ।

मान्यवर, एक तरफ आप बात करते हैं राजाओं के प्रिविपर्स खत्म करने की आप प्रिविपर्स बन्द करें हम उसका स्वागत करते हैं लेकिन यदि प्रिविपर्स मेल नहीं खाता आज के युग में तो राज्यपाल का पद भी मेल नहीं खाता इसलिये उसको भी समाप्त करना चाहिये। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने यह फैसला किया है वे स्वागत लायक हैं। राज्यपाल कांस्टीट्युशनल हैड नहीं है क्योंकि वह किसी के इशारे पर किसी सरकार को बदलने की भावना रखता है इसलिये इस पद की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, आपका दायित्व था। यदि कांग्रेस अपनी हुकुमत लाने के लिये बंगाल, हरियाणा और पंजाब में मास एक्शन शुरू करती तो मैं मानता कि कांग्रेस दरअसल में देश में डेमोक्रेसी चाहती है। मैं मानता हूं कि २० साल में उसने जो नहीं दिया वह ६ महीनों में रेस्टोर कर दिया। कहीं घोष पैदा कर दिये, कहीं गिल पैदा कर दिये। जो हुकुमत मेजोरिटी के कारण बनी थीं उनको वापिस लेने की कोशिश की है। हैदराबाद में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया कि देश में ऐसे लोग हैं जैसे जनसंघ के लोग सेकुलेरिज्म में विश्वास नहीं करते, लेफ्ट कम्युनिस्ट लॉ एंड आर्डर में विश्वास नही करते दूसरी पार्टीज वाले और बातों में विश्वास नहीं करते। मैं सोचता हूं इसके साथ यह भावना रही है कि गैर कांग्रेसी हुकूमतों को हटाने की साजिश रची जाय। यदि वे इस तरह तुले हुए हैं कि गैर कांग्रेसी सरकारें नहीं रहने दी जायं तो राजस्थान में दल बदल के नाम की कोई खास बात नहीं है।

मान्यवर, मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा संकट हमारे सामने पैदा हो गया। हमारे सामने आम जिन्दगी और सामाजिक जिन्दगी के लिये क्राइसिस पैदा हो गया। मेरे दोस्त ने कांग्रेस में रहकर आजादी के लिये फाइट किया होगा, पारिवारिक जीवन में डेमोक्रेसी को मानते होंगे तो वे इस बात को मानेंगे कि हमारे देश में आज वक्त आ गया है फैसला करने का कि

(श्री केदारनाथ)
राज्यपाल का पद जो कांस्टीट्युशनल हैड का पद है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाय। दल बदल के बाद राजस्थान में क्या लॉ एंड आॅर्डर की स्थिरता की स्थिति पैदा हो गई है? या आप यह मानते हैं कि दल बदल के कारण आपकी स्थिरता हो गई है और 4 साल तक आपके पास हुकूमत रहेगी इससे आप आतंक का वातावरण पैदा कर लेंगे? मैं कहूंगा कि आज आपने देश में एक माहोल पैदा कर दिया कि एम०एल०एज० की व्यक्तिगत कोई व्यक्तित्व नहीं रह गया। चुने हुए एम० एल० एज० को कोई कीमत नहीं रह गई। राजस्थान की किस्मत सुखाड़िया जी और राज्यपाल के हाथ में ही रह गई। मेरे दोस्त डागाजी, यदि आप इस बात को मानते हैं कि राजस्थान में आज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो क्या आप यह मानते हैं कि एम० एल० एज० की कोई कीमत है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पोलिसिज को फ्रेम करने में आप लोगों का कोई हाथ है या यह किन्हीं व्यक्ति विशेष तक ही सीमित है? यदि यह व्यक्ति विशेष के हाथ में ही है तब भी क्या डागाजी आप कहेंगे कि राजस्थान में पालिटिकल स्टेबिलिटी है? मैं यह नहीं मानता।

इसके बाद मान्यवर, मैं एक प्रश्न करता हूं। राजस्थान केनाल के बारे में फैसला हुआ कि यह सेन्टर द्वारा ले ली जाय। आज से 3 साल पहले सेन्ट्रल आॅथोरिटी पैदा की गई। मैं पाकिस्तान की रीति नीति का क्रिटिक हूं लेकिन मैं उसकी तारीफ करूंगा कि मंगला डेम 2 वर्ष बाद में पूरा होने वाला था वह 2 वर्ष पहले ही बन कर तैयार हो गया। यह प्लानिंग है एक देश का। हमारी सरकार ने कभी नहीं सोचा कि राजस्थान कैनाल का काम शुरू किया है उसमें आयन्दा क्या रुकावट आयगी, क्या फाइनेन्शियल डिफिकल्टी होगी, सेन्टर, सहायता देना बंद कर देगा तो क्या राजस्थान सरकार के रिसोर्सेज इतने हैं जिससे काम पूरा किया जा सकेगा? यह नहीं सोचा, यह बेड प्लानिंग है। मैं राजस्थान सरकार को दोष नहीं देना चाहता था लेकिन वास्तविकता सामने है। थर्ड प्लान के बाद केन्द्रीय सरकार कहती है कि चौथे प्लान का स्वरूप क्या हो इसमें दिक्कत आ रही है तो हमें इस गंभीर स्थिति की ओर गौर करना पड़ेगा, प्लानिंग में कहीं डिफेक्ट है। इसकी बेसिस में, इसकी फिलासफी में इसकी स्ट्रेटेजी में, इसके अचीवमेंट में हमें आज की स्थिति पर गौर करना पड़ेगा वरना देश के साथ में एक बहुत बुरा अन्याय होगा क्योंकि आज जिस समाजवाद को हम देश में लाना चाहते हैं और देश में समाजवादी चिन्तन पैदा करना चाहते हैं और जब कि हम प्लानिंग की फिलासफी में विश्वास करते हैं उस समय हम यह कहें कि तीन पंच-वर्षीय योजना के बाद हमने प्लानिंग को ब्रेक कर दिया है और अब फोर्थ प्लान का जब प्लानिंग कमीशन रूप स्वरूप देगा उस समय वह स्टेट के असिस्टेन्स को तय करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसी पोजीसन पैदा हो गई है कि हमारे यहां पर एक हाई पावर कमीशन हो, जो यह करे कि सैन्ट्रल की क्या पावर हों और स्टेट की क्या पावर हों, स्टेट की क्या पावर हों और लोकल बाडीज की क्या

(श्री केदारनाथ)

पावर हों। दरअसल में हम देश में डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं और प्लानिंग चाहते हैं, प्लानिंग फ्राम दी बिलों चाहते हैं तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारे यहां एक हाई पॉवर कमीशन हो। इस तरह का हाई पॉवर कमीशन हमें बनाना पड़ेगा और डेमोक्रेसी में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा कि आखिर सेन्टर की पॉवर क्या है और स्टेट की पॉवर क्या है।

राजस्थान एक बोर्डर स्टेट है। डेजर्ट एरिया होने की वजह से राजस्थान बेकवर्ड है और यहां की सेटर्ड इकानामी है। और इसकी सबसे बड़ी लाइबिलिटी सेन्ट्रल पर है और इसके डवलपमेंट के लिए पैसा देने की सेन्टर की रेस्पान्सिबिलिटी है लेकिन आखिर सेन्टर द्वारा इन्कार करने के कारण राजस्थान केनाल का काम बन्द हुआ। राजस्थान केनाल का फर्स्ट फेज का काम 1971 तक पूरा होने का था वह बन्द हुआ पड़ा है और अब यह नहीं मालूम है कि वह कब दुबारा चालू होगा। राजस्थान केनाल देश में आज सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। यह अपना सानी नहीं रखता है सेल्फसफिसियेन्ट इन प्रॉडक्शन और एम्प्लायमेंट की सबसे बड़ी एवेन्यू होने में परन्तु इसमें इतनी टेक्निकल जीनियस को आपने समाप्त कर दिया है, इसमें इतनी मशीनरी आइडल हो गई है, इसमें अब तक जितना भी काम किया गया है वह अनडू हो जायगा। और जब दुबारा इसे शुरू करेंगे तो यह सब बातें आयेंगी। इसलिये इस वक्त इधर की बेंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य और उधर कांग्रेसी बेंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य क्या इस प्रकार का रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकते सेन्ट्रल आथोरिटी बनवाने के लिए? आज कांग्रेस की लीडरशिप इतनी कमजोर हो गई है कि वह सेन्टर पर इतना फोर्स नहीं डाल सकती और उससे सेन्ट्रल आथोरिटी मनवा नहीं सकती। मैं नहीं सोचता कि आप अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। आज राजस्थान केनाल में कितनी कटौती हुई है? कितने ओवरसियर को आपने काम दिया, कितने एल. डी. सी. को काम दिया, कितने यू. डी. सी. को काम दिया? इस बात के कन्टेक्स्ट में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज दो साल से जो इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट से स्टूडेन्ट निकलते हैं, जो पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा होल्डर एजूकेशन प्राप्त करके निकलते हैं और डिग्री होल्डर निकलते हैं उनमें से कितने आज बेकार बैठे हुए हैं, 1-10-67 के बाद कितने बेकार बैठे हैं। आज देश में एक बेकारी का रोग हमारे सामने है और राजस्थान सरकार यह गौरव करे कि उसने बेकारी की समस्या को समाप्त कर दिया है या राजस्थान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और राजस्थान एक प्रगति के रास्ते में है—तो मैं नहीं सोच सकता क्योंकि न तो इसमें तर्क है और न कोई बात है। मान्यवर, इस बात के अलावा राजस्थान केनाल कब चालू हो जायगी, राजस्थान केनाल का फर्स्ट फेज कब पूरा हो जायगा और उससे राजस्थान में कितनी ज्यादा पैदावार होने वाली है—यह सब बातें बार बार कही गई हैं, यहां पर उठाई गई है यह बात और बाहर भी कही गई है यह बात। इस बातको करने के लिये यह आवश्यक है कि राजस्थान केनाल का काम बन्द नहीं हो और राजस्थान केनाल का फर्स्ट फेज पूरा हो, इसका काम आगे बढ़े चाहे राजस्थान

(श्री केदारनाथ)

का कुछ भी हो। इस राजस्थान केनाल के बारे में सेन्ट्रल आथोरिटी मनवाने के लिए राजस्थान की लीडरशिप को इस्तीफा भी देना पड़े और चाहे वह भले ही सेन्टर के क्लेश में आये-लेकिन फिर भी इस बात को स्थापित करे तो मैं नहीं सोचता कि सेन्टर में इतनी ताकत है कि उससे न मनवा सकें। आखिर राजस्थान केनाल के साथ कई प्रश्न जुड़े हुए हैं, राजस्थान केनाल के नीचे जितनी भी जमीन है उसका क्या होगा ?

मान्यवर, एक अहम् प्रश्न यह है कि लैण्ड की पॉलिसी का बेसिस यह रहा है कि जो लैण्ड है वह टिलर के पास जाय। इसी बात को मान कर कुछ रिफार्म्स किये गये और कानून बनाये गये और वह अमल में भी आये लेकिन उनका उतना असर नहीं हुआ। इसी कारण एक रेवेन्यू लॉज कमीशन को अपाइन्ट किया गया जो कि लैण्ड रिफार्म्स से संबंधित जितनी भी बातें ह उन पर अपनी रिपोर्ट देगा जिसके बाद में एक काम्प्रीहेन्सिव लॉ बनाया जायगा। उस कमीशन की रिपोर्ट आई या नहीं ? यह बतायें क्योंकि जो लॉ आने वाला था वह नहीं आया। मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि यदि राजस्थान की सरकार इस उसूल को मानती है कि जमीन का हक उस व्यक्ति के पास जायगा जो जमीन पर काश्त करता है, जो जमीन के ऊपर काबिज है तो फिर ऑक्शन किस बात का? जो रूल्स राजस्थान गजट में निकले-राजस्थान की जमीन, जो भी अब है, उसके ऊपर जिसका कब्जा है, जो उस पर काश्त करता आया है, वही उस पर आगे काश्त करेगा, उसके बारे में रूल्स बन गये और अब 5 फरवरी को उस राजस्थान की जमीन का ऑक्शन होगा। ऑक्शन के बारे में मेरा मानना है कि जमीन का आखिर ऑक्शन कौन करेगा, उसमें कौन बोली लगायेगा, उसमें किसकी हाइएस्ट बिड आयेगी ? हाइएस्ट बिड उसकी ही आयेगी जो गैर काश्तकार है। वह आक्शन के अन्दर हायर बिड लगायेगा और उसके बाद यह बिल्कुल साफ बात है कि क्योंकि वह खुद-काश्त नहीं करेगा और हायर पर रख कर या कीपर की मार्फत काश्त करायेगा, टेनेन्ट की मार्फत करायेगा-इसलिये लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। यह एक सीधी सी बात है कि किसी के फन्डामेन्टल राइट्स को खत्म करेंगे तो लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति वहां पर खत्म हो जायगी। आप इस बात को मानते हैं कि जमीन उसके पास जाय जो गैर काश्तकार हैं जब कि लण्ड रिफार्म्स का बेसिस यह है कि जमीन टिलर के पास रहे ताकि वह उसमें अच्छी काश्त कर सके। आपने यह कानून बनाया कि 1955 के बाद जो काश्तकार लगातार जमीन पर काश्त करते हैं उनको स्टेट ऑथोरिटी के साथ में 2 मुरब्बा यानि 50 बीघा जमीन देंगे लेकिन आज कानून यह कहता है कि उनके पास 45 बीघा, 35 बीघा जमीन तो खोंस लेंगे और 15 बीघा जमीन उनको देंगे। मान्यवर, ताज्जुब कीजिये, दस साल से जमीन पर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, नई जमीन को काबिले काश्त जिन्होंने बनाया है, जमीन के ऊपर सारा खर्च किया है और उस पर महनत की है लेकिन जब वह जमीन फसल लायक हुई है, जब वह जमीन प्रॉडक्शन लायक हुई है, जब वह जमीन रिटर्न्स देने लायक हुई है तब उसको उस जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। आपका कानून यह बोलता है, आपके रूल्स यह बोलते हैं कि राजस्थान

(श्री केदारनाथ)

केनाल की जमीन है उसके ऊपर आप इतनी कीमत लगादें कि 15 बीघा जमीन की लेंड-लेंस काश्तकार कभी कीमत न दे सकेगा और उसका सारा का सारा टाइटल है, और उसका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है और उसकी सारी की सारी महनत है वह बेकार हो जायगी। रूल्स को पढ़ने के बाद, सोचने के बाद यह साफ है कि वह उसका हकदार नहीं है। उसको अब कौनसी जमीन मिलेगी, कौनसी जमीन नहीं मिलेगी, किस जमीन का आक्शन होगा, किस जमीन पर टाइटल प्राप्त होगा, वह कब प्राप्त होगा—यह सब अनिश्चित है। आपने इतना सस्पेन्स पैदा कर दिया है जिससे काश्तकारों में इतना असंतोष है, इतना असंतोष व्याप्त है जिसके कारण वह जमीन पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे और इसका क्या मोड ऑफ एजिटेशन होगा, कैसे लोग इसको बर्दाश्त करेंगे या फेस करेंगे—यह तो आने वाला वक्त ही बतायेगा। मैं आपकी मार्फत अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार यदि इस बात को नहीं मानती है और आक्शन को नहीं रोकती है, आक्शन को बन्द नहीं करती है तो मैं सोचता हूं कि हमारे जिले में पिछले पांच सात सालों में बहुत शांति रही है और सरकार इस बात का अगर विश्वास किये हुए बैठी है कि वहां 9 सीटों में से 7 सीट पर कांग्रेस आ गई है और वहां पर कांग्रेस का दबदबा है इसलिए आक्शन होगा तो कोई आन्दोलन नहीं होगा–तो यह गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। वहां लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं और वह पांच तारीख को आक्शन नहीं होने देंगे और जिन लोगों के कब्जे में जमीन है, जिन लोगों ने जमीन को काबिले काश्त बनाया है, वह अपनी उस जमीन की एक इंच जमीन पर पर से भी अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे और वह उस जमीन पर काबिज बने रहेंगे क्योंकि राजस्थान केनाल बनने से पहले जिन लोगों के अन्दर अधिकार करने को इस हाउस के अन्दर कानून की धारा 15 ए में अमेंडमेंट मूव किया गया था, उस टैनेन्सी एक्ट के उस हक को उनसे वापिस ले लेंगे और एक तरीके से उनका जमीन पर कब्जा नहीं रहने देंगे। मैं समझता हूं कि वह जमीन पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर, इसलिए, मान्यवर, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि हमें यह कहा जाता है कि हम लोग इरेंस्पोन्सिबल हैं और लैफ्ट कम्युनिस्ट हैं वह राजस्थान में नक्सलबाडी इस प्रश्न को लेकर पैदा करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं, नक्सलबाडी वह नहीं सरकार पैदा करेगी क्योंकि वह काबिज लोगों से भूमि वापिस लेगी और काश्तकारों को बेदखल करेगी भूमि से। आप मुझे बताइये, वहां लॉ एण्ड आर्डर कैसे रहेगा, जब वहां आर० ए० सी० आयेगी, पुलिस आयेगी, वहां पर रिप्रेशन के लिए मशीनरी होगी, वहां पर आफिसर खड़े होंगे और गैर काश्तकार लोग वहां पर बोली लगायेंगे और जिन्होंने ब्लेक मनी पैदा किया है वह डवलपमेंट आफ लैण्ड के के नाम पर, प्लानिंग के नाम पर, विकास के नाम पर उसे वाइट में कन्वर्ट करने के लिए जमीन पर कब्जा करने के लिए आयेंगे तो लॉ एण्ड आर्डर को तो खुद सरकार भंग करती है, अमन को भंग करती है, वहां पर विपत्ति और बाधा पहुंचाती है। इसका सरकार मेंन कॉज है, इसकी सरकार पर जिम्मेदारी है–यह, मान्यवर, मैं आपकी मार्फत कहना चाहता हूं।

(श्री केदारनाथ)

इसके अलावा राजस्थान में हमने जो कुछ देखा, इन पिछले दस बारह महीनों में, मान्यवर, में उसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि जिस दिन राज्यपाल महोदय ने हमारी विधान सभा को सस्पेन्ड किया और कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस को वक्त दिया लोगों को तोड़ने का, अपने में मिलाने का – हमारे से एक बहुत अहम् गलती हुई, पॉलिटिकल पार्टीज से एक अहम् गलती नहीं होती तो राजस्थान का भविष्य कुछ और होता, राजस्थान में पॉलिटिकल पिक्चर कुछ और ही होती। यदि सारे के सारे लोग मास एक्शन पर तुल जाते। सारा राजस्थान जैसे बन्द था वैसा पॉलिटिकल एजीटेशन शुरू हो जाता तो, मान्यवर, इस बीच में ऐसी स्थिति पैदा होती कि या तो हम हुकूमत करते या हुकूमत इनको करने नहीं देते। यह राजस्थान का भविष्य होता लेकिन उसके बाद राजस्थान में जैसे मुर्दनी छा गई। आज राजस्थान में मुर्दनी नहीं है लेकिन निराशा है, स्लथ और इनएक्शन का वातावरण है। आप आज कहीं देख लीजिये, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे राजस्थान में निराशा है। मैं उन पार्टी के वर्कर्स को दाद दूंगा जिन्होंने निराशा के वातावरण को तोड़ने के लिए एक्शन का नारा दिया है, मास एक्शन का नारा दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मास एक्शन से हुकूमत बदल जायगी अगर असेम्बली के फोरम पर यहां आकर बैठ कर कान्स्टीट्यूशन की लिमिटेशन होने के कारण हम हुकूमत नहीं बदल पाये, राज्यपाल की मार्फत हम हुकूमत नहीं बदल पाये तो बदलने की ताकत है, जो मोड आफ एक्शन है वह यह है कि मास एक्शन से हुकूमत को बदल दें। कांग्रेस को हुकूमत से आउस्ट करने का यही तरीका है जैसा कि हरियाणा और बंगाल के अन्दर हो रहा है। इसलिए राजस्थान की जनता के नुमाइन्दे इस बात को सोचें कि राजस्थान की जनता की भलाई इसी बात पर है कि वह मिल कर एक मिनिमम प्रोग्राम मास एक्शन का तय करें। अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान में डेमोक्रेसी पनपे, अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, अगर आप चाहते हैं कि एक गुट की हुकूमत समाप्त हो बगैर कांग्रेस के साथ मिले तो इसका तरीका मास एक्शन हो सकता है। मैं सोचता हूं जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी हुकूमत कायम करने के लिए मास एक्शन करना चाहती है वह कोई जागीरदारों और राजाओं की हुकूमत दुबारा राजस्थान में कायम करने के लिये नहीं करना चाहती, वह यह बात को लेकर चलती है कि राजस्थान में ऐसी हुकूमत कायम हो जो समाजवाद में विश्वास रखती हो, जो चाहती हो कि गरीब तबका ऊंचा उठे और समाजवाद का सिद्धान्त पनपे। मैं इस बात को मान कर चलता हूं मास एक्शन से कुछ हानि होगी या नहीं यह पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है। राजस्थान के अन्दर इसके अलावा हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं है। एक ही प्रश्न है कि राजस्थान में मास एक्शन हो जिसके द्वारा राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त हो और इन्डीविजुअल केसेज में सरकार नियमों और कानून के खिलाफवर्जी न करे। हम इसके द्वारा दल बदलने की नीति को भी बदलना चाहते हैं और एक नया विश्वास, एक नई ताकत, एक नई प्रेरणा राजस्थान की जनता को देना चाहते हैं। इसलिये मास एक्शन करो, मिनिमम प्रोग्राम के लिये लड़ो, यह लड़ाई है यह स्वागत के योग्य है। इसके बाद जो

(श्री केदारनाथ)

जिन्दा रहेंगे वह राजस्थान के वातावरण को बदलेंगे, आज के वातावरण को बदलेंगे और जो नहीं रहेंगे वे आयन्दा याद किये जायेंगे ।

मैं आखिरी बात कह कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं । कल मेरे दोस्त एक बात कह रहे थे । उनका सीलिंग पर अच्छा भाषण था । उनका कहना था कि सीलिंग लागू हो । मैं मानता हूं आठ साल के बाद अब तो सीलिंग लागू हो लेकिन सीलिंग को जिस वक्त लागू करने का था उस वक्त उद्देश्य यह था कि राज्य की जमीन जो खाली पड़ी है उस पर लैण्ड लैस का कब्जा हो। यह बात अच्छी है । इसके लिए कौन नहीं कहता कि इसको लागू करो, इसमें कौन रुकावट पैदा कर रहा है । मैं सोचता हूं जिस दिन कांग्रेस के लोग सीलिंग को लागू करने के लिए राज्य की जमीन पर लैंड लेस का कब्जा कराने के लिए मास एक्शन शुरू करेंगे, सत्याग्रह नहीं, व्यक्तिगत प्रेशर और हड़ताल नहीं, मास एक्शन शुरू करेंगे, तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान में जो बीस साल में सुखाड़िया जी नहीं कर पाये हैं वह भाई शंकरलाल करेंगे यदि मास एक्शन की फिलासफी में वह विश्वास करते हैं । यदि राजस्थान में सुखाड़िया जी के राज की फिलासफी को बदलना चाहते हों, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हों, शासन को बदलना चाहते हों तो उसके लिए कोई भी भाषा, कोई भी शब्द या कोई भी तरीका मास एक्शन के अलावा नहीं है । इन शब्दों को कहता हुआ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुना । अभिभाषण राजस्थान की स्थिति के बारे में था । यह सही स्थिति का चित्रण करता है । हम इस बात के आभारी हैं कि प्रेरणादायक और आशाओं से भरा हुआ भाषण राज्यपाल महोदय ने हमको दिया है । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हमारे देश के भूतपूर्व और वर्तमान सैनिको को सुविधाए देने की महत्वपूर्ण योजना दी है । हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री ने देश को 'जय जवान और जय किसान' का एक नारा दिया था । हमारे प्रदेश में भी इस बात की चर्चा थी कि हम देश के जवानों के बारे में सोचते और उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते । उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए हमारी सरकार ने हमारे सैनिकों के लिए जिन सुविधाओं की घोषणा की है वह सराहनीय है । हमारे प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक इस कठिनाई को महसूस करते थे । उनको माहवारी पेन्शन छः छः महीने के बाद मिलती थी । छः महीने के बाद भी पुरानी प्रथा के अनुसार पेन्शन बांटने वाले अधिकारियों का जिला अधिकारियों के यहां तीन-तीन, चार-चार दिन का केम्प लग जाता था । वहां पर उनको पेंशन प्राप्त करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती थीं । मेला सा लग जाता था । पीने के पानी की तकलीफ होती थी । खाने पीने की तकलीफ होती थी । भूतपूर्व सैनिकों की विधवा पत्नियों को, लंगड़े लूले सैनिकों को अनेक कठिनाइयां होती थीं । हमारी सरकार ने उन सैनिकों की कठिनाइयों को अनुभव किया । और, यह सुविधा प्रदान की है अब उनकी पेंशन उनके घर पर मनीआर्डर के जरिये पहुंच जाएगी । यह महत्वपूर्ण घोषणा है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारी

(श्री रामनारायण चौधरी)
सरकार ने छठी कक्षा से नीचे के भूतपूर्व और वर्तमान सैनिक परिवारों के लड़कों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। यह घोषणा करके सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बड़े बड़े जिला केन्द्रों पर भी, जहां शहरों में रहवास के लिए सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिकों ने मांग की है, उनके मकानात के लिए जो भूमि को रिजर्व किया है, वह भी एक स्वागत योग्य घोषणा है। मैं सरकार के इन कदमों की सराहना करता हूं। इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने कुछ और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, वे भी स्वागत योग्य हैं। परन्तु, उन्होंने अपने अभिभाषण में कुछ बातें कह कर कुछ अन्य बातों का जिक्र नहीं किया है। उनके बारे में भी अपने विचार मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात की घोषणा की है कि राजस्थान मद्य निषेध की तरफ कदम उठायेगा। घोषणा में कहा गया है कि राज्य सरकार लड़कों के लिए, स्कूलों में और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मद्य निषेध लागू करेगी। घोषणा में यह भी कहा गया है कि 18 साल से नीची आयु के व्यक्तियों के लिए मद्य निषेध पूर्णतया लागू होगा। इस प्रकार से 18 साल से नीचे वाले सेवन करते हुए पाये जायेंगे तो उन पर मुकदमे चलाये जायेंगे। उनको सजाएं दी जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषणा स्वागत योग्य है। लेकिन, मैं आपके द्वारा इस बात को कहना चाहता हूं कि आज हमारी जनतन्त्रीय सरकार है और जनतन्त्रीय, सरकार चलाने की जिम्मेदारी आज सरकारी मशीनरी पर है। मैं सरकारी मशीरी की आलोचना नहीं करता, मैं उसका प्रशंसक हूं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका यहां उल्लेख किया जाना उचित है। मद्य निषेध के बारे में राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की थीं, हमारे यहां से कानून बनने के बाद उनके माध्यम से किस तरह से उनका पालन कर रहे हैं मैं उनकी तरफ भी थोड़ा इशारा करना चाहता हूं। आज हमारी सर्विसेज के लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो सर्विसेज में हैं उन कर्मचारियों के बारे में क्या स्थिति है? अच्छा होता कि राज्य सरकार और राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में इस बात का ऐलान करते, इस बात की घोषणा करते कि मेरी सरकार का कोई भी राजकीय अधिकारी और राज्य कर्मचारी अपने व्यवहार में, अपने जीवन में मद्य निषेध का पूरी तरह से पालन करेगा। यह घोषणा अगर की जाती तो मद्य निषेध के बारे में एक सराहनीय कदम होता। ....

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह घोषणा होनी चाहिये थी।

श्री रामकिशन (वैर) : इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दीजिये, अधिकारी पीवें न पीवें, पर मन्त्री नहीं पीवें। सरकारी अधिकारी शराब नहीं पीवें, यह नहीं हो तो इतना भी तय हो जाय कि मन्त्री कोई न पिये, तो काम चल जायगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह घोषणा होती तो कुछ महत्व रखती। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि आप एक विद्यार्थी को शराब पिये हुए पकड़ कर उसको सजा दिलाये, लेकिन उस विद्यार्थी

(श्री रामनारायण चौधरी)

का पिता शराब पीता है तो मैं उसको ठीक नहीं समझता क्योंकि जैसा पिता करेगा वैसा ही उसका पुत्र करेगा। तो मेरा कहना है कि विद्यार्थियों के लिये और 18 साल तक के बच्चों के लिये जो मद्य निषेध की घोषणा की है, वह ठीक है पर इससे क्राइम बढ़ेंगे और इसके पीछे जो सुधार करने का उद्देश्य है वैसा मुझे बहुत कम नजर आता है। सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों के संबंध में मद्य निषेध के बारे में घोषणा करनी चाहिये थी।

इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में नहरी जमीन की नीलामी के बारे में यदि घोषणा की होती तो ज्यादा अच्छा होता। आज नहरी जमीन नीलामी के द्वारा बेची जाती है, इस तरह से वह जमीन सिर्फ वे ही लोग ले सकते हैं जो साधन सम्पन्न हैं, वे ही लोग ले सकते हैं जो पैसे वाले हैं या जो भूतपूर्व जागीरदार हैं, या राजाओं के परिवार से संबंधित हैं, आज भूमिहीन किसान इस नीलामी में जमीन नहीं ले सकते। समाजवादी समाज की कल्पना करके हमारी सरकार चलती है, यदि सरकार उस समाजवादी समाज के स्वप्न को पूरा करना चाहती है, यदि समाजवादी समाज के स्वप्न को साकार करना चाहती है तो सरकार को यह निर्णय करना चाहिये कि भूमिहीनों को अलॉटमेंट के द्वारा भूमि अलॉट की जाय और नहरी भूमि की नीलामी कतई बन्द कर देनी चाहिये। इस प्रकार की घोषणा राज्यपाल महोदय को अपने अभिभाषण में करनी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं किसानों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके जो अभाव अभियोग हैं, मुश्किलात हैं उनके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने हमारे देश को "जय किसान" का नारा दिया था। किसान आज अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद उत्पादन बढ़ाने में जुटा हुआ है। किसानों के कुछ बुनियादी सवालात हैं, उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कृषि का उत्पादन बढ़ाने में किसान पिछले सालों की बनिस्बत सफल रहा है। किसान ने गत वर्ष पहले वर्ष से 5 लाख टन अधिक खाद्यान्नों का उत्पादन किया है। अपनी तमाम कठिनाइयों के बावजूद किसान ने उत्पादन बढ़ाया है, यह तारीफ के काबिल है। पर जो चीजें, जो साधन किसानों को कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये चाहिये वह उन्हें मुहैय्या करने चाहिये। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये जिन चीजों की जरूरत है वह है बिजली, पानी और सरकारी ऋण। बिजली की तरफ सरकार को थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज किसानों ने अपने खेतों पर पम्पिंग सैट्स लगा रखे हैं, पर उनको नियमित रूप से बिजली नहीं मिलती है, प्रत्येक 15 मिनिट बाद बिजली बन्द हो जाती है, ओवरटेक घट जाता है किसान की लगाई हुई मशीन जल जाती है और इस प्रकार उसको हजारों रुपयों का नुकसान हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसानों को नियमित रूप से समुचित मात्रा में बिजली दिये जाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये।

ऋण के बारे में किसानों को अनेकों प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री रामनारायण चौधरी)
सरकार ने किसानों को ऋण देने की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, पंचायत समितियों द्वारा की है। इस वर्ष हमने देखा कि यह दोहरी व्यवस्था कर दी गई है। कुछ जगह पंचायत समितियों की मार्फत किसानों को ऋण देने की व्यवस्था है तो कुछ लोगों को भूमि बन्धक बैंक द्वारा ऋण देने की व्यवस्था है....

कच्ची बस्तियों के निवासियों के प्रदर्शन व मांग-पत्र संबंधी व्यवस्था प्रश्न और वाद-विवाद

श्री रामकिशन (बैर) : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। सुबह हमने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कच्ची बस्तियों के बारे में। सौभाग्य से कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी समस्या इतनी मौलिक है, समाचार पत्रों में जो हमने पढ़ा उससे ऐसा मालूम हो रहा है कि कच्ची बस्ती वालों की इस समस्या में कांग्रेस वाले भी दिलचस्पी ले रहे हैं। कच्ची बस्ती वालों की समस्या पर इतने लम्बे अर्से तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना यह जयपुर के लिये तो कलंक की बात है ही पर राज्य सरकार के लिये भी कलंक की बात है कि वह अपने वायदों से मुकरती है। जैसा कि हमने कल कांग्रेस का प्रस्ताव पढ़ा, इन लोगों की समस्या का समाधान जल्दी ही किया जाना चाहिये। श्रम मंत्रीजी सदन में उपस्थित हैं और वे लोग विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो दिन में पक्के मकान बनाते हैं और रात में कच्ची झोंपड़ियों में बैठ जाते हैं। श्रम मंत्रीजी सदन में उपस्थित हैं, खाद्य मंत्रीजी भी सदन में उपस्थित हैं और भी मन्त्री हैं, वे उनसे मिलें और उनसे उनकी इस समस्या को समझें और उनको ऐसा कोई आश्वासन दें कि लगातार आन्दोलन और प्रदर्शन होते हैं, इसके लिये उनको धीरज मिले।

एक मिनिट में एक और निवेदन करना चाहूंगा, यहां सरकार की परम्पराओं की बात की जाती है, इसमें परम्परा की बात नहीं आती। चुनाव के समय में जब इन लोगों से वोट लेने के लिये जाते हैं तो इनके पैरों की ओर हाथ जोड़ कर बैठ जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर परम्परा की बात करते हैं। इन लोगों से मिलने में क्या दिक्कत है, जो लोग हिंसा पर उतारू हों उनसे मिलने में एतराज हो सकता है पर ये तो वे लोग हैं जो कहते हैं कि मारेंगे नहीं, और मानेंगे नहीं। ये तो सुकरात की परम्परा वाले लोग हैं। यदि आप परम्परा पर अड़ कर बैठ जाते हैं तो आज फैसला हो जाय कि परम्परा के नाम पर चुनावों के समय में भी आप उन लोगों के पास नहीं जायेंगे, चिट्ठी लिख कर भेज देंगे कि हम मंत्री हैं इसलिये वोट मांगने के लिये आपके पास आ नहीं सकते, आप वोट हमें दे दें। सदन में खाद्य मंत्री हैं, श्रम मंत्रीजी हैं और महिला मंत्री जो स्टेट मिनिस्टर हैं, जिनका मन उदार और मुलायम भी होता है, वे जाकर इन लोगों से मिलें और उनकी तकलीफ को समझें। मंत्रिमंडल के और मंत्री हैं वे इन लोगों से मिल कर इनकी तकलीफ को समझें। खास तौर से इन लोगों की इस समस्या का निराकरण करना चाहिये।

Page No.70

श्री उपाध्यक्ष : पहला प्रश्न तो यह कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। दूसरे जो स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया है उसके सम्बन्ध में कल वक्तव्य दिया जायगा।

मंत्री महोदय मिलना चाहें तो खुशी से मिल सकते हैं पर आसन इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकता।

श्री नरसिंह : मिलने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न करें, उत्तर दे देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे हस्ताक्षर करा कर मेमोरेंडम लाये हैं और राजस्थान विधान सभा को देना चाहते हैं, राजस्थान विधान सभा के लिये मेमोरेंडम ले कर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उसके लिये नियम बने हुए हैं, वैसे कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनकी खास मांग यह है कि उनकी बेदखली रोक दी जाय और जिस जमीन पर वे लोग बैठे हैं उस जमीन पर उनको मालिकाना हकूक दे दिये जायं। उनकी बेदखली को रोक दिया जाय। कभी नगर न्यास वाले उनको रोकते हैं, कभी म्युनिसिपेलिटी वाले रोकते हैं, कभी जागीरदार जमीन बेच देता है, रोज झगड़े होते हैं, उनको हर तरह से बेदखल करना चाहते हैं और कहते हैं कि मिल्कियत का पट्टा दिखाओ, वे लोग कहते हैं कि पहले किले का और चन्द्र महल का पट्टा देखो, कहां है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक नई बहस खड़ी कर दी है। व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, व्यवस्था दे दी। अगर मंत्री महोदय नहीं मिलेंगे तो जनता यह स्वाभाविक है कि खिलाफ होगी, इसके परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे।

(2 म० प०)

आसन कुछ नहीं कर सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे लोग आवेदन पत्र लाए हैं, इसलिये आप किसी मंत्री को उनसे जाकर मिलने के आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष आसन कोई आदेश नहीं दे सकता।

श्री मुकुट बिहारीलाल : समस्या बहुत गंभीर है। राजस्थान में गृहों के निर्माण की समस्या व्याप्त है, जन समुदाय बिना घर के हैं, वह घास फूस की झोंपड़ियों में रहें और इस तरह अपनी जिंदगी बसर करें......

श्री उपाध्यक्ष : आप जानकर भी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। यह संभव नहीं है कि आदेश दिए जा सकें कि कोई मंत्री महोदय जाकर प्रदर्शनकारियों से मिलें। आपने बात कह दी, मंत्री महोदय अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो आसन कुछ भी नहीं कर सकता।

श्री विट्ठल भाई : गरीबों को उजाड़ा जा रहा है कोई प्रदर्शन आता है तो विभाग का मंत्री होता है......

श्री राम किशन : यह तो उनके ही फायदे की बात है। अगर मंत्री बहरे हैं तो नहीं बोलें।

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष : उनके फायदे की बात का आप सुझाव न दें। जनता को नाराज करने से क्या नुकसान हो सकता है, वह वे जानते हैं।

श्री रामनारायण !

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रिमण्डल को खुद कुछ सूझता नहीं, दूसरों की मानते नहीं।

श्री नत्थीसिंह : मंत्री मौन हैं। उनके मौन से ऐसा लगता है कि उनकी जबान पर ताला लगा हुआ इसलिये है कि मालिक साहब आज नहीं हैं। विरोधी पक्ष वालों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा ताकि उनको साहब और हिम्मत आए। हालांकि ये लोग (सरकारी पक्ष) इंटक के नेता हैं फिर भी मजदूरों के संबंध में कुछ नहीं कह पाते हैं, मौन रह जाते हैं. जनता की सुनते नहीं, यह बिल्कुल अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैया है। इसके विरोध में हमें सदन से बाहर जाकर उनकी बात सुनने को विवश होना पड़ रहा है।

(श्री नत्थीसिंह द्वारा बहिर्गमन)

श्री भैरोंसिंह : इस संबंध में कई बार वादविवाद हुआ और सरकार इस प्रश्न को स्थगित करने के प्रयत्न में रहती है। इस कारण जयपुर और राजस्थान में कच्ची बस्तियों के लोग परेशान हैं, खास तौर से सर्दी और बरसात और गर्मी के दिनों में। सरकार कभी यू. आई. टी. के माध्यम से, तो कभी नगरपालिका के माध्यम से, तो कभी मजिस्ट्रेट के माध्यम से उनके मकानों को तुड़वाने के आदेश देने में किसी प्रकार संकोच नहीं करती। पिछली बार विधान सभा में सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इस समस्या पर कोई न कोई निर्णय करके कोई रास्ता निकालेंगे जिसके कारण न तो एन्क्रोचमेंट हो, न बसे हुए लोगों को बेदखल किया जाय। लेकिन न मालूम कैसे कुछ लोग, जो प्राइवेट कालोनाइजर्स हैं, इसमें रोड़ा अटकाते हैं। वे लोग जमीन के मालिक बनकर कच्ची बस्ती वालों से किराया लेते हैं, मर्जी पर बसाते हैं और अपनी मर्जी पर उखाड़ते हैं। इस समस्या का निर्णय किसी प्रकार होना चाहिये ? प्रदर्शन करके, प्रस्ताव पास करके, विधान सभा में सभी संवैधानिक तरीकों से लोगों ने अपनी मांग को पुरजोर शब्दों में रखा है लेकिन सरकार इस पर मौन रहती है। अब क्या तरीका है उसके दो तरीके हैं या तो वे लोग अपने मकान सुरक्षित रखने के लिये सरकार से लड़ें–कानूनी ढंग से। इसमें तो बहुत खर्चा होता है उसको बर्दाश्त आज का गरीब और मजदूर नहीं कर सकता तो फिर प्रदर्शन करके अपनी मांग रखें। यहां कोई मंत्री महोदय दो शब्द तो कह दें कि इनके मकानों की समस्या को निपटाने के लिए क्या करने वाले हैं। लेकिन सरकार इस पर भी मौन रहती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई मंत्री जाकर जो कुछ आज की नीति है और भविष्य में जो निर्णय लेने वाले हैं, उसकी सूचना उनको दे दें ताकि उनके अंदर इस बात की तसल्ली हो जाय कि सरकार मालिकों के दबाव में आकर उनको नहीं निकालेगी, वे सर्दी के दिनों में वहां ही बैठे रहेंगे जब तक सरकार कोई निर्णय न करे बाकी यूं चुप रहना उन लोगों के साथ अन्याय होगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : मंत्री महोदय जाना चाहें या न

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जाना चाहें यह उनकी मर्जी की बात है, जनता जैसे चाहेगी उनसे डील करेगी लेकिन कम से कम यह तो बतायें कि उनको मालूम है कि बाहर लोग आए हुए हैं, याचना करना चाहते हैं। वरना मंत्री बाद में कह देंगे कि उनको मालूम नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय को मालूम हो गया।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : मालूम है।

श्री लादूराम सुलानिया : मंत्री महोदय ने क्या कहा, कुछ सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने अपनी बात कह दी। मंत्री महोदय ने वह सुनली। उसके बाद में वह मौन हैं तो यह सदन के लिये है कि वह अपना नतीजा निकाले।

श्री रामकिशन : इनका मौन भंग कैसे होगा?

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको आदेश दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि किसी प्रश्न पर सदन में भावनायें व्यक्त की जायं और सरकार उस प्रश्न पर बिल्कुल मौन रहे। इस आशय के स्थगन प्रस्ताव की सूचना मैंने आज प्रातःकाल दी कि जयपुर शहर की कच्ची और गंदी बस्तियों में रहने वालों की समस्या भयंकर है, नोटिस दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछली बार आश्वासन दिया था कि जब तक कच्ची झौंपड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों को दूसरी जगह पर प्लाट्स नहीं दिए जायेंगे तब तक उनको झौंपड़ियों से निकाल कर बरबाद नहीं किया जायगा। सरकार के ऐसे आश्वासन के बावजूद भी आज यू० आई० टी० से लगातार उन लोगों को नोटिसेज दिए जा रहे हैं, झौंपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कल सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार कुछ नहीं बोलती। आप सरकार को बुलवा नहीं सकते, मंत्री मौन बैठे हुए हैं, यह क्या तरीका है कि सरकार कुछ नहीं बोले? कहिए कि क्या नीति है?······

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार की नीति है कि मनमाने ढंग से लोगों को झौंपड़ियों से निकालकर बरबाद किया जाय?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में इस तरह की स्थिति का प्रावधान है कि पूर्व सूचना दी जाय संबंधित मंत्री को और अगर अध्यक्षीय आदेश हो तो वक्तव्य दें। अभी इस प्रश्न पर सरकार की ओर से जवाब देना या न देना उनके हाथ की बात है, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री लादूराम सुलानिया : लोग परेशान हो रहे हैं। बाहर प्रदर्शन हो रहा है, कम से कम यह तो बता दें······

श्री उपाध्यक्ष : उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। मंत्री महोदय उत्तर देना चाहें तो दे दें। श्री राम नारायण!

श्री मथुरादास माथुर : (वित्त मंत्री): पहले ही निवेदन कर दिया गया है। जहां तक स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न है, उसका उत्तर कल दिया जायगा। जहां तक, बाहर जो लोग आए हैं, उनसे मिलने का सवाल है, उसके लिए यह परम्परा कायम की है कि यह लोगों का नागरिक अधिकार है कि वे धारा सभा के बाहर आकर अपनी बात रखें लेकिन हर प्रदर्शन पर मंत्री बाहर जाकर उन लोगों से मिल कर फैसला करें तो यह न तो इतने बड़े समूह में बात होती है, न फैसला होता है। उनके प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। इसके अलावा अगर कोई जलूस धारा सभा के सामने आता है तो उनके चुने हुए 4-5 आदमी आएं तो हम उनसे बराबर मिलने को तैयार हैं अपने चम्बर में बैठकर और दूसरे माननीय सदस्य भी मिलना चाहें तो वह भी वहां बैठ सकते हैं। यह परंपरा हमने कायम की है। कल भी रिक्शा और ठेले वालों के 4-5 आदमी आकर हम से मिल गए। तो मंत्री कन्सर्न्ड या जो कोई मंत्री मौजूद होगा वह उनकी बात को सुनेगा और कल वक्तव्य दिया जायगा, कि समस्या का समाधान कैसे किया जायगा।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि हम किससे मिलें। चार पांच आदमी आकर हमसे मिल लें। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। यह जनतन्त्र है। हजारों लोग प्रदर्शन करते हैं। उनके अधिकार का प्रश्न आता है। आप बुला लीजिये उनके प्रतिनिधियों को। हम भी जन प्रतिनिधि हैं, आप भी जन प्रतिनिधि हैं। हमारा भी अधिकार है और आपका भी अधिकार है। आप प्रशासन में हैं आप समस्या को सुलझाइये। आप जिस प्रकार का भी आश्वासन देना चाहते हैं आप वहां जाकर दीजिये या चार पांच उनके प्रतिनिधियों को बुला कर जैसा आप चाहें वह कीजिये। इसमें तो हम आप से सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण !

श्री रामनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसानों को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था। भूमि बंधक बैंक की ओर से ऋण दिये जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ रकम भूमि बन्धक बैंक से मिलती है और कुछ रकम पंचायत समिति से मिलती है। पंचायत समितियों के पास पूरा स्टाफ है। टैक्निकल स्टाफ भी है और हर प्रकार की सुविधायें भी हैं जब कि भूमि बन्धक बैंक के पास न तो टैक्निकल स्टाफ है, न लैंड वेल्यूएशन अधिकारी है और न ही दूसरी सुविधायें हैं। इसलिये इस सारी स्थिति में यह एक विचारणीय विषय है कि हम राजस्थान के किसानों को ऋण देने के लिये पंचायत समितियों के मार्फत व्यवस्था रखें या भूमि बन्धक बैंक के मार्फत। मैंने जहां तक लोगों के विचार जाने हैं और मेरे जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि सरकार इस बात पर पुर्नविचार करे कि किसानों को ऋण देने वाली एक ही एजेन्सी हो और वह पंचायत समिति ही रहनी चाहिये। भूमि बन्धक बैंक प्राथमिक अवस्था में है। यह ठीक है कि भूमि बन्धक बैंक काश्तकारों

(श्री रामनारायण)

के नाम पर है लेकिन उनके पास आवश्यक मात्रा में साधन और अधिकारी न होने से किसान वहां पर ठीक प्रकार से सुविधा पूर्वक तकावी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिये ऋण देने की व्यवस्था पंचायत समितियों के जरिये रखनी चाहिये।

दूसरी बात किसानों के सम्बन्ध में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले हमारी सरकार ने जिलाधीशों को यह आदेश दिये कि मूंग, मोठ, मूंग की दाल, मोठ की दाल, जो किसानों के द्वारा उत्पादित चीजें हैं, की राजस्थान से बाहर निकासी करने पर 5 रुपया पर क्विन्टल के हिसाव से व्यापारियों से वसूल किया जाता है। लेकिन यह टैक्स डाइरेक्ट किसान के ऊपर आता है। किसान की चीज है। खेत में उसने पैदा की। वह उसको मार्केट में लावेगा और वह व्यापारी को देगा। व्यापारी पांच रुपये के मार्जिन के हिसाब से ले लेगा। दस क्विन्टल मूंग या मोठ पैदा करने वाले किसान को 50 रुपया साधारण तौर से हो गया। मैं राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि किमान के द्वारा पैदा किये हुए मूंग, मोठ और उनकी दालों पर जो पांच रुपया राजस्थान से बाहर निकासी करने की सूरत में टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है उसको वापिस लेने पर विचार किया जाना चाहिये। राज्य अधिकारियों से इस सम्बन्ध में मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार से इस प्रकार के टैक्स लेने की हिदायत नहीं है किन्तु जो व्यापारी राजस्थान से बाहर निकासी करता है उससे ही हम लेते हैं। व्यापारी खुशी खुशी हमको देते हैं। यह बहुत कम समझ में आनेवाली बात है। खुशी खुशी कौन रुपया देता है। यह किसानों के अहित की बात है कि मूंग, मोठ और इनकी दालों पर पांच रुपया क्विन्टल के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाय।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वह है देहात और शहरों में वितरण की जाने वाली चीनी के सम्बन्ध में। आज हम जय किसान का नारा लगाते हैं जिसका उत्पादन द्वारा देश के निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। काश्तकार खुद गन्ना पैदा करता है। उसके बाद वह चीनी का रूप धारण करता है। ओरिजनली किसान के द्वारा पैदा किया हुआ गन्ना चीनी के रूप में जब मार्केट में आता है तो चीनी पचास ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देहात में दी जाती है और शहरों में एक किलो या 800 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। पिछली बार विधान सभा में यह बात उठायी गयी थी कि चीनी के वितरण के मामले में देहात और नगर का जो रेश्यो है उसकी भिन्नता को दूर किया जाना चाहिये और समान रूप में चीनी देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

चौथी बात, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किसान के उन बच्चों के बारे में, जिनके माता पिता नहीं हैं

(श्री रामनारायण)

जिनके पिता गुजर गये हैं ऐसे किसान बच्चों की शिक्षा के बारे में या ऐसे किसान परिवार, जो साधनों से हीन हैं, उनके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं किया गया है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे साधन हीन किसान परिवारों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति के रूप में देने की व्यवस्था के लिये कुछ करना चाहिये ताकि वे आगे बढ सकें और प्रगति कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मेरे विचार सरकार के समक्ष पेश किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार!

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दल की ओर से अभी तक कोई नहीं बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार!

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये धन्यवाद हेतु एक चर्चा का विषय चल रहा है। वास्तविक रूप से देखा जाय तो इसको औपचारिक रूप से हम ग्रहण कर रहे हैं लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में आप विचार करें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम द्वारा सदन के सब माननीय सदस्यों और विशेषकर इन मंत्री महोदयों को यह बताना चाहता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। महत्व इस बात का है कि राज्य सरकार की एक वर्ष की सारी नीति होती है और उस आधार पर सरकार जो स्टेप लेती है, प्रशासनिक, व्यवस्था और अव्यवस्था के जो प्रश्न आते हैं, उन सब पर राज्य सरकार राज्यपाल के अभिभाषण द्वारा अपनी मोहर लगवाना चाहती है। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा और खास तौर से उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते समय राज्य सरकार की नीतियों के लिये आप स्वयं अपने विचार प्रकट करते हैं और जब आप अपने यह विचार प्रकट करना चाहते हैं कि राज्य सरकार सही रूप में नीतियों को क्रियान्वित करने में असफल रही है तो फिर कौनसा कारण उपस्थित हो जाता है? क्या आपकी आत्मा, क्या आपका हृदय इतना बुलन्द नहीं है कि जब धन्यवाद के प्रस्ताव पर मतदान का प्रश्न आये उस समय गम्भीरता पूर्वक आप इस प्रश्न पर विचार करें और यह सोचें और अपना कर्त्तव्य निभाते हुए यह देखें कि राज्य सरकार अपनी नीति को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने में असफल रही है ऐसी सूरत में धन्यवाद के प्रस्ताव को अपने मतदान के द्वारा क्यों पारित किया जाना चाहिये। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेद का विषय है कि इसकी गंभीरता पर कोई व्यक्ति विचार नहीं करता और केवल इसको औपचारिक ढंग से लेकर आप इसको पारित करने के ऊपर आगे बढ़ते जाते हैं यह नीति सक्रिय चलती आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस राज्य सरकार की नीति रही है पिछले

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

वर्षों से कांग्रेस की सरकार एकछत्र अपना राज्य करते हुये कौनसा प्रशासन में सुधार कर सकी, कौनसा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकी, कौनसा कृषि में सुधार कर सकी ? राज्य सरकार द्वारा में तो यहां तक कहूंगा, कि प्रशासन में एक ओर भ्रष्टाचार को बुलन्द करने का नारा दिया जा रहा है। कई विभाग खोले जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। दूसरी ओर जितना व्यय राज्य सरकार इस दृष्टिकोण से करना चाहती है उसी प्रकार से उतना ही भ्रष्टाचार, उतनी ही मंहगाई और उतनी ही खेती में कमी, उतनी ही शिक्षा में विकृतता, इस प्रकार की बहुत सी बुरी बातें इस प्रशासन में उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे स [illegible] महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। भाषण तो आप सुन चुके हैं। इसके विरुद्ध ये लोग भी कहते हैं। मैं वर्तमान कांग्रेस सरकार के विरुद्ध 5-4 मुद्दे महत्व पूर्ण रखना चाहता हूं और अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार यदि इन मुद्दों पर विचार नहीं करती है, राज्य सरकार अगर जनता के हित में विचार नहीं करती है तो निश्चयात्मक यह सरकार और विशेष दिनों तक नहीं चलने वाली है। आज देश में जनतन्त्र है और जनतंत्र के अन्दर वे ही सरकारें कायम रह सकती हैं जो जनता के हित में सोचें, जनता के साथ चलें, जनता की भावनाओं को समझें और इसके अन्दर चाहे वे मंत्री किसी भी वर्ग के हों कांग्रेस दल के हों और चाहे किसी भी दल के हों—उनके द्वारा इस बात पर विचार हो कि जनता की भावना क्या है, जनता हमसे क्या अपेक्षा करती है ? लेकिन इस कांग्रेस सरकार में जनता की भावना को ठुकराई जाती है, उनको पनपने नहीं दिया जाता है। बेईमानी और बुरी नीतियों से सदस्यों को खरीद कर बनाई गई सरकारें ज्यादा दिन नहीं चल सकती हैं—एक दिन वह आने वाला है जब खत्म होकर रहेगी। चीज बार बार विरोधी पक्ष वाले कहते हैं किन्तु इन मंत्रियों के कान खोलने के लिये आंखें खोलने के लिये यह दोहराना चाहता हूं। यदि आप लोगों ने अपने आपकी आंखें नहीं खोलीं, जनता की परवाह नहीं की—हमारे देश के इतिहास को पढ़ो, हिरण्यकश्यप एक पराक्रमी और बलशाली राजा हुआ था, वह यह कहता था कि मैंने मृत्यु को जीता है। मुझे न सुबह मृत्यु आ सकती है, न शाम को मृत्यु हो सकती है, किसी समय भी मुझे मृत्यु नहीं घेर सकती है, आन्धी और तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन एक समय आया और समय का प्रभाव ऐसा हुआ कि हिरण्यकश्यप जैसा पराक्रमी और बलशाली राजा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। न जाने किस शक्ति के अन्दर आज ये मंत्री माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने बैठे रहते हैं और जनता की आवाज को नहीं सुनते लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि एक वक्त आयेगा, जब जनता बलपूर्वक इनको दूर कर देगी और उसका परिणाम यह होगा कि सुशासन आकर रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार की नीतियों का प्रश्न है, उन नीतियों के बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने बताया है कि राज्य सरकार ने भूमि का आबंटन इस प्रकार किया है कि जिस

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

एलॉटमेंट के द्वारा हमारे देश में कृषि की वृद्धि होने की सम्भावना है। हमने इस प्रकार यत्न किया है कि खेती का उत्पादन बढ़े और वह समय दूर नहीं है जब कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेंगे, हमें विदेशों से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। हम पूरा खाद्यान्न अपने देश में उत्पन्न कर सकेंगे। अनाज को दूसरे देशों से मंगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2.25 म० प०)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

इस बात पर आप विचार करके देखिये। आप यह देखिये, जो एलॉटमेंट की नीति है, राजस्थान के अन्दर लाखों रुपया खर्च करके, कमीशन कायम करके कृषि को सुधार करने की योजना रखते हैं, उसमें प्रावधान रखने हैं-अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स को बिलकुल खतम करना चाहते हैं। यह आपकी क्या नीति है? दो-दो बीघा जमीन आप एलाट करते हैं, आप विचार करके देखिये दो-दो बीघा जमीन आपने काश्तकार को एलाट की है। अब वह दो बीघा जमीन में खेती करने जायगा तो उसे हजारों रुपये के उपकरण खरीदने पड़ेंगे। वह बैल खरीदेगा, हल खरीदेगा और दूसरी बहुत सी व्यवस्थायें करेगा। ऐसे आप अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स को एलॉटमेंट करके आप कहना चाहते हैं कि हमने एलॉटमेंट किया है। अलाटमेंट के अन्दर अव्यवस्थायें हैं। आपने वास्तव में सही एलॉटमेंट किया ही नहीं है। जिन लोगों को, जिन भूमिहीन लोगों को जमीन मिलनी चाहिये उनको जमीनें नहीं मिली हैं, बल्कि एलॉटमेंट किया जाता है तो उन लोगों को किया जाता है जो मिनिस्टर के रिश्तेदार होते हैं या जो ऊंचे अधिकारियों से संबंध रखने वाले होते हैं। उनको आप जमीन एलॉट कर देते हैं या ऐसे लोगों को जमीन एलाट करते हैं जो खेती का नाम तक नहीं जानते, जो हल पकड़ना तक नहीं जानते-ऐसे व्यक्तियों को आप भूमि एलॉटमट करते हैं और कहते हैं कि हमने एलॉटमेंट कर दिया और लोगों में भूमि वितरित कर दी, और कहते हैं बहुत ज्यादा अन्न पैदा होगा लेकिन उस एलॉटमेंट का परिणाम आपको क्या मिल रहा है? इस पर आप लोगों ने विचार नहीं किया। इस प्रकार की नीति खाद्य में है। जो अत्यन्त आवश्यक है उसमें इस प्रकार की नीति है तो हम क्या आशा करते हैं कि राज्य सरकार की नीति किस प्रकार सफल रहेगी, और किस प्रकार उसमें सुधार होगा?

यह तो भूमि के एलॉटमेंट का सवाल है। काश्तकारों के लिये राज्यपाल महोदय यह कहते हैं कि राज्य सरकार बहुत ज्यादा तकाबियां दे रही है, बहुत ज्यादा लोन दे रही है। लेकिन आप देखिये कि लाखों और करोड़ों रुपया राज्य सरकार का हर साल खजाने से इसलिये निकल जाता है कि गरीब काश्तकारों को तकाबी दी जाती है, गरीब काश्तकारों को लोन दिया जाता है लेकिन उसमे क्या पक्षपात होता है? क्या आप इस बात को बताने के लिए तैयार हैं कि लोन के लिये 3-3, 4-4 साल पहले से काश्तकारों की दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और उनको लोन सैंक्शन नहीं होता और फिर जिनकी डिमान्ड है, उनको लोन सैंक्शन नहीं होता। वे बेचारे बोहरे से कर्ज लेकर और अपने साधनों को जुटाकर, अपनी जमीन को बेचकर, अपनी जायदाद को बेचकर आधा कुआ बना लेते हैं। आधा कुआ बनने के बाद राज्य सरकार को एप्लाई

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

करते हैं लेकिन तीन-तीन, चार-चार साल का अर्सा बीत जाता है, उसका मेटेरियल सूख जाता है, उसकी जमीन सूख जाती है। उसका सब कुछ सूखने के बाद उस गरीब काश्तकार को आप रुपया दें तो उसका क्या महत्व होगा? यह तो आपके लोन देने की नीति है। एक तरफ राजस्थान में गरीबी बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर जो काश्तकार को एक-एक, डेढ़-डेढ़ हजार का लोन सेंक्शन करते हैं उसको भी आप दो-दो, तीन-तीन किश्तों में देते हैं। पहली किश्त 500 रु० की सेंक्शन करते हैं, 500 रु० में कुआ बनवा लिया तो दूसरे उपकरण उसके रह जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये मिनिस्टर लोग मदान्ध होकर, आंख मीचकर कुर्सियों पर बैठे रहते हैं और इन छोटी मोटी बातों पर भी विचार नहीं करते। अगर वह बेचारा उसको सही मायने में खर्च भी करना चाहता है और उसका सदुपयोग करना चाहता है तो भी वह नहीं कर पाता है।

तीसरी बात यह है, जो पिछलग्गू हैं और वह है आपकी अल्प बचत योजना। किसी को सेंक्शन दी उसका 50 या 60 रुपया अल्प बचत योजना में लगा दिया। यह सरकार नीति और सिद्धान्तों की बात करती है, सरकार यह कहना चाहती है कि हमने कभी भी किसी भी राज्य के कर्मचारी को इन्सट्रक्शन या इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये हैं कि जबर्दस्ती अल्प बचत के नाम पर पैसा वसूल किया जाय, लेकिन अगर राज्य सरकार की यही मन्शा थी तो आपने यह निर्देश, इन्स्ट्रक्शन केवल डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को क्यों दिये? इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार लिखित रूप के अन्दर आदेश भी देना नहीं चाहती है। लेकिन आफिसर्स को इस प्रकार के इन्सट्रक्शन देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह आपकी ही तो मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी है। आप उनको इस प्रकार के निर्देश देते हैं और यदि वे पालन नहीं करते हैं तो उसका परिणाम होगा, उन्हें अपनी नौकरी की चिन्ता है। ऐसे गरीब काश्तकारों से, जिनको अपने बाल-बच्चों के पेट पालने की चिन्ता है, आप अल्प बचत के नाम से पैसा वसूल करते हैं यह आपकी अल्प बचत योजना है क्या? जिसके पास अपने खर्चे के लायक पैसा नहीं हो उससे आप बचाने का सवाल करते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज से बीस साल पहले से आपके हाथ में इस देश का शासन आया है। आपको बीस साल एक छत्र राज करते हुए हो गये। आपने किस प्रकार की शिक्षा नीति अपनायी है? आज हमारे देश का विद्यार्थी आगे जाकर इस देश का कर्णधार बनने वाला है, वह इस राज्य की और भारत की हुकूमत करने वाला होगा। आज की शिक्षा ने सबसे ज्यादा असन्तोष इन लोगों में पैदा कर दिया है। जिनको किसी बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिये आज उन विद्यार्थियों के हृदय में भारी असन्तोष है। इसका कारण क्या है? उसके लिये कहा जा सकता है कि राजनैतिक पार्टियां, राजनैतिक नेता लोग इनको गुमराह करते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखिये वास्तव में परिस्थिति ऐसी नहीं है। आपने बीस साल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, किस तरह का उनका मस्तिष्क नर्माण किया है? यही उनके असन्तोष

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

का मुख्य कारण है। आज विद्यार्थियों में असन्तोष, शिक्षकों में असन्तोष-यह आखिर क्यों होता है ? इसके पीछे आपके जिस प्रकार के हथकण्डे चलते हैं वे इसके दोषी हैं। अध्यापकों का स्थानान्तरण किस आधार पर होना चाहिये इसका विभाग के अन्दर कोई नियम नहीं। किसकी पदोन्नति होनी चाहिये, इसके कोई नियम नहीं। जब ये सवाल सामने आते हैं तब जो नियम हैं उनको बलाये ताक रख दिया जाता है और मौका आया, सिफारिश आयी उसका स्थानान्तरण कर दिया। कोई रिश्तेदार है कोई भाई भतीजा है उनकी पदोन्नति कर दी जाती है। इससे क्या होता है ? जो पदोन्नति का हकदार होता है उसके मन में उद्वेग पैदा होता है, उसके मन में एक ऐसी भावना पैदा होती है जो उसको अच्छा काम करने से रोकती है। जब उसके अधिकारों का हनन होना है तब उस कर्मचारी में असंतोष की भावना पैदा होती हैं। उसके कारण उसकी कार्यकुशलता मारी जाती है, उसकी तरक्की मारी जाती है। इस तरह से उसके हौसले का दमन होता है। मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार की इस नीति से राज्य कर्मचारियों में भयंकर असंतोष व्याप्त हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज प्रशासनिक विभागों में बेईमानी देखते हैं, भ्रष्टाचार दिखाई देता है।

सभापति महोदय, आज प्रशासन में इस प्रकार के लोग हैं जो थूक कर चाट जाते हैं, आश्वासन देते हैं उससे मुकर जाते हैं कहते हैं कि हमने तो इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया था। मैं इस बारे में शिक्षा विभाग का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आयुर्वेद की प्रवेशिका परीक्षा के लिये पहले यह कहा गया कि इसको मेट्रिक्युलेशन के बराबर मान्यता दी जायगी। उसके पश्चात् आयुर्वेद विभाग के अन्दर कुछ भर्ती कर ली गई, उनको एडमिट कर लिया गया। उसके बाद राज्य सरकार की नीति बदलती है कि उस प्रवेशिका को मैट्रिकुलेट की मान्यता नहीं दी जाय, इसको मिडिल के बराबर माना जाय। जिसको मैट्रिक के बराबर मान कर आगे की क्लासों में एडमिशन दे दिया गया, जिन्होंने चार-छः महीने उस क्लास का अध्ययन कर लिया उसके बाद उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार की इस बदलने वाली नीति के आधार पर कहा जाता है तुम्हारी क्वालिफिकेशन मिडिल क्लास के बराबर है। इस प्रकार बदलने वाली नीति के द्वारा क्या जनता को संतोष हो सकता है ? जिस नीति-रीति का विश्लेषण इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया गया है उसी का यह हाल है। क्या हमसे उसीके लिये आप धन्यवाद की आकांक्षा रखते हैं ?

सभापति महोदय, इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूं। आज आप देख रहे हैं कि इस विधान सभा भवन के समक्ष हजारों आदमी एकत्रित हुए हैं, वे अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए हैं ? माननीय सदस्यगण यह बड़ा विचारणीय विषय है। आपके सामने जो लोग आये हुए हैं वे कच्ची बस्ती के निवासी हैं, जो उस बस्ती में बीस-पच्चीस या पांच-सात वर्ष से कच्चे झोंपड़े बनाकर रह रहे हैं उनको वहां से जबर्दस्ती हटाने का सवाल पैदा किया जाता है। राज्य सरकार के अधिकारी या मंत्रीगण किसी बंगले पर अनधिकार कब्जा कर सकते हैं, चरागाह पर कब्जा कर सकते

Page No.80

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हैं या किसी वस्तु पर कर लेते हैं, उनको वहां से उठाने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं इस संबन्ध में आपको 'सी' स्कीम की बात बताना चाहता हूं। 'सी' स्कीम में गन्दा नाला जाता है जिसके दोनों तरफ प्लाट बने हुए हैं। आपको पता होगा उस नाले पर कितने मंत्री महोदय के प्लाट हैं। आप उस नाले की जमीन के बारे में राज्य सरकार के एक मंत्री महोदय को जो पट्टा मिला है उसको उठा कर देख लीजिये। यू०आई० टी० द्वारा उन मंत्री महोदय को कितने वर्ग गज का प्लाट दिया गया? उनको उसके अनुसार कितने गज पर मकान बनाने का अधिकार था? उन सारी बातों को छोड़ कर राज्य सरकार के उन मंत्री ने उस नाले की जमीन पर कब्जा किया जिसके बारे में सदन में काफी चर्चा चल चुकी है। उनका नाम अमृतलाल यादव है जिनके बारे में सुबह भी चर्चा चली थी। उनके प्लाट को उठाकर देखिये। नाले तक पर कब्जा कर लिया। कभी आपको जाने का मौका मिल जाय तो आप देखेंगे। आज हमारा दुर्भाग्य है कि इस गरिमामय भवन में ऐसे व्यक्तियों के साथ आप और हमको बैठना पड़ता है। हम इन बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं तो उन सारी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इन्हीं मंत्री महोदय के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। आप उसकी जांच करवा सकते हैं। ठिकरिया गांव तहसील सांगानेर में 92-93 नम्बर का जो चरागाह है उसको भी याद कर लीजिये। जो हमेशा से चरागाह चला आ रहा है आज उस पर खेती किसकी हो रही है? यह अजीब तरीका बना लिया है। अगर उनके खुद के नाम से नहीं तो अपनी पत्नी के नाम से या अपने बच्चे के नाम से या किसी रिश्तेदार के नाम से उस जमीन का पट्टा दिलवा देते हैं। क्या आपका यही समाजवाद है? समाजवादी हैं पक्के, शासन नहीं चल पायेगा यदि जिसको जरूरत जितनी हो उतना खाएगा। समाजवाद का सही सिद्धान्त तो ये यह समझते हैं कि एक मन्त्री को जितनी जरूरत है उतना वह खाये और आंख मींचकर खाये। इसकी छूट मन्त्रियों को राज सरकार ने दे रखी है। ये छोटे डाकू हैं। इनके नेता बड़े डाकू हैं, और यह डाकुओं का एक गिरोह राजस्थान सरकार पर कब्जा किये बैठा है। ये जनता की कोई सुख सुविधा की बात सुनने वाले नहीं हैं।

जब ऐसी हालत हो तो, सभापति महोदय, इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि ये राज्यपाल के भाषण में कोई सही नीतियों का निर्धारण कर पायेंगे? फिर उस पर किस बात के लिये धन्यवाद दें?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक दो बातें और कह कर मैं समाप्त करता हूं।

प्रशासन के बारे में थोड़ा और निवेदन करना चाहता हूं। जब कभी भी राज्य कर्मचारी असन्तोष का अनुभव करेंगे तो उस प्रशासन में सुधार की सम्भावना नहीं रहेगी। अब उस असन्तोष का कारण क्या है? अगर सही ढंग से विचार करें ये तो वह भी दूर हो सकता है। जनता के साथ भलाई भी हो सकती है और राज्य में सुव्यवस्था और सुन्दर प्रशासन का निर्माण भी हो सकता है। पर इन बातों पर ये मन्त्री विचार करने को तैयार नहीं हैं।

सेवा नियम बने हुए हैं उनका अवलोकन कीजिये। इन्हीं के आधार पर पदोन्नति, स्थानान्तरण और दूसरे प्रश्न आते हैं। इसके

(श्री दुर्गालाल बादवार)

अतिरिक्त सबसे बड़ी बात है कि उच्चाधिकारियों को मन्त्री वर्ग कुछ अनुचित, अवैधानिक और अनैतिक कार्यवाहियां करने को बाध्य करते हैं। बहुत से ईमानदार व्यक्ति होते हैं जिनकी आत्मा चीत्कार करती है। बहुत से आदमी अपने भय के कारण या और कारणों से उनके द्वारा जारी की गई अवैधानिक आज्ञाओं का पालन करते हैं। पर इसका परिणाम ये नहीं सोचते। परिणाम यह होता है कि एक बार किसी मन्त्री ने किसी अधिकारी से कोई अनुचित या गलत काम करवाया है तो वह मन्त्री का अधिकारी बीस अनुचित काम स्वयं ऐसे करेगा कि मन्त्री उसको कुछ नहीं कह पावेगा। अपने स्वार्थ के लिए एक छोटे से काम को अनुचित रीति से करवाने के लिये इतने अधिक गलत कामों को प्रश्रय दें यह कहां की बुद्धिमानी है ?

जहां तक खाद्य के वितरण का प्रश्न है, अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण का प्रश्न है उस पर केवल इतनी सी बात कह देना चाहता हूं कि यह राज्य सरकार भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसकी भ्रष्ट नीति को तीन वर्षों से सारी राज्य की जनता जानती है। काश्तकार से अनाज किस भाव में राज्य खरीदता है और किस भाव पर उसे जनता को बेचती है यह सरकार ? अमेरिका से जिस मूल्य पर अन्न यहां पर आया उस पर भी इस सरकार ने अभी अभी 13) रु० क्विन्टल के हिसाब से बढोतरी कर दी है। एक तरफ कर्मचारियों की तनख्वाह में पांच रुपया महीने की वृद्धि की और बड़े गर्व और गौरव के साथ कहा कि हमने महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): चेयरमैन महोदय, जो आयातित गेहूं के भाव बढ़ाये गये हैं ये राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाये हैं, भारत सरकार ने बढ़ाये हैं।

श्री दुर्गालाल बादवार : मैं तो इसके लिये यही अर्ज करना चाहता हूं कि जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। चाहे केन्द्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार, मैं तो उस गरीब जनता के दुखों का रोना आपके सामने रो रहा हूं। आप में हिम्मत होती और राजस्थान की गरीब जनता के दुखों का जरा सा भी आभास होता और उसके दर्द से दुखी होते तो हिम्मत से केन्द्रीय सरकार को आप कहते कि राजस्थान की जनता एक गरीब जनता है। केन्द्रीय सरकार का यह निर्णय राजस्थान की गरीब जनता के लिये बुरा होगा। कहिये आपकी केबिनेट ने कभी यह निर्णय लिया ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान की पब्लिक की निगाहों में आप उसी प्रकार के मुजरिम हैं जिस प्रकार कि कत्ल करने वाले के साथ अबेट करने वाला। केन्द्रीय सरकार कत्ल की दोषी है तो आप अबेट करने के मुजरिम हैं। आप कानून की निगाहों में उसी प्रकार के मुजरिम होंगे।

खैर। जाने दीजिये। इन बातों को। इन सब बातों के आपके जवाब भी हम जाने बैठे हैं। छः वर्षों से यही सुनते हैं कि सरकार की गलती नहीं है, सरकार गलती नहीं करती। गलती कौन करता है यह भगवान की लीला है। पर मेरा फर्ज है कि कुछ बातें जनता के दुख-दर्द की आपके सामने रख दूं। आप उसे दूर कर सकते हों तो करिये।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करिये।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : मैं जयपुर जिले की कुछ बातों का जिक्र कर दूं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि राज्य सरकार ने करोड़ों रुपयों की योजनाएं बनाई हैं, कई छोटे बड़े कारखाने खोले हैं। सड़कों का लम्बा चौडा काम किया है। पर मैं तो पहले भी कह चुका हूं और मेरे साथी अभी भी चिल्ला कर कहते हैं कि जयपुर जिले में 20-25 सालों से सड़कें यथावत हैं। एक पैसा भी उन पर खर्चा नहीं किया है।

जयपुर शहर की सडकों में खड्डे पड़ गये हैं। आसपास की सडकों की बुरी अवस्था है। नई बस्तियों का निर्माण किया है, किया क्या है आबादी के विस्तार के साथ साथ वे भी बढ़ गई हैं, पर कोई भी उनको देखने वाला व्यक्ति यह कहे बिना नहीं रहेगा कि क्या सरकार से लाखों की तनख्वाह पाने वाले इन्जीनियरों और अन्य अधिकारियों की आंखें बन्द हैं? आंखें बन्द करके वे काम करते हैं। सेनीटेशन का प्रबन्ध नहीं, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं। मकानों का किस प्रकार से निर्माण किया जाना चाहिये इसकी व्यवस्था नहीं और वैसे ही इन कालोनीज का निर्माण कर दिया। अपेडेमिक बीमारियां फैलने की आशंकाएं हैं। पर राज्य सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया।

शिक्षा के बारे में निवेदन करूंगा कि पांच साल से तो मैं देख रहा हूं पुरानी बस्ती चौकड़ी में पहले एक हायर सैकण्डरी स्कूल था पर वह भी इस सरकार ने वहां से उठाकर माणक चौक के स्कूल के साथ कर दिया। छोटे छोटे सात-आठ साल के बच्चे तीन तीन मील से चल कर वहां पढ़ने आते हैं। नया स्कूल कायम करने में पैसे के अभाव का रोना रोते हैं। पर मन्त्रियों की फौज बढाने में जो खर्चा हो गया और हो रहा है उसका रोना यह नहीं रोते।

एक-एक स्कूल में दो-दो शिफ्टें चल रही हैं। सर्दी का टाइम है। सात बजे प्रातः से एक शिफ्ट चलेगी, फिर दूसरी शाम की सात बजे तक चलेगी। वे मासूम बच्चे दो-दो मील घर से पैदल चल कर सुबह-शाम की शिफ्ट में स्कूल आते हैं। जरा सोचें इस हालत को। दो चार मन्त्रियों को भी अगर कम कर दें तो इनका स्कूल तो बन जाय। पर अगर मन्त्री कम किये जाते हैं तो सुखाड़ियाजी की कुर्सी के हिलने का डर है। कुर्सी को पकड कर बैठेंगे।

तो इस तरह से इस सरकार की गाथा गाने के लिये लम्बा चौडा समय चाहिये। वेदों में वर्णन आता है भगवान के गुणों का वर्णन करने के सन्दर्भ में कि नेति नेति। इसी तरह इस कलियुग के कांग्रेसी मन्त्रियों के गुणगान या दुर्गुण वर्णन करने का प्रश्न पैदा हो तो वही सवाल यहां पैदा होगा, समयाभाव से लेखनी लिखते लिखते थक जावेगी, पर एक एक मन्त्री के चरित्र पर, कर्म पर और विशेष रूप से इस कांग्रेसी सरकार की नीति पर ग्रन्थ के ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं। मैं तो थोड़े से दो चार शब्द दुखी हृदय से इन मंत्रियों के सामने उपस्थित करना चाहता हूं और याचना करता हूं श्रीमान कि····

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री दुर्गालाल बाड़वार : इन समस्याओं पर विचार कीजिए और एक बात का आप विश्वास दीजिए, मेरी तो सारी मेहनत

(श्री दुर्गालाल बाढ़वार)
सफल हो जायेगी । देखिये आप अपनी आत्मा का साथ दीजियें और अपने दल के जितने भी माननीय सदस्यगण हैं उनको कहिये कि ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारी राज्य सरकार ने जिन नीतियों का निर्धारण किया है उनको सही रूप में वह निभा नहीं सकी है। ऐसी सूरत में राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव पर कम से कम विपक्ष में मतदान देना चाहिये । अगर यह सद्बुद्धि भी आपके अन्दर आ जाती है तो मैं समझूंगा कि आप सही रास्ते पर आ सकते हैं । लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं । पंचों का हुक्म सर माथे, पर नाला यहीं पड़ेगा। यही राज्य सरकार की नीति है और इसी बात पर बोलते आये हैं ।

श्री सभापति : श्री भगवानदास शास्त्री !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : सभापति महोदय, हमें जो परम श्रद्धेय राज्यपाल महोदय का छपा हुआ भाषण मिला उस पर जो अन्य दलों के नेताओं ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया है इसकी हमें बहुत खुशी है। बड़ी खुशी की बात है अन्य दलों का धन्यवाद देना और राज्यपाल महोदय का आशीर्वाद होना-गत वर्ष शिक्षा के मामले में और देश की परिस्थितियों के मामले में जो हमें धन्यवाद प्राप्त हुआ इससे यही निर्णय होता है कि जब कांग्रेस के सदस्य बहुमत में चुनकर आते थे और जब उन्हें कोई मंत्रीपद नहीं मिलता था तो खुद ही समस्या बनकर जनता में प्रवेश करते थे। आज सौभाग्य से नाना प्रकार के दलों से चुनकर सदस्यों का आना और निर्दलीय सदस्यों का अधिक मात्रा में चुनना जिससे राजस्थान के प्रदेश में शांति रहे। अब तो ऐसा ही समझ में आता है, जनता के बीच में चाहे आज हम बहुमत में नहीं हैं, हमें इसकी रत्ती भर भी चिन्ता नहीं। शासन कोई भी करे पर शासन कर्त्ता का यह परम कर्त्तव्य होता है कि जनता की मांगों को आपत्ति होते हुए भी स्वीकार करे। उससे अगर कोई पद से भी गिरता हो तो उसकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया कि एक मामूली सी दुर्घटना के कारण,नाना प्रकार के अधिकारी अपराधी होते हुए भी उन मिनिस्टर साहब ने अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया। मरने के बाद भी यह बातें अमर रहती हैं। सभापति महोदय, आज मेरे क्षेत्र की जितनी समस्यायें हैं और अजमेर नगर और अजमेर जिला, जहां से विरोधी पक्ष के ज्यादा करके सदस्य चुनकर आये हैं, अजमेर नगर से जनसंघ के दो विधायक चुनकर आये हैं और वे ही उस अजमेर नगर को एक एक सेवा का कार्यकाल बनाने के इच्छुक हैं परन्तु कांग्रेसी भाई, जिनके हाथ में उपभोक्ता भण्डार आदि वस्तुए हैं, इस चीज को बरदाश्त नहीं करते हैं किन्तु आज अजमेर जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं की कार्यप्रणाली के आधार पर चलना चाहता है। चाहे शक्कर की समस्या को देखें, चाहे घासलेट की समस्या को देखें। नये नये कानून और नियम लाये जा रहे हैं कि आधी तो शक्कर गावों को देनी चाहिए और आधा घासलेट दूसरी जगह देना चाहिए गावों में। मैं कहना चाहता हूं कि गावों को सुख सुविधायें प्राप्त हों, हमें इसमें आपत्ति नहीं है। गांव वाले घासलेट का प्रयोग करते हैं या नहीं, हमें उस विषय पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु जहां तक शक्कर का प्रश्न है, चीनी

(श्री भगवानदास शास्त्री)

का प्रश्न है कलेक्टर साहब के समक्ष जब यह बातें चलीं तो यह निर्णय हुआ कि चीनी जो कि गावों के लिए मांगी जाती है, वह विशेषकर ब्लैक मार्केट में बेची जाती है। तो, सभापति महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जिन समस्याओं को, और वर्तमान परिस्थितियों को जनता सहन कर सकती है और टैक्स के भार को भी सहन कर सकती है लेकिन जो आवश्यक वस्तुयें हैं जैसे कि छोटे बच्चों को दूध चाहिए या चाय की जो बुरी बीमारी आम जनता ने अंग्रेजों के अनुकरण से ली, हमारे राजस्थान के नागरिकों के लिए सुखकर तो होगी ही नहीं। शक्कर का मूल्य 5 रुपये का हुआ और आज 4 रुपये पहुंचा है किन्तु न तो केन्द्र ने और न राज्य सरकार ने उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया, न उसके भावों के ऊपर प्रतिबंध लगाया। सब मूक हैं। चुप हैं। कोई भी चीज की आवश्यकता होती है, भाव बढ़ने लगते हैं। तो चाहे सेन्टर हो, चाहे प्रदेश हो, उनका भावों पर प्रतिबंध नहीं होता है इसलिए जनता में रोष है। इसमें यह शासक दल और विशेष करके मंत्रीगण या उनके कांग्रेसी कार्यकर्त्ता जो कि स्थानीय कार्यकर्त्ता हैं, वह यह नहीं समझें कि इससे विधायक जो चुने हुए हैं उनके प्रति घृणा बढ़ेगी। घृणा तो जनता की हमारे प्रति हो नहीं सकती। किन्तु यह जो भी आपस में तालमेल बैठाया गया जिससे करोड़ों की सम्पति का किस को लाभ हुआ यह तो केन्द्र जाने या राज्य सरकार जाने।

अजमेर की नगर परिषद का मामला भी आपके समक्ष रखूं। नगर परिषद जब से भंग हुई तब से आज करीब 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, किन्तु कोई चुनाव नहीं कराये गये। हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी ने लास्ट सेशन में यह घोषणा की थी कि दिसम्बर में सब नगरपालिकाओं के चुनाव परिपूर्ण हो सकेंगे। फिर दुबारा अखबारों के द्वारा हम 26 मार्च, 1968 को घोषणा सुन रहे हैं। इन घोषणाओं के ऊपर जनता का बिलकुल विश्वास नहीं। नगर परिषद् का प्रशासक, उनके रेवेन्यू अधिकारी अपना राज्य और अपनी सत्ता बनाये बैठे हैं। मैं विशेषकर जो वहां की घृणित बातें हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। वहां पर पी० ए० बनाकर कोने में हंसी मजाक करते रहें और नगर के टैक्स देने वाले नागरिक रात में परेशान हों, न हाउस टैक्स से एक झोंपड़ी बचे, उससे भी हाउस टैक्स लिया जाय।

(2.58 म० प०)

(श्री पनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि नगरपरिषद का यह रवैया है, नगरपरिषद भंग होने के पश्चात् चुनाव म कराने के कारण आज जो अजमेर की नगर परिषद् की परिस्थिति है मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर सरकार नियम और कानून को परिपूर्ण रखना चाहती है तो 24 घन्टे के अन्दर वहां के जिलाधीश को आज्ञा दे देनी चाहिए कि उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लें।

(3 म० प०)

अन्यथा नगर परिषद् का यही होगा कि प्रशासक अपने एजेन्ट शहर में भेजता रहे

(श्री भगवानदास शास्त्री)

और रेवेन्यू आफिसर, जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी है वह दलाल भेज कर सहायता करता रहे ।

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां अजमेर की दूसरी संस्थाओं की समस्या है। अभी कुछ दिन पूर्व का, 14-15 दिन का मामला है कि एक माध्यमिक पाठशाला के अध्यापक ने एक 10 वर्षीय कन्या के साथ बलात्कार करने की चेष्टा की और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने सिर्फ उनका तबादला करके उनको महरौली जेल में न भेजकर महरौली स्कूल में भेजा। बड़े शर्म की बात है। ऐसे अध्यापक को सहशिक्षा में अध्यापक बनाकर रखते हैं, यह बड़े दुःख की बात है। वहां के नागरिक और विशेषकर मेरे जो मिलने वाले लोग हैं वे यह महसूस करते हैं कि सहशिक्षा पर गांधीजी जोर देते थे, पर वह जमाना नहीं रहा । अब वे विद्यागुरु विद्यागुरु न रहे ! विद्यागुरुओं में यह जो ज्ञान था, वह जो समझ थी, वह जो संस्कृति थी, वह जो सभ्यता थी, वह जो उनका खान-पान था, सरकार उनके विचारों के अनुरूप न होने के कारण वह भ्रष्ट हो चुके हैं । इसलिए मेरी यह मांग है कि माध्यमिक पाठशाला हो, चाहे हायर सेकण्डरी स्कूल हो, चाहे डिग्री कालेज हो कन्याओं के लिये उनकी अत्यन्त आवश्यकता है । अजमेर नगर ऐतिहासिक नगर है। अंग्रेजों के समय से लगाकर अजमेर महत्ता की बहुत उच्चकोटि पर है और सारे राजस्थान का, सम्पूर्ण राजस्थान का एज्यूकेशन का सेन्टर माना जाता रहा है। हमारे यहां के विशेषकर कुछ मिनिस्टर अजमेर की स्थिति को भली-भांति जानते हैं । वहां की जनता सज्जन है। वहां की जनता पढ़ी-लिखी है, वहां की जनता सन्तोषप्रिय है। उनके ऊपर आपत्तियों का ढेर होने लगेगा तो सम्पूर्ण राजस्थान क्या सेन्टर की भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती । इसलिये मैं आपके ध्यानाकर्षण के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं ।

राशन प्रणाली में वितरित होने वाले गेहूं पर जो 13 रुपये की वृद्धि हुई है यह सम्पूर्ण देश में, राजस्थान में ही नहीं सारे देश में की गई है। परन्तु प्रदेश और राज्य सरकार का अपना यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि हमारा जो प्रदेश है वह मरुस्थल है, हमारा यह राजस्थान सूखाग्रस्त इलाका है। इसलिए इस राजस्थान के लिए 13 रुपये का भाव बढ़ाना वह बिल्कुल उचित नहीं है । आपका कर्त्तव्य, मंत्री महोदय का यह परम कर्त्तव्य होता है कि अपने प्रदेश की स्थिति से केन्द्र को अवगत करायें ।

उसके बाद राज्यपाल महोदय ने जो मशीन टूल्स फैक्ट्री का जिक्र किया है। एक वर्ष हो चुका है उसका फाउन्डेशन स्टोन डाले हुए, लेकिन आज तक तीन फीट से ज्यादा कोई दीवार नहीं बनी है । परन्तु राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, उसने सन्तोषजनक प्रगति की है, यह उल्लेख हुआ है। अजमेर की जनता विशेषकर प्रगतिशील जनता है । वहां पर रेल्वे का कारखाना है जिसके आधार पर वह रहते हैं । अगर कोई टूल्स फैक्ट्री नई डल जाय तो महिलाओं और उन बच्चों को, जो अपंग हैं, भी वहां पर कार्य मिल सकेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, विशेषकर छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज के बारे में लास्ट सेशन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और इस वर्तमान भाषण में कुछ पढ़ने के लिए

(श्री भगवानदास शास्त्री)

प्राप्त नहीं हुआ । छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज जैसे माचिस फैक्ट्री है, अभी हम साउथ से माचिस मंगाते है उसके बजाय अजमेर में या राजस्थान में छोटी छोटी इन्डस्ट्रीज के रूप में माचिस बनायें तो सेल्स टैक्स तो अलग और एक्साइज ड्यूटी अलग । आप सोचिये कि इनसे वह मंहगी पड़ जाती है । साउथ का माल तो यहां राजस्थान में बेचने के लिये सस्ता पड़ता है और अजमेर व राजस्थान का माल मंहगा पड़ता है । उपभोक्ता और व्यापारी सब अपने अपने लाभ को देखते हैं और अपनापन नहीं देखते है कि यह राजस्थान का हित है ।

आज आप सम्पूर्ण देश को देखिये तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, चाहे वह केन्द्र में हो चाहे प्रदेश में हो, ऐसी प्रणाली डाल रखी है जिसके कारण नहरी पानी का झगड़ा, वितरण का झगड़ा, सीमाओं का झगड़ा, खाद्यान्नों के वितरण का झगड़ा उत्पन्न होता है । इस तरह से हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं । इनका राजनैतिक हल नहीं निकालने के कारण वे अपना पहलू सीधा करते हैं ।

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं लेकिन मुझे उनके कानों तक पहुंचाने के लिए कहना पड़ता है कि अजमेर जनरल हास्पिटल का हमारा सीनियर डाक्टर हैं जिसको अपन सर्जन कहते हैं उनका यह हाल है कि एक पांच साल की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट 9 बजे हुआ और तीन दिन तक वह लगातार रोती रही । उपाध्यक्ष महोदय, उसकी छाती का एक्स-रे किया गया और उसमें लिखा हैड इन्जरी । उसमें हैड इन्जरी लिखा और बच्ची को आराम नहीं हुआ तो उसके बाप ने प्राइवेट हास्पिटल में जाकर एक्स-रे करवाया तो हैड इन्जरी के बजाय वह पसलियों की इन्जरी थी । यह हमारे उन सीनियर सर्जन का हाल है जिनको झाला साहब कहते हैं । पुराने जमाने में नीम हकीम खतरा-ए-जान की तरह से हरनिया के जुलाब से किसी का पेट दर्द दूर हो गया तो यदि लकवा हो तो उसको भी हरनिया दे दो तो एकदम वह मसान में ही पहुंच जाय । यह आपके शासन-काल में हो रहा है भले ही हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रीजी जोर से घोषणा करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली मंत्री हूं और मेरा रुआब है, मगर अपने छोटे से वोट के कारण, क्योंकि झाला साहब लास्ट इलेक्शन में भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री बालकृष्ण कौल के वोटिंग के लिए घर घर भागे थे इसलिए उनका कुछ नहीं हो सकता । इसलिये मैं यह एक्स-रे फोटो सदन की मेज पर रखता हूं । आज ऐसी परिस्थिति है कि जिसके कारण अजमेर के जनरल हास्पिटल, जिसके साथ मेडीकल कालेज भी संलग्न है, की यह स्थिति है । बड़े दुःख की बात है कि नगर में अभी भी वह वातावरण बना हुआ है सिविल सर्जन होते हुए भी अगर 16 रुपये फीस के कोई उनकी जेब में डाले तो उसका काम ठीक होता है अन्यथा 5 वर्ष की बच्ची की तरह उनको मालूम नहीं पड़ता कि हैड इन्जरी है या पसलियों को कोई इन्जरी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे अजमेर जिले की जितनी कुछ समस्यायें हैं वह कुछ हमारे साथियों ने और कुछ हमारे कांग्रेस पक्ष में बैठने वाले मित्रों ने अलग अलग रखी हैं ।

Page No.87

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अजमेर जिला एक सूखाग्रस्त इलाका माना गया है, मगर जहां तक छोटी जोतों के किसानों का सवाल है मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जनता की आवाज के रूप में हम प्रतिनिधि आपके समक्ष आते हैं। जनता यह कहती है कि उदयपुर परम मनोरम बनने जा रहा है। मुझे इसमें कोई चिन्ता नहीं है कि उदयपुर परम मनोरम हो। वह राजस्थान का एक अंग है। हम उससे प्रसन्न हैं, मगर अजमेर ऐतिहासिक नगर है और हमारे मुल्क में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के विभाजन के पहले से ही अजमेर राजस्थान का सेन्टर माना जाता रहा है। आज उस अजमेर नगर में पानी की समस्या भीषण है। लास्ट सैशन के अभिभाषण में परम आदरणीय राज्यपाल महोदय के मुखारबिन्द से यह सुनाया गया था कि अजमेर की जल-प्रदाय योजना सन्तोषजनक प्रगति पर है, पर आज तक पानी का एक भी कतरा किसी को प्राप्त नहीं हुआ। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि शासक दल ने जिस भावना से, जिस गलत तरीके से राज्यपाल के मुखारबिन्द से, जिसको कि हम वेद कहें, जिसको कि हम भगवान-वाक्य कहें, जिसमें मिनिस्टर लोगों की मिली हुई जितनी भी कुछ भक्ति है चाहे वह कैबिनेट हो—वे राज्यपाल महोदय के द्वारा हमें समझाते हैं मगर आज तक अजमेर को पानी प्राप्त नहीं हुआ। कई २६ जनवरियां गुजर जायेंगी मगर अजमेर की जल-प्रदाय योजना, जो बनास से चालू है, का लाभ अभी तक अजमेर को प्राप्त होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अजमेर के बारे में और अजमेर जिले के बारे में कहना है कि जो छोटी जोतों के किसान हैं उनमें धन का वितरण हो, उन्हें सहायता प्राप्त हो, उन्हें बैलों की जोड़ी प्राप्त हो, उन्हें बीज प्राप्त हो, जिससे वे अपने घर की समस्या, अपने कुटुम्ब परिवार की समस्या को हल कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के बाद में राजस्थान कैनाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे प्रधान मंत्री हो, चाहे उप-प्रधान मंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, उन्होंने विशेष तौर पर, जो राजस्थान कैनाल है उसको प्रोत्साहन देने में ढिलाई का रुख अपनाया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि सन् 1965 में पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच जो घोर युद्ध हुआ था उस समय इच्छेगुल कैनाल ने पाकिस्तान की रक्षा की थी वैसे ही राजस्थान कैनाल हमारी रक्षा कर सकती है। सब ने मिल कर यह निर्णय कर लिया है कि राजस्थान कैनाल इच्छेगुल नहर से ज्यादा हमारी रक्षा कर सकती है। लेकिन जब केन्द्र सरकार ने देखा कि राजस्थान सरकार के जो संबंधित मंत्री हैं उन्होंने राजस्थान कैनाल के लिये पैसा सुचारु रूप से खर्च नहीं किया तो उन्होंने अपना रुख ढीला कर दिया। आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, जब सीज फायर होने वाला था उस समय पाकिस्तान ने जिस प्रकार हमारे यहां घुसपैठ की और हमारे प्रदेश के कुछ हिस्से पर कब्जा किया वह अभद्र है। स्वर्गीय प्रधान मंत्रीजी का स्वर्गवास भी इसी दुःख में हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान कैनाल या राजस्थान नहर से करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति पैदा होने वाली है उसके लिये मैं आज माननीय सदस्यों से और शासक-वर्ग से करबद्ध निवेदन करूंगा कि एक प्रति-

(श्री भगवानदास शास्त्री)

प्रति निधि के नाते केन्द्र तक आवाज बुलन्द करें कि इस कैनाल की रक्षा की जाय। हमारी स्वतंत्रता के लिये हमारा राजस्थान एक बलिदान की भूमि है और राजस्थान के द्वारा ही भारत वर्ष की रक्षा होती है। हमारे नवजवानों ने, राजस्थान के नवजवानों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके भारत की रक्षा की है और राजस्थान प्रदेश ने ही देश के स्वाभिमान को ऊंचा रखा है वर्तमान समय में और भूतकाल में भी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान प्रदेश की इतनी लम्बी सीमा की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है न शंका समाधान के रूप में, न सड़क और परिवहन की दृष्टि से। आज सीमान्त की सड़कों की हालत खराब हो रही है, सड़कों पर गड्ढे पड़ गये हैं, स्टोन्स निकल गये हैं, डामर बराबर लगा नहीं है, पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर चाहे कुछ कहें लेकिन वहां का वातावरण कुछ और ही है। ठेकेदारों के भरोसे काम छोड़ दिया जाता है। यह एक निन्दनीय कार्य है। अपनी सीमा की रक्षा के लिये, चाइना हमारा दुश्मन होते हुए भी मैं कहूगा कि वहां का बच्चा बच्चा देश की रक्षा के लिये जान देता है। देश के लिए स्वाभिमान की जरूरत है, स्वाभिमान ही देश की शक्ति है और देश की रक्षा उससे होती है और स्वाभिमान ही देश का निर्माण करता है। तो राजस्थान कैनाल जिसको मामूली कैनाल समझ कर उसका कार्य अधूरा छोड़ रखा है चाहे शासकों या अधिकारियों द्वारा पैसा ठीक ढंग से नहीं लगाने के कारण ही क्यों न हो, इसके लिये पैसा देना रोक दिया है, उसके लिये हम केन्द्र से मांग करें कि इसको इन्छोगिल कैनाल के समान ही देश को रक्षा करने वाली कैनाल समझें और इसको पूरा करने में कोई कमी नहीं रखें।

अब मैं पुलिस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का ध्यान मैं समय की ओर दिलाता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गृह मंत्रीजी ने जोरों से घोषणा की थी कि हमारे यहां लॉ एण्ड ऑर्डर कायम है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं आपके द्वारा कि जिस प्रकार की आज हालत है उसको देखते हुए ऐसी ढील पुलिस ऑफिसरों को नहीं देनी चाहिये। ठीक है पुलिस ओफिसर्स कंट्रोल करते है, हमें सहयोग देते हैं, उनके द्वारा सूचना आपके पास आती है। आपके द्वारा हारे हुए कांग्रेसियों को कांग्रेस कमेटी का चयरमैन बना दिया जाता है तो भी वे जनता को को गुमराह करने का काम करते हैं। वे कहते हैं कि किसी का नाम चुनाव की सूची में लेने से क्या होता है सिंधियों के पास सिंध नहीं है। ऐसा कहने वाले एक सिंधी डाक्टर हैं जो चुनाव में हारे हुए हैं। मैं छपे हुए पेम्फलेट्स आपके सामने रखूंगा। जनता को गुमराह करने के लिये अपने फोटो छपाते हैं और लोगों से कहते हैं सिंधियों अपने पास सिन्ध नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट सिंधियों को किसी प्रकार का पद देने को तैयार नहीं है, एक आध टिकट दे देते हैं, हम जीत कर जाते हैं तो हमको मिनिस्टर नहीं बनाते। उनको मिनिस्टर बनने की चिन्ता है हारने की नहीं। वे कहते हैं, हमें तो सिन्ध लेना है। यह अखबार और उनका फोटो मेरे पास है। वे फोटो दिखाकर मिनिस्टरी लेना चाहते

(श्री भगवान दास शास्त्री)
थे लेकिन जनता ने उनको चुना नहीं। वे हाई कोर्ट में गये, अब सुप्रिम कोर्ट में जाने की धमकी देते हैं लेकिन हमको जनता ने चुना है इसलिये हम कार्य करते रहेंगे। जनता हमको चुन कर भेजती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि जब तक मौका होगा कार्य करेंगे। मौका नहीं मिलेगा तो वैसे ही ठीक हैं। आज तो विधान सभा की कुर्सी पर बैठ कर भी काम नहीं होता। तो वे हारने वाले कांग्रेस कमेटी के मंत्री चुने गये हैं, वे कहते हैं कि सिंधियों हम सिन्ध लेंगे। उन्होंने इसकी घोषणा की क्योंकि उनको चेयरमैन नहीं बनाया। मैं इसको हाउस की टेबिल पर रखगा। एक कार्यकर्ता कहलाने वाला कैसा कार्य करता है। मैंने पहले तर्क दिया था। राज्यपाल ने धन्यवाद दिया था कि सब दलों ने मिलकर शान्ति रखी। उसका कारण है कांग्रेस बीच में नहीं है विशेष-कर विरोधी दल के विधायक हैं शान्ति रखने वाले जो जनता के साथ बैठ कर उनका दुख सुख सुनते हैं। संसार के दूसरे देशों में भी विरोधी दल की ज्यादा मान्यता होती है क्योंकि वे जनता के साथ रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर आपसे और शासक दल से प्रार्थना करूंगा कि जो धर्म के नाम से, जाति के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं उनसे बचाया जाय। सिंध लें मुझे खुशी है। यदि वे सिंध चाहते हैं तो गांधीधाम तैयार है उसके मालिक बनें। सिंध ले सकते हैं, सिंधी प्रान्त का नारा ले सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिये कि जनता की शान्ति भंग हो। ऐसे कार्यकर्ताओं को अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी का मंत्री बनाना शर्म की बात है, धर्म, जाति और भाषा के नाम पर नारा लगाने वालों ने संपूर्ण भारत का अहित किया है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण का मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया और फिकरा नम्बर (पैराग्राफ नं० 57-58) में जो उन्होंने राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है उससे मैं सहमत हूं। राजस्थान प्रदेश की आर्थिक स्थिति, जिसका कि राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि बहुत ही नाजुक है। अपने इस प्रदेश की नाजुक आर्थिक स्थिति बड़ी ही भयंकर है इसलिये हमें बड़ी ही समझदारी से, बड़ी दूरदर्शिता से कार्य करना है। इस सदन के सदस्य बड़े ही जिम्मेदार हैं और जिम्मेवारी हम तभी निभा सकते हैं जब कि हम जिम्मेवारी के साथ काम करें। इस आर्थिक संकट में हम अपना कर्त्तव्य निभावें।

मैं यह चाहता हूं कि इस आर्थिक संकट में पहले पहल तो हमें यह देखना चाहिए कि हम कितना सेक्रीफाइस करें। हम यह चाहते हैं कि कांग्रेस के सदस्य हों या अन्य पार्टी के भी सदस्य हों-उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं तो यहां तक चाहता हूं कि जब इस प्रकार की आर्थिक स्थिति है तो असेम्बली के सदस्यों का जो चार सौ रुपये का वेतन है वह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

तीन सौ रुपये यदि कर दिया जाय तो भी उचित रहेगा। इसी प्रकार मिनिस्टरों के वेतन में भी क्या करना चाहिए, उनका जो खर्चा है, जो उनका पेट्रोल, का खर्च है, उनका पानी का खर्च है, उनका बिजली का खर्च है—उसके अन्दर भी पचास प्रतिशत कट करना चाहिए...

श्री उपाध्यक्ष : संख्या के बारे में ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : संख्या के बारे में····

श्री विजयसिंह : उनको तो अली बाबा और चालीस चोर माना है·····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । अध्यक्ष महोदय ने पहले कह दिया था कि चालीस पूरे नहीं हैं, एक कम है । आप यह बात कैसे कह रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर यह मंत्री अधिक भी हों किन्तु अपना यह कर्त्तव्य अदा करें, जो उन पर भार रखा गया है, उसको अच्छी तरह से यदि अदा करें तो मैं समझता हूं कि संख्या बढ़ाना भी कोई नुकसानकारी नहीं होगा । परन्तु मैं देखता हूं कि उनके जो प्रोग्राम आते हैं, उनके जो कार्यक्रम आते हैं उन कार्यक्रमों में कभी कभी एक कार्यक्रम विश्राम का भी रखा गया होता है। जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री थे, यह कहा था–"आराम हराम है"। लेकिन यह अपने कार्यक्रमों में विश्राम का कार्यक्रम देते हैं और ऐसे मैंने कार्यक्रम पढ़े हैं। इसके अलावा अधिकांश मिनिस्टर्स अपने क्षेत्र में ही अपना कार्य करते हैं और सारे राजस्थान के हित को देखने वाले बहुत ही कम मिनिस्टर्स हैं। यह दृष्टिकोण उनको रखना चाहिए कि हम सारे राजस्थान की उन्नति करें, सारे राजस्थान की तरक्की करें । और किसी क्षेत्र में यदि मिनिस्टर नहीं होता है तो उस क्षेत्र की उन्नति नहीं होती है। मैं देखता था, पहले पन्द्रह वर्षों के अन्दर हमारे क्षेत्र के अन्दर का कोई मिनिस्टर नहीं था, डिप्टी मिनिस्टर नहीं था तो हमारे क्षेत्र की उन्नति नहीं हुई थी····

श्री श्रवणलाल : अब ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस प्रकार जहां के मिनिस्टर हों वहां उन्नति हो और जहां के डिप्टी मिनिस्टर हों वहां की उन्नति हो–यह भी एक उचित तरीका नहीं है। हर क्षेत्र की उन्नति करनी चाहिए। आज जो अविकसित क्षेत्र है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको विकसित करना बहुत आवश्यक है । मैं यह चाहता हूं कि जो बाड़मेर जिला है, व एक सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए इसकी बहुत महत्वता है। एक तरह से यह राजस्थान का ही सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान का एक सीमावर्ती क्षेत्र है और इसलिए इसकी बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हिन्दुस्तान पाकिस्तान युद्ध के बाद में हमने इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना शुरू किया है किन्तु सड़क निर्माण की जो प्रगति है वह बहुत ही धीमी है । मने मिनिस्टर साहब, इससे सम्बन्धित जो मंत्री महोदय है, साथ दौरा किया है और पाया है कि सड़क निर्माण की प्रगति जो है वह अच्छी नहीं है। दो सालों

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

के अन्दर तो सभी सड़कों का निर्माण कर देना चाहिए था। अगर लगन के साथ में कार्य किया जाता, अगर दिलचस्पी के साथ में कार्य किया जाता तो इन दो सालों के अन्दर सभी सड़कों को तैयार किया जा सकता था। किन्तु अभी तक ऐसी स्थिति है कि कई सड़कों का तो अर्थ वर्क तक नहीं हुआ है, कई सड़कों का ग्रेवल वर्क तक नहीं हुआ है। और डामर की सड़कें तो बहुत कम जगहों पर हैं कुछ सड़कें पूर्ण हुई है तो उन पर कल्वर्ट और ब्रिजेज, पुल तक नहीं बनाये गये हैं जिस कारण से वह सड़कें खराब हो रही हैं और उन पर कल्वर्ट और ब्रिजेज अब बनाये जा रहे हैं। इस प्रकार की सड़क निर्माण की स्थिति है। इसके अलावा जो इन्जीनियर्स कार्य कर रहे हैं, उनको मैंने देखा है और 95 प्रतिशत उनमें से बहुत ही बेइमानी के साथ कार्य कर रहे हैं-यह राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक चीज है। आज उनका पर्सेन्टेज फिक्स है। मैं कान्ट्रेक्टर्स से मिला हूं। मैंने उनसे बातचीत की है, उनसे मुझे मालूम हुआ है कि उनका पर्सेन्टेज फिक्स है। उनका कितना पर्सेन्टेज है वह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ओवरसियर के लिए दो पर्सेन्टे फिक्स है, असिस्टेन्ट इन्जीनियर के लिए दो पर्सेन्ट फिक्स है, एक्जीक्यूटिव के लिए दो पर्सेन्ट फिक्स है और आफिस के लिए भी डेढ पर्सेन्ट फिक्स है। इस से आगे भी पर्सेन्टेज फिक्स है और पर्सेन्टेज की आज कल सीमा बढ़ रही है, कहीं कहीं तो चार पर्सेन्ट, तीन पर्सेन्ट तक भी लेते हैं। सड़क निर्माण जैसे राष्ट्र हित के कामों में भी इस प्रकार का करप्शन देखते हैं तो इस करप्शन को मिटाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। ऐसा काय हम कर रहे हैं, राष्ट्र सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं और देश की रक्षा के लिए सडक बना रहे हैं उन सड़कों के निर्माण में इस प्रकार के कार्य होते हैं, धींगा मस्ती होती है, भ्रष्टाचार होता है इस कारण से कार्य भी अच्छा नहीं हो सकता है। इस प्रकार सड़कें जो बनेंगी वह सड़कें बन तो जायेगी लेकिन दो साल तक भी वह ठीक नहीं चल सकेंगी और उनकी फिर रिपेअर करनी पड़ेगी, उन स कोंकी मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह पैसा तो आपको सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया है इसलिये आप अन्धाधुन्धी से इसको खर्च कर रहे हैं परन्तु यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का पैसा देश का पैसा है इसका सदुपयोग करना आवश्यक है मैं इस ओर आपके मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में बैठ कर कोई निर्णय करें, सभी को यह निर्णय करना है कि यह जो पर्सेन्टेज फिक्स है, हमेशा का पर्सेन्टेज फिक्स है इसको खत्म करना है और इसको ताकत के साथ में खत्म करना है······

श्री श्रवणलाल: यह बताने का कष्ट करें कि क्या पर्सेन्टेज मंत्री महोदय के द्वारा भी लिया जाता है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: मंत्री महोदय ! मैंने देखा है, मंत्री महोदय बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। वह बहुत ही लगन के साथ काम करते हैं। यह भी उन्होंने कहा है उन लोगों को कि आप एक मिशन भावना के साथ काम करिये, बहुत ही दिलचस्पी के साथ में, राष्ट्र की उन्नति

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

की भावना के साथ में काम करिये क्यों कि इसमें राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, इसलिये मिशन भावना के साथ काम करिये। इसी प्रकार वह काम कर रहे हैं। परन्तु आज इस प्रकार का एक रोग फैल गया है कि उसको मिटाने की इनकी शक्ति नहीं है। यह इनकी शक्ति के बाहर की चीज है। इसलिए हम सभी लोगों को इसके बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है। भले ही विरोधी दल के सदस्य हों, चाहे कांग्रेस दल के सदस्य हों, मंत्री हों या अन्य कोई भी हों-नको इसमें पूरी शक्ति के साथ में मदद देनी है। इस मामले में कोई भी मंत्री दिलचस्पी से काम करता है, और उनके काम में मंत्री एवं सदस्य दस्तन्दाजी करता है-वैसे मंत्रीगणों एवं सदस्यों द्वारा इन्जीनियर्स के ट्रांसफर किये जाने की बात पर हम एतराज करते हैं, यह एतराज इसलिये करते हैं कि इससे करप्शन बढ़ता है तो मैं इस बात को भी अच्छा नहीं समझता। यह भी नहीं होना चाहिए.......

श्री मूलचन्द डागा : नेशनल करेक्टर होना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द जैन : नेशनल करेक्टर बनाना है वह भी हम लोग ही बनायेंगे। अब नेशनल करेक्टर की बात आई, तो यह भी आवश्यक है। आज हम गवर्नमेंट सर्वेन्ट के करप्शन के बारे में बात करते हैं, जिस प्रकार पर्सेन्टेज की बात करते हैं या यह आवाज उठाई जाती है कि यह बेईमानी है उसी प्रकार मिनिस्टर किस प्रकार कार्य करते हैं उसके बारे में भी प्रश्न उठते हैं। डेमोक्रेसी के अन्दर जो भी मिनिस्टर्स हैं, एम. एल. एज. हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं-इनका नेशनल करेक्टर ऊंचा होना चाहिए। अगर नहीं है तो यह प्रजातंत्र के लिए बड़ा भारी खतरा है। आज स्थिति जो देश के सामने है और अभी जो चुनाव हुए थे उसके अन्दर कांग्रेस भी जीती है और अन्य प्रदेशों के अन्दर दूसरी पार्टी भी जीती है। मैंने दूसरे प्रदेशों की स्थिति का भी अध्ययन किया है। जहां दूसरी पार्टी जीती है वह भी शासन को अच्छी तरह से नहीं चला सकी है। आखिर कम्यु-निस्ट और जनसंघ मिल कर शासन चलायें तो वह चला नहीं सकते हैं क्यों कि उनके अलग अलग विचार हैं और भिन्न भिन्न कार्य-क्रम हैं। अब भले ही कुछ कामन प्रोग्राम बना दें, कोई न्यूनतम कार्यक्रम बना दें, उससे भी कामयाबी नहीं हो सकती है। आज यह स्थिति है जिसमें एक तरफ कांग्रेस के मुकाबले में कोई एक पैरेलल, एक कोई स्ट्रांग आर्गेनाइ-जेशन नहीं है। वैसे इसका होना भी आवश्यक है डेमोक्रेसी में। अब क्यों कि हमारे यहां डेमोक्रेसी में इस प्रकार का कोई पैरेलल और स्ट्रांग आर्गेनाइजेशन नहीं है तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि कांग्रेस सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करे, मंत्री महोदय हों या सदस्य हों-वह ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तो देश का ढांचा नहीं चल सकेगा और उससे प्रजातंत्र को खतरा हो सकता है, यह स्थिति भी पैदा हो सकती है कि देश में डिक्टेटर शिप कायम हो जाय....

श्री अबललाल : क्या यह बतायेंगे कि इस वक्त ईमानदारी से काम चल रहा या नहीं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ईमानदारी से काम नहीं चल रहा है इसलिए ही मैं कह रहा हूं। ईमानदारी से नहीं चल रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि विरोधी पक्ष में जो हैं वह ईमानदार हैं और वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह चीज है, यह मसला है–चाहे मेम्बर हों या मिनिस्टर हों–इसको राष्ट्र चरित्र को निर्माण करने के कार्य के लिए सबसे महत्व का समझें।

अब मैं ऐसी समस्या पर आता हूं जो भयंकर समस्या हमारे जिले की है और सारे राजस्थान जिले के लिए वह समस्या है. वह है अकाल की समस्या। अकाल ! हमारे क्षेत्र में तीन सालों में से दो साल अकाल आया करता है और इस अकाल में दो साल से जो कार्य राजस्थान सरकार ने किये हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं, इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिये पर कार्य करने में जो खर्चा हुआ है वह 14 करोड़ का खर्चा हुआ है, जैसी कि मेरी इन्फोर्मेशन है 66-67, 67-68 में 14 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ है। यह जो 14 करोड़ का खर्चा हुआ है उसमें 7 करोड़ का भी कार्य नहीं हुआ है। यह भी हमें देखना चाहिये, इसमें जांच करनी चाहिये और जो कार्य ढंग से नहीं हुए हैं, करप्शन हुआ है, इसके लिये जो जिम्मेदार हों उनको सजा दी जानी चाहिये, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी उसमें शामिल हो, उसको सजा देनी चाहिये। अगर सजा नहीं देंगे तो कोई भी कार्य सुचारु रूप से नहीं हो सकता। 14 करोड़ का खर्चा हुआ उसमें 7 करोड़ का कार्य हुआ है। जो सड़कें बन गई उनके रिपेयर्स का कोई प्रावीजन नहीं है।

बाड़मेर जिले में 20 साला योजना का भी कलेक्टर और कमेटी ने ध्यान रखा कि 20 साला योजना के अन्तर्गत जो सड़कें ली जानी चाहिए थीं, उन सड़कों को लिया गया, पर उन सड़कों के रिपेयर्स का कोई प्रावीजन नहीं है। पी. डब्ल्यू. डी. को हस्तान्तरित नहीं की हैं। जो सडकें बनी हैं, वे खत्म हो रही हैं; एक साल में खत्म हो जायेंगी। 24 मील की सड़क है तो उसमें कहीं एक मील ग्रेवल हुआ है, कहीं 4 मील ग्रेवल हुआ है, किसी में केवल अर्थ वर्क हुआ है, ग्रेवल नहीं हुआ है, तो वे सड़कें खत्म होंगी . . . ..

श्री श्रवणलाल : आपने बताया कि 14 करोड़ का खर्चा हुआ और 7 करोड़ का हुआ है, तो क्या 7 करोड़ का घोटाला है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 7 करोड़ का करप्शन है, इसमें शक नहीं, अपनी जनता में भी ईमानदार नहीं हैं, वह पूरा काम नहीं करती है, अकाल के वक्त में कार्य किया जाता है तो वे समझते हैं कि यह मुफ्त में दिया जाता है, लोग काम करते नहीं हैं। दूसरे अकाल में कार्य करते हैं, ओवरसियर होते हैं, कुछ ऐसे ही जनता के प्रतिनिधि आ जाते हैं, वे शरारत करते हैं और पैसा खा जाते हैं। इस प्रकार कुछ तो जनता में खुद में आलस्य है, कर्त्तव्य की भावना नहीं है इसलिए काम अच्छा नहीं होता है और कुछ करप्शन है, इसलिये काम कम हुआ है।

जो अकाल में काम लिये गये हैं, उसमें भू-संरक्षण का कार्य हमारे जिले में भी लिया गया है। भू-संरक्षण का कार्य हमारे जिले में अच्छा हुआ है। हमारे यहां शिव रेगिस्तानी इलाका है, वहां धोराबन्दी करके अच्छा कार्य किया है। किसान भी इस कार्य से आकर्षित हुए हैं। उन्होंने खड़ीन का,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

धोरेबन्दी का काम कराया है जिससे शिव क्षेत्र में गेहूं की अच्छी पैदा होगी। ऐसे कार्य लिये हैं, इन कार्यों को लेना चाहिये। पर मैं इन दो वर्षों में देख रहा हूं कि नाडियों और तालाबों की खुदाई का काम बिलकुल नहीं लिया गया है। वे समझते हैं कि यह कोई काम के नहीं हैं पर मैं समझता हूं कि नाडियां और तालाब किसानों के लिये बहुत लाभदायक हैं। बरसात में अगर नाडियां और तालाब काम में नहीं आयें और किसान अगर केवल कुओं पर ही निर्भर रहें तो एक किसान के परिवार के सदस्यों का सारा समय कुओं से पानी निकालने में ही लग जायगा और इस तरह से प्रोडक्शन में कमी होगी। नाडियों और तालाबों को खुदाने का काम रेगिस्तान में खास तौर से बहुत ही लाभदायक है। रेगिस्तान में बहुत से तालाब ऐसे हैं जो वहां के बाशिन्दों के लिये बहुत ही लाभदायक हैं। शिव, हरसाणी, गूंगा, उतरलाई, भाप (बादरा) में नाडियों के जरिये ही पीने के पानी की व्यवस्था होती है, वहां के लोग नाडियों का पानी मवेशियों को पिलाते हैं और खुद पीते हैं।

हमारे क्षेत्र में ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं। शिव पंचायत समिति के गूंगा गांव में और बायतू पंचायत समिति के बायतू गांव में पानी खारा है, बायतू में रेल्वे की टंकियों से पानी दिया जाता है जो वन फोर्थ पोपुलेशन को भी नहीं मिल पाता है। इसी प्रकार शिव में नाडियों का पानी पी कर गुजर करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, मवेशी तो पिये तो कुछ नहीं पर आदमी भी यही पानी पीकर गुजर करते हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है।

शहरों में पानी के लिये आवाज उठाई जाती है, कहते हैं अजमेर में पानी की कमी है, बायतू और शिव ग्राम को अगर आप देखें तो आपको पता चल जायगा कि वहां पर पानी का कैसा भयंकर कष्ट है जिसका आप अन्दाज नहीं कर सकते। आपको कुछ कम पानी मिले तो गडबड़ी होती है पर वहां लोगों को पीने तक को पानी नहीं मिलता है, 10-10 मील की दूरी से पानी लाकर गुजर चलाते हैं, यह वहां की एक भयंकर समस्या है। हवा के बाद दूसरा नम्बर पानी का है, पानी की समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। प्रजातन्त्र में 20 साल की आजादी के बाद भी पानी की हम तकलीफ नहीं मिटा सकें तो यह हमारे लिये बड़ी शर्म की बात होगी।

वैसे पानी के लिये काफी काम किया है, पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में काम किया गया है। लोगों ने भी परिश्रम किया है, बोरिंग भी हुए हैं। पर जहां पानी खारा है, वहां बोरिंग भी सफल नहीं हुए हैं। बायतू में बोरिंग किया गया पर वहां पानी खारा निकला। किन्तु वहां के लिए जहां ट्यूब वैल में अंडू में अच्छा पानी निकला है, वहां से पाइप लाईन की व्यवस्था कर सकते हैं, और जहां पाइप लाईन की व्यवस्था नहीं हो सकती वहां टांके बना कर व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी जगह बोरिंग सफल हुए हैं वहां से पाइप लाईन ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। शिव तहसील में नीमला में बोरिंग हुआ है उसकी 10 हजार गैलन पर आवर की केपेसिटी है तो नींबली नल कूपा से उन कुओं के पास में और शिव और गूंग आदि ग्राम में पानी की व्यवस्था करने के लिये

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पाइप लाईन की स्कीम बनानी चाहिये । पर अभी तक स्कीम खटाई में है। प्रश्न आता है कि आर्थिक स्थिति नहीं है, पर जहां पानी की समस्या है, पीने तक को पानी नहीं मिलता, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात आप जाने दीजिये, दूसरी तरक्की की बात जाने दीजिये पर जहां पीने को पानी नहीं है वहां पानी की व्यवस्था करने के लिये गवर्नमेंट को अधिक से अधिक प्रोवीजन करना चाहिये। इन दो सालों में मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने पानी के लिये कोई प्रावीजन नहीं किया है, पंचायत समितियों के पास कोई फंड्स नहीं हैं । फंड्स शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, 2 हजार रुपया एक कुए के लिए रखा है, उस क्षेत्र में 15 हजार में भी एक कुआ नहीं बन सकता । कहीं एक कुआ बनाने में 15 हजार रुपया लगता है, कहीं 20 हजार रुपया लगता है कहीं 10 हजार रुपया लगता है, तो 2,000 रुपयों में आप कैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये कुए की व्यवस्था कर सकते हैं तो यह देखना है कि किस तरह से पानी की व्यवस्था की जाय ।

इस क्षेत्र में हमेशा अकाल पड़ते हैं, डेजर्ट डेवेलपमेंट का ऑफिस जोधपुर में रखा गया, उस क्षेत्र में अकाल पड़ते रहते हैं पर वह भी जोधपुर से जयपुर में लाया गया है। इस प्रकार की नीति क्यों अपना रहे हैं, यह चीज समझने की है। जहां भयंकर अकाल पड़ते हैं, रेगिस्तान है और पीने को पानी तक नहीं मिलता वहां यह योजना करनी चाहिय और वहां उसे सफल बनाना चाहिये। अब यह क्षेत्र तो बड़ा महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षे है। पहले तो समझते थे कि सुनसान क्षत्र है, कौन इधर आयेगा लेकिन हिन्दुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सुन्दरां क्षेत्र में, जैसलमेर के क्षेत्र में, पाकिस्तान की फौजें सीज फायर के बाद घुस आईं और उसमें हमें बड़ा नुकसान हुआ । मैं कहूंगा कि यह राजस्थान सरकार की कमजोरी थी, अदूरदर्शिता थी कि राजस्थान सरकार ने इस जिले को पिछड़ा हुआ ही रखा, इसीलिए देश की दुर्दशा हुई ।

अब कुछ जगह ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं, इन नल कूपों से पाइप लाइन्स की व्यवस्था करके पीने के पानी की जो उस क्षेत्र की समस्या है, उसको हल कीजिये ।

गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण मे यह कहा कि नल कूपों के लिये कि इन नल कूपों का एग्रीकल्चर पर्पज के लिये भी इस्तेमाल करेंगे। एग्रीकल्चर पर्पज तो गया दूर पीने के पानी की व्यवस्था उस क्षेत्र में कर दें तो हमे बड़ी खुशी होगी ।

श्री श्रवणलाल : आपने अभी कहा कि एग्रीकल्चर पर्पज तो डूबा यह बताइये कि मंत्री महोदय डूबेंगे क्या ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर मंत्री महोदय गलती करेंगे या असेम्बली के सदस्य गलती करेंगे तो वे डूबेंगे ।

अपना जो सुन्दरा का 500 स्कवायर माइल का क्षेत्र है उसके अन्दर एक हजार की आबादी है । उनको आपने बसाने की कोशिश नहीं की । तो फिर यदि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सुनसान इलाके को देखकर वे घुस जायेंगे । पहले 5 हजार की आबादी थी, उसमें से 4 हजार पाकिस्तान में चले गए सिर्फ एक हजार उस क्षेत्र में

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
रहते हैं, तो उनको बसाने की कोशिश करनी चाहिए। साधन हैं, वहां पर बोरिंग भी सफल हो सकता है, गडरा रोड़ में भी सफल हुआ है, हरसोली के पास भी सफल हुआ है। इसलिए इनको बसाने की कोशिश करनी चाहिये और पूरी तरह से मदद करनी चाहिए।

आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति व जन जाति को पानी पीने के साधन नहीं हैं, वे ऊंट नहीं रख सकते, आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी नहीं है कि वे उन्हें खरीद कर रख सकें, ऊंट के बिना पानी नहीं निकाल सकते। इसलिए उनको पटेल व मुखिया पर निर्भर रहना पड़ता है तो वे उनका एक्सप्लाइटेशन करना चाहते हैं। इसलिए उनको सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। आप कहते हैं जो सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं उनका मनोबल ऊंचा होना चाहिए। अगर इन जाति के लोगों का मनोबल ऊंचा होगा जो 20 मील के सीमांत क्षेत्र में रहते हैं तो देश का फायदा होगा। लेकिन वह मनोबल कैसे ऊंचा हो जब उनके पास पीने का पानी निकालने के लिए साधन नहीं। इसलिए योजना बनानी चाहिये। यदि सरकार योजना नहीं बनाएगी तो दोषी होगी। कभी भी भारत पाक में युद्ध छिड़ सकता है, तो जैसे पहले गल्ती की थी, ऐसी दुबारा न करें। केन्द्रीय सरकार से मदद लेकर योजना बनायें और इन पिछड़े हुए लोगों को पूरी तरह से बसाने की व्यवस्था करें, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करें उनको लोन्स व सब्सिडीज दें।

इन जातियों के लिए मुझसे जितनी कोशिश हो सकती थी, की है। और मुझे हमदर्दी है। अभी भी देखता हूं कि छूआछूत का भूत नहीं भागा है। इसके लिए कांग्रेस वाले जिम्मेदार हैं और दूसरे दलों के लोग भी जिम्मेदार हैं और जनता भी जागृत नहीं है। इसलिए यह छूआछूत नहीं भागी है। मैं गांवों में जाता हूं तो मुझे दुख होता है कि ग्राम पंचायतों की बैठकों में उन जाति के लोगों को अलग बैठना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य : बाड़मेर जिले में अलग बैठते होंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दूसरी जगहों पर भी अलग बैठते हैं। इस जाति के लोग अगर कपड़े का या मनिहारी का या अनाज का या गुड़ का धंधा करना चाहें तो नहीं कर सकते। यह हमारे देश के लिए कलंक की बात है। दुनियां आगे बढ़ रही है हम दूसरे देशों से कहते हैं गोरे कालों पर जुल्म करते हैं, दक्षिण अफरीका का सवाल दुनिया की काउन्सिल में उठाते हैं लेकिन यह जो प्रश्न हमारे सामने हैं उसका कोई हल नहीं हुआ है। मुझे कोई संतोष नहीं है, उनको मंदिरों में जाने का प्रवेश नहीं, होटलों जाने की छूट नही है ......

श्री अचलालाल: तो क्या जितना दलित वर्ग संघ के नाम आपके जिले में खर्च हुआ है, वह व्यर्थ ही हुआ है, अपनी जेब भरने के लिए ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दलित वर्ग संघ के माध्यम से कुए बने हैं, छात्रावासों के अन्दर उनको सुविधाएं मिली हैं आज वे पढ़ने-लिखने लगे हैं। पहले इन जाति के लोगों में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिलता था, आज उनमें मैट्रिक पास लड़के भी देखता हूं। तो इस जाति के लोगों के लिए सुधार हुआ है लेकिन आजकल के जमाने में जितनी दुनिया

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आगे बढ़ी है, उसको देखते हुए जितनी प्रगति इन जातियों के लिए होनी थी, वह नहीं हुई है, इसलिए इसकी रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है।

दूसरा प्रश्न में विशेषतौर से नशाबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। इस दिशा में जो कदम उठाये गए हैं सरकार द्वारा, जो 20 वर्ष की आजादी के बाद उठाए गए हैं, महात्मा गांधी ने आजादी से पहले ही इन कदमों को उठाने के लिए कहा था। नशाबन्दी तो आजादी के दो साल बाद ही करनी चाहिए थी, शराब पीना अपराध होना चाहिए था। हर समय कोरे फंड्स की बात करते हैं कि इससे हमारा बजट चल रहा है यह अनुचित तरीका है पैसे एकत्रित करने का। मोरारजी देसाई ने भी बार बार इस मांग के लिए विचार प्रकट किए हैं। यह बहुत ही सामयिक और आवश्यक मांग है। हम महात्मा गांधी की शताब्दी मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर तो पूरी तरह से नशाबन्दी की घोषणा करनी चाहिए। इसके अन्दर देरी नहीं करनी चाहिए शराब के कारण आदमी का आचरण गिरता है, हरिजन भी इसे पीते हैं। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति को बड़ा धक्का पहुंच रहा है। एक तरफ उनकी तरक्की करने की सोच रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी आर्थिक स्थिति शराब के कारण गिर रही है। मैंने अच्छी तरह से जानकारी की है बाड़मेर शहर के अन्दर, विशेषतौर से मेहतरों के 20 परिवारों की मैंने जांच की। औसतन उनकी कमाई औरवालों से भी ज्यादा है परन्तु वे अधिक खर्चा करते हैं शराब के अन्दर और हमेशा कर्ज में रहते हैं। इस शराब ने हरिजनों की दुर्गति की है और सरकारी कर्मचारी भी अधिक पीते हैं। कृषक भी इस ओर जाने लगे हैं। वे समझते हैं कि हमारी तरक्की हो रही है, हम भी बड़े आदमी हैं...

श्री परसराम मदेरणा : शराबबन्दी के बारे में आपके क्या विचार हैं ? क्या राजस्थान में बाड़मेर जिले में ही सबसे ज्यादा अफीमची रहते हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अफीमची बाड़मेर जिले में रहते हैं, जालोर में और काफी जगहों पर रहते हैं। अफीमची से अफीम तो छूट गया, डोडे का ज्यादा प्रयोग करते हैं। डोडा फोड फोड़ कर पीने की रिवाज बहुत हो गई है।

श्री विजयसिंह रावत : असली अफीम तो ब्लैक मार्केट में चला जाता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह तो मिलता ही नहीं है।

श्री हीराभाई : असली अफीम तो मंत्रियों के पास चला जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य का ध्यान में समय की ओर दिलाता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इस समय आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करें, कुछ कुर्बानियां करें, परिश्रम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम। आपका प्रस्ताव है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री विजयसिंह रावत : ऑन ए पोइन्ट आफ ऑर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : पोइन्ट आफ ऑर्डर होना चाहिये।

श्री विजयसिंह रावत : होगा। पहले सुन तो लीजिये आप।

व्यवस्था का सवाल यह है कि सदन में डेकोरम रखने के लिये और सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चले उसके लिये मुख्य सचेतकों की कान्फरेन्स में यह तय हुआ था कि मुख्य सचेतक जिम्मेदार हैं कि उनके दल के किन किन सदस्यों को कितना कितना समय मिले। उसके आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है सदन की कार्यवाही सुबह शुरू हुई उससे पहले हरएक दल के मुख्य सचेतक ने बोलने वाले माननीय सदस्यों के नाम और समय निर्धारित करके आसन को दे दिये थे। उसके पश्चात् आसन की ओर से इतनी सहमति होनी चाहिये कि दल के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाय जिससे सदन का डेकोरम रह सके। मुझे इतना ही कहना है। यह व्यवस्था नहीं हो रही है उसके लिये मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने जिस बात की ओर ध्यान दिलाया है उसके अनुसार समय का बंटवारा करके सब ही माननीय सदस्यों को समय दिया जा रहा है। आपके दल को यह शिकायत नहीं हो सकती कि आपको अभी तक समय कम मिला।

श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप सबका ध्यान रखें तो निर्दलियों में मैं अकेला ही हूं। कृपया मेरा भी ध्यान रखें।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरे ध्यान में है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा और अभिभाषण के समर्थन में माननीय डागाजी ने जो बातें कहीं वह भी सुनीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें लिखी गयी हैं वे तो बहुत बढ़िया हैं लेकिन वह खाली भाषण ही है। निर्जीव है, उसमें कोई जीवन नहीं है। जीवन उसमें दिखाई नहीं देता है।

विकास के विषय में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बहुत लम्बा चौड़ा लिखा है लेकिन राजस्थान में विकास के नाम पर यहां हमेशा ही बड़ा घोटाला होता रहा है। इसको विकास के बजाय विनाश ही कहा जाय। और इस विनाश के द्वारा ही राजस्थान की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विकास के मामलों में जितना घोटाला हुआ है, उनके संबंध में जितनी शिकायतें हैं, उनके संबंध में कमीशन बिठा कर उनकी इन्क्वायरी करवाई जाय तो सही चित्र सामने आवेगा

(श्री रामचन्द्र आर्य)
वरना यह केवल अभिभाषण ही है और इसमें कुछ भी नहीं है।

खाद्य उत्पादन के बारे में बीज वितरण के लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में लिखा है कि 42 हजार एकड़ भूमि में बढ़िया बीज दिया गया। यह बिल्कुल असत्य बात है। बढ़िया बीज नहीं दिया गया। मेरे क्षेत्र व राजस्थान केनाल क्षेत्र में काश्तकारों को शंकर बाजरा का बीज दिया गया वह बिलकुल घटिया किस्म का दिया गया जिससे काश्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ। इसी प्रकार राजस्थान में अनेक जगहों पर भी मैं समझता हूं कि घटिया किस्म का बीज पूरी कीमत लेकर दिया गया जिससे काश्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ। मैंने इस संबंध में कृषि मंत्रीजी को एक पत्र लिखा। उसका उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। शंकर बाजरा का बीज जिन काश्तकारों ने लेकर बोया उनको लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। सारी शक्ति, सारा पानी व खाद उस जमीन में लगाना पड़ा फिर भी सात आठ मन प्रति बीघा से अधिक बाजरा पैदा नहीं हुआ। भाषण में केवल मात्र लिख दिया है कि 42 हजार एकड़ में शंकर बाजरा, ज्वार, मक्का का बढ़िया बीज दिया और उससे उत्पादन बढ़ा है। यह कोरे कागजी आंकड़े हैं और उत्पादन नहीं बढ़ा है। यह बिलकुल सत्य बात है।

लेवी के बारे में भाषण में फरमाया गया है कि गत वर्ष लेवी में 21,234 टन गेहूं की वसूली की गई और बड़े काश्तकारों से वसूली की गई लेकिन मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान केनाल के आधे से ज्यादा काश्तकारों ने बाजार से गेहूं खरीद कर लेवी में दिया। मजबूरन दिया। उनसे जबरन वसूली की गई। वसूलियों के बारे में गंगानगर इलाके में अनेक आदमियों पर मुकदमें चले हैं और यह कहना, कि बड़े काश्तकारों से 21,234 टन गेहूं की वसूली की, बिलकुल असत्य बात है। लेवी का मामला बड़ा ही विकट था और काश्तकारों के साथ में बड़ा अन्याय हुआ। अभिभाषण में प्रशंसा की गई लेकिन सरकार इसके योग्य नहीं है।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमा के अन्दर खाद्य क्षेत्र बनाये हैं। सीमा क्षेत्र को दस और पांच मील में बांटा गया है। दस मील क्षेत्र में चने के ऊपर पाबन्दी और 5 मील के क्षेत्र में गेहूं व अन्य खाद्यान्नों पर पाबन्दी है। इससे सीमा क्षेत्र के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। अपने खेतों से उनका अपना अनाज लाने के लिये उनके चालान हुए और आज भी लोग सजा भुगत रहे हैं। और अनेक आदमी आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। सीमा पर जो पुलिस और कर्मचारी लगाये हैं वे सरे आम तस्करी करते हैं। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कर्मचारी जगह जगह क्षेत्रों में लगे हुए हैं वे खूब धन कमाते हैं। इससे चन्द आदमियों को तो फायदा है लेकिन क्षेत्र बन्दी से किसानों को व अन्यों को, सिवाय कांग्रेस के कार्यकर्ता और कर्मचारियों के, कोई फायदा नहीं है। काश्तकारों को अनाज सस्ता बिकता है और ब्लैक में बेचने वाले लोग नाके बन्दियों पर पुलिस कर्मचारियों से मिल कर अनाज की ट्रकें निकालते हैं और काश्तकार खाने के लिये अपने ऊंटों पर अनाज लाते हैं तो रास्ते में उनको पकड़ लेते हैं और पुलिस कर्मचारी और अन्य लोग अपनी कारगुजारी दिखाने के लिये कि हम

(श्री रामचन्द्र आर्य)

नाकेबन्दी पर सतर्क हैं उन बेगुनाहों को पकड़ लेते हैं और चालान करते हैं और उनकी सजायें होती हैं । इस व्यवस्था से राजस्थान में कोई फायदा नहीं है । अभिभाषण में यह भी कहा गया कि इस प्रकार सीमा पर पाबन्दियां लगाई गईं इससे उत्पादन में वृद्धि हुई और सुधार हुआ उसको बढ़ावा मिला लेकिन मैं कहता हूं कि इससे कोई बढ़ावा नहीं मिला । सीमा पर बसने वाले किसानों के लिये अपने खेतों से अनाज को घर ले जाने के संबंध में आपके कानून में कोई प्रावधान नहीं है । सीमा पर बसने वाले काश्तकारों को अपने खेतों से घरों को अनाज ले जाने के वक्त में उनको पकड़ लिया गया, उनको सजा हुई और आज भी कई लोग सजा भुगत रहे हैं। इसलिए इस व्यवस्था से आम लोगों को कोई फायदा नहीं है । इससे तो बहतर है कि अनाज खुला कर दिया जाय ताकि सही कीमत काश्तकारों को मिल सके और मुकदमेबाजी में वे न फंसे । इससे जो लोग नाके पर बैठे हैं उनकी आमदनी जरूर बन्द हो जावेगी । नाकेबन्दी पर रहने वाले कर्मचारी किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं। अक्टूबर में व्यासजी नोहर, भादरा पधारे थे उन्होंने भादरा में एक तस्करी करने वाले आदमी के घर जाकर चाय पी और साथ में उनके कलेक्टर भी थे और एस०पी० आदि जो भी थे । फिर कैसे मानें कि अच्छे आदमियों को बढ़ावा मिलेगा । नोहर में हमने उनको स्मरण पत्र दिया कि अनाज की तस्करी होती है । व्यासजी यह बात पूछते हैं कि पैसा देकर कौन ले जाते हैं। सब लोग जानते हैं आपसे छिपा थोड़े ही है इससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिलती है । इसलिये पांच, दस मील क्षेत्र की जो पाबन्दी की बात कही गई है कि उससे उत्पादन में बढ़ावा मिला है वह बिलकुल असत्य है । पाबन्दी उठा ली जावे तो ठीक रहे ।

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये भाषण में लिखा गया है मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में रावतसर में मुसलमानों की ढाणी है उसमें पचास घर थे वे सारे के सारे डूब गये और सारी फसल डूब गई और मेरे चुनाव क्षेत्र में गांव बड़ोपल के 100 घर डूब गये थे उनको भी कुछ नहीं मिला ।

(4 म० प०)

100 घरों के बाढ़ पीड़ितों को कुछ नहीं दिया गया है । आज तक उनको पैसा नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि भाषण में जो बात कही है सहायता की बात गलत है । मेरे क्षेत्र में किसी को सहायता नहीं मिली है तो हम कैसे समझें कि दूसरे लोगों को भी सहायता मिली होगी यदि दी भी होगी तो नाममात्र की दी होगी । मेरे क्षेत्र को तो सहायता नहीं मिली है यह सत्य है । उत्पादन के विषय में कहा है बीस हजार 9 भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि अलाट की है सो यह बिलकुल गलत है क्योंकि गंगानगर में 50 हजार भूमिहीन किसान मारे मारे फिरते हैं और उनको जमीन नहीं दी जाती है और मेरी तहसील के अन्दर हजारों बीघा जमीन बंजड़ भूमि के रूप में है और वह भूमिहीन काश्तकारों को नहीं दी है । यहां तक हुआ है कि जमीन का अलाटमेंट रोक दिया गया है जिनको पहले अलाट हो चुकी है, उनको भी नोटिस दिये गये हैं। इस तरह भूमिहीनों को तबाह किया जा रहा है । आज भी वे अदालतों के चक्कर काटते फिर रहे हैं । भूमिहीनों को भूमि दी गई हो यह

(श्री रामचन्द्र आर्य)

बिलकुल गलत है, असत्य है। खाली राज्यपाल महोदय को लिखकर भाषण दिलवाये जाने से, इस प्रकार के भाषण से कोई लाभ नहीं है। राजस्थान केनाल के बारे में भी कहा है कि एक लाख एकड़ भूमि केवल अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों के लिये सुरक्षित की गई है और 50 हजार एकड़ भूमि अन्य भूमिहीन काश्तकारों के लिये सुरक्षित की है। यह बिलकुल गलत है। इन्होंने जो नियम बनाये हैं, राजस्थान के टिनेन्सी एक्ट के नियम आप पढ़कर ताज्जुब करेंगे कि कोई भी काश्तकार उस जमीन को नहीं ले सकता, भूमि की पहले से तिगुनी कीमत कर दी गई है, पहले की उनकी दरख्वास्तें जो दी थीं वह खारिज कर दी हैं, अब फिर से दरख्वास्तें मांग रहे हैं। चुनाव के समय कांग्रेस ने घोषणा की थी और आज उन मिनिस्टरों से पूछे जो वहां से चुनाव लड़कर आये हैं, भूमिहीन काश्तकारों के लिये 15 बीघा भूमि देने का प्रावधान क्यों रखा ? इसके साथ साथ यह भी रखा है कि वह सन् 55 से पहले का बासिन्दा हो। जिनके अब वोट बने हुए हैं, जिनके मकान बने हुए हैं उनको नहीं दी जा रही है, बाकी पुराने कब्जों को केन्सिल किया जा रहा है। क्या कारण है कि पहले के वासिन्दों को जमीन दी जाय और जो बाद में परिवार आये हैं उनको जमीन नहीं मिले और उसके बाद भी कोई भूमिहीन किसान दरख्वास्त देगा और एक से अधिक दरख्वास्त होगी उस भूमि की नीलामी करवाई जायगी। भूमि देने के बाद कब्जा देने से पहले 5 प्रतिशत रकम जमा करवानी पड़ेगी। दूसरे भूमिहीन किसानों को साढ़े बारह प्रतिशत रकम जमा करवानी होगी यह आप सोच सकते हैं कि यदि उनके पास रकम होती तो वे आज भूमिहीन नहीं होते। भूमिहीन वे लोग हैं, जिनके अपने तन व झोंपड़ी हैं और जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से जो कानून बनाये, नियम बनाये हैं। इन नियमों से कोई भी भूमिहीन किसान जमीन नहीं पा सकता। आज उस इलाके में काश्तकारों को नोटिस मिले हुए हैं—काश्तकारों की सन् 55 के बाद जिनकी रजिस्ट्री हुई है, उनसे भूमि वापिस ले रहे हैं और कहते हैं कि जमीन सरकार की है। राजस्थान केनाल की भूमि जो बढ़िया भूमि है उसको छोटे काश्तकारों को न बेचकर पूंजीपतियों के हाथों में बेचकर तबाह करना चाहते हैं। यह जो राजस्थान केनाल के अन्दर भूमि का अलाटमेंट है उसकी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर इतनी प्रशंसा की है कि यह राज्य की बहुत बढ़िया नीति है। वहां का काश्तकार पिछड जाय और पंजाब के धन कमाने वाले काश्तकारों को जमीन दी जाय। इसके बारे में 2-3 दिन से एक यहां डेपूटेशन भी आया हुआ है। लोगों में बड़ी बेचैनी हो रही है। फिर भी अभिभाषण में कहा है कि इतनी जमीन देंगे। भूमिहीन काश्तकारों को जमीन मिलने वाली नहीं है।

उसके बाद, अन्न के बारे में आत्मनिर्भर कैसे हों, इसके बारे में भी अभिभाषण में कहा है तो इसके लिये सिंचाई परियोजनाओं को लेकर कहा है कि हमारी योजनायें पूरी नहीं हुई हैं इसलिये अन्न के उत्पादन में सफल नहीं हुए हैं। हमारी योजनायें पूरी नहीं हो सकीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में लाखों एकड़ भूमि बंजड़ पड़ी हुई

(श्री रामचन्द्र आर्य)

है। वहां के किसान मारे मारे फिरते हैं और गंगानगर में इतनी उपजाऊ जमीन होते हुए भी ये बहाना करें कि उत्पादन नहीं हुआ। जमीन मंहगी भाव पर बेचें इसलिये आपका अन्न उत्पादन का जो लक्ष्य है वह पूरा नहीं हुआ।

इसके आगे कहा है कि हॉस्पिटलों में बढ़ोतरी की है। मैं खुद बीकानेर मेरी पत्नी को लेकर गया। तीन दिन तक बिस्तर नहीं मिले, बिना बिस्तर तीन दिन तक बीमार पड़े रहे। यह हालत है वहां के बीमार सड़ते हैं अस्पतालों में। वहां की टट्टी और पेशाब घर में जा नहीं सकते इतनी बदबू आती है। औषधालय के बारे में लिखा है लेकिन मेरे गांव में औषधालय है 10 महीने से कोई दवा नहीं मिली है। पहली बात तो औषधालय में दवा घटिया किस्म की दी जाती है और फिर यह कहना कि हमने यह किया, वह किया है—यह तथ्यहीन बातें लिखी हैं। राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

इसके बाद शिक्षा के बारे में लिखा है, हमने यह किया, वह किया लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी प्राइमरी शिक्षा के लिये बच्चे तरस रहे हैं गांवों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। भ्रम में डालने वाले और गलत अभिभाषण से कोई लाभ नहीं। मेरे चुनाव क्षेत्र में 500 से लेकर 700 तक की जनसंख्या में 5-5, 7-7 मील की दूरी पर 70 ग्रामों में कोई भी प्राइमरी पाठशाला नहीं है। मैं समझता हूं यह स्थिति मेरे इलाके में ही नहीं, सारे राजस्थान भर में सैंकड़ों गांव ऐसे हैं जहां बच्चों को पढ़ने के लिये प्राइमरी स्कूल तक नहीं हैं। आपने केवल चुनाव जीतने के और उन लोगों को राजी करने के लिये यह सब कुछ किया है। मैंने पिछली विधान सभा के अन्दर क्वेश्चन किया था और उसका यह ज़वाब मिला था कि पंचायत समिति की ओर से 20 प्राइमरी स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया है, उसकी इजाजत दे देंगे लेकिन जब बीकानेर के डायरेक्टर से कहा गया तो उन्होंने यह जवाब दे दिया कि हम कोई स्वीकृति देने को तैयार नहीं हैं। इससे बढ़कर और क्या शर्म की बात हो सकती है।

मैं आप लोगों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में यह जानकारी करा देना चाहता हूं कि इस प्रकार सारे अभिभाषण में कोई भी बात सत्य नहीं है। माननीय डागा जी और व्यास जी ने जो समर्थन किया है वह खाली भाषण के अलावा कुछ नहीं है। खाली भाषण देने से कोई फायदा नहीं। आपने इतनी प्रशंसा की है। कोई भी बात इस अभिभाषण में प्रशंसा वाली नहीं है, उसको पढ़ लीजिये एक भी बात साफ नहीं मिलेगी। टालमटोल करके अपने अभिभाषण को राज्यपाल महोदय को पढ़ने को दे दिया गया है, और उन्होंने मूर्ति की तरह पढ़ दिया। जैसे आप कहते हैं, राज्य सरकार कहती है वैसे वे भाषण देकर चले जाते हैं। न उनको भाषण से कोई मतलब है और न उन्हें उसकी गहराई तक पहुंचने की जरूरत है। सारे अभिभाषण को आप उठाकर देखें तो आपको असत्य बातों का पता लग जायेगा। आज राजस्थान की दो करोड़ जनता यह महसूस कर रही है कि हमारे साथ किस प्रकार अन्याय हो रहा है। जिस तरह से अल्प बचत योजना के लिये 7 करोड़ का लक्ष्य रखा है और यह उन

(श्री रामचन्द्र आर्य)

काश्तकारों से वसूल किया जाता है और पटवारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह रकम वसूल करें। उसके साथ साथ रिश्वत लेने की भी खुली छूट है। हजार रुपये लेने होते हैं तो कहते हैं 50 रुपये हमें दे दो। इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों को अल्प बचत योजना में उन लोगों से रिश्वत के रुपये, रजिस्ट्री में से जबरन वसूल किये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अल्प बचत से धन वसूल होना चाहिये लेकिन उन लोगों से वसूल होना चाहिये जिनके पास रुपया है और जो खुशी से दे सकते हैं। बचत के नाम से दे सकते हैं उनसे वसूल किया जाय। उन पर आप टैक्स लगा कर वसूल करें किन्तु आप धोखा न दें। आप काश्तकारों को कच्ची रसीदें देते हैं और बाद में जब वे लोग पक्की रसीदों के लिये कहते हैं तो कहते हैं वह गुम हो गई है। इस तरह आप गावों में जो कच्ची रसीदें देते हैं तो उन लोगों की भावना अब यह बन गई है कि यह पैसा अल्प बचत में नहीं जा रहा है। यह एक गलत धारणा बन गई है। ऐसे लोगों से अल्प बचत में पैसा लिया जाय तो यह बड़ी अच्छी बात है आप पैसा वसूल करें लेकिन उन लोगों से करें जिनके पास पैसा है। वह भी आप जन प्रतिनिधियों द्वारा पैसा इकट्ठा करवाइये। जिस घर में खाने को अनाज नहीं, जिसके बाल बच्चे पहले से ही भूखे मरते हो उससे अल्प बचत की योजना कैसी। यह योजना कम्पलसरी उन लोगों के लिये लागू करिये जिनके पास पैसा है और जो दे सकते हैं इन दो चार मुद्दों पर निवेदन करता हुआ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस अभिभाषण में जो बढ़ा चढ़ा कर मूल दिया गया है इसमें तो केवल भांड का काम किया गया है....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपका भांड का काम है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाय। किस बात के लिये उनको धन्यवाद दिया जाय? जो बातें कही गई हैं वे केवल भांडपना है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और जो मैंने आइटम बताये हैं उनका सरकार की तरफ से सही और जांच करवाकर उत्तर आयेगा यह मैं आशा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा!

(अनुपस्थित)

श्री सहदेव शर्मा!

(अनुपस्थित)

श्री गोरधन सोनी!

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव जिन माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया और जिसका समर्थन माननीय सदस्य ने किया मुझे उनका भाषण सुनकर दुःख महसूस हुआ। यह लोग इस तरह से अपनी सरकार को गुमराह करते हैं और सारे सदन को गुमराह करना चाहते हैं यह देखकर मुझे दुख हुआ। कुछ उन्हीं के दल के सदस्यों ने सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया, शासन में जो तकलीफें हैं, जो कमजोरियां हैं उनका उल्लेख किया, उनको स्पष्ट मन्जूर भी किया।

(श्री गोरधन सोनी)
जिन माननीय सदस्यों ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और समर्थन किया उनके भाषण से ऐसा लगता था कि उनका ध्यान पिछली साल की तरफ चला गया है। जैसे गत सत्र में धन्यवाद का प्रस्ताव श्री खेतसिंह जी ने पेश किया और उसका समर्थन श्री देवपुरा ने किया उनको मंत्री पद मिल गया शायद इन्होंने भी यही सोचकर, कि आयन्दा हमें भी स्थान मिल जायगा, वास्तविक स्थिति का विश्लेषण न कर अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से स्थिति का दिग्दर्शन कराया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें स्वशासन मिले हुए बीस साल का अरसा हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उन्होंने जनता को अमुक अमुक सहुलियतें दीं। उन्होंने कहा, हमने देश को प्रगति तथा देश को सम्पन्नता की ओर बढ़ाया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त इस देश से अंग्रेज गये उस वक्त यह देश आत्मनिर्भर था, अनाज विदेशों से मंगाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन जब से अंग्रेज गये हम विदेशों के कर्जदार हो गये, हमे विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता है। क्या यही सुशासन का नमूना है? यदि यही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं दरअसल जिन गान्धीजी के कारण हमने आजादी प्राप्त की थी हम उनके बताये हुए मार्ग को ही भूल गये। महात्मा गांधी ने कहा था शराब बन्द होनी चाहिये लेकिन उस ओर कोई ध्यान नहीं दया। आज शराब का दौर धूम धड़ाके से चल रहा है।

महात्मा गांधी ने कौमवाद, सम्प्रदायवाद खत्म करने का नारा दिया था लेकिन आज इस सम्प्रदायवाद ने इस देश के निवासियों में वैमनस्य फैला दिया है उनमें गलत भावना पैदा कर दी है।

उनका कहना था कि देश में कन्ट्रोल और नियन्त्रण की कोई आवश्यकता नहीं लेकिन आज कानून कायदे के इतने ढेर हो गये जिसके बारे में न्यायाधीश तक को यह कहना पड़ा कि यदि मुझे यहां से दो सेर चावल भी ले जाने हों तो मैं ले जा सकता हूं या नहीं। आज कानून और कायदों की इतनी भरमार हो गई है कि कानून का कोई महत्व नहीं रह गया।

इसके अलावा जिन बातों को आप स्वीकार कर लेते हैं उसके बाद उससे मुकर भी जाते हैं। आपके दल ने कामराज योजना बनायी उसके अन्तर्गत यह था कि कोई मंत्री दस साल से ज्यादा नहीं रहे बाद में वह जनता की सेवा करे। लेकिन मंत्रियां को बीस साल तक रह जाने के बाद भी सब्र नहीं। जनता की सेवा वे करना नहीं चाहते। आखिर कोई निर्णय लिया जाता है उसको क्रियान्वित क्यों नहीं करते, उसका महत्व क्यों नहीं समझते?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं राज्यपाल के उस अभिभाषण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया था कि छोटी जोतों पर लगान नहीं लिया जायगा। सदन में यह राज्यपाल महोदय द्वारा कहलवाया गया था। आखिर उसकी भी कोई वक्त नहीं है। जो किसान गरीब हैं, जिनका पेट भरता नहीं उनसे लगान यदि न भी लें तो क्या आपका काम नहीं चल सकता, क्या आप पन्द्रह बीघा तक वाले को लगान माफ नहीं कर सकते?

इसके बाद भूमि आवंटित करने का जिक्र किया गया। भूमि आवंटित करते हैं,

(श्री गोरधन सोनी)

आज जिस प्रकार का आपका ढंग चल रहा है, जगह जगह जो गोचर भूमि है उनको आवंटित की जाती है, तालाब के किनारे की भूमि को आवंटित किया जाता है, इससे कई जगह समस्यायें खड़ी हो गई हैं। पशुओं के चराने के लिये चरागाह नहीं, भूमि गरीब हरिजन को नहीं मिलती। इसमें भी पक्षपात पूर्ण ढंग से वितरण किया जाता है, इससे जो वास्तविक उद्देश्य इसका है वह पूरा नहीं हो पाता है। अपने क्षेत्र की बात आपको बताना चाहता हूं। मेरे यहां जो भूमि आवंटित की गई वह वकीलों को दी गई, थानेदारों को दी गई, सर्किल आफिसरों को दी गई। क्या आपने भूमि इन्हीं लोगों के लिये आवंटित की थी? आपका भूमि आवंटन का नियम अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है लेकिन इसकी परिपालना बुरे ढंग से और गलत तरीके से हो रही है।

अब मैं कृषि उत्पादन के बारे म कहना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय कहते हैं कि हमने कृषि उत्पादन बढ़ाया, खेती के मामले मे तरक्की की। आपको याद होना चाहिये जब हमें आजादी मिली तो अन्न के मामले में आत्मनिर्भर थे। उस समय हम कोई दावा कृषि उत्पादन में वृद्धि आदि का कुछ नहीं करते थे। आज हम दावा करते हैं। पर वे सोचते नहीं कि अगर तारीफ के लायक होते तो आत्मनिर्भर होते आज। पर आज तो हमारी गिनती दुनिया के सामने भिखमंगों में है। यह नक्शा हमारा दुनिया के सामने है। सौ आदमी जहां बैठे हों वहां एक भूखा मर रहा हो तो दया कर के उसको कुछ दान दिया जाता है। उसकी कोई वहां इज्जत नहीं होती। उसकी इज्जत केवल भिखमंगे के तौर पर होती है। वह हालत आज दुनिया के देशों के सामने हमारी है। इसका कारण यह हमारी आज की सरकार है। जो गरीब किसान हैं जो वास्तव में खेती पर निर्भर हैं, जो वास्तव में अन्न उत्पादन में सहयोग दे सकते हैं और जिनको वास्तव में इसके लिये सरकार की मदद मिलनी चाहिये उनको नहीं मिलती। पक्षपात है उसमें भी। यही कारण है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अन्न उत्पादन हमारा नहीं बढ़ता। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होती तो सोच सकते हैं कि अमेरिका में जहां छः प्रतिशत ही किसान हैं वह दुनिया भर को अन्न दे सकता है और हम, जहां 70 पर्सेन्ट किसान हैं, अन्न के बारे में दूसरों की अमेरिका की दया पर निर्भर हैं। अमेरिका निर्यात करता है और हम आयात करते हैं। क्या कारण है कि 70 प्रतिशत की महनत उन 6 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ पाती? कारण है, वास्तविक काम नहीं नहीं करते हम। काम करते भी हैं तो उसमें भी हमारी नीयत गन्दी रहती है। पक्षपात की नीति रहती है। कोरे वक्तव्य देना जानते हैं।

इसके बाद स्थानीय न्याय व्यवस्था का जिक्र करूंगा। न्याय व्यवस्था हमारी कितनी गिरी हुई है। कई तरह के झगड़े गांवों में होते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आधे लोग तो इसलिये नहीं जाते कि न्याय मिलता नहीं, मिलता है तो महंगा मिलता है, देर से मिलता है। इसके लिये गरीब पैसा कहां से लावे। किन किन की खुशामद करे। अगर हम देश के गरीब लोगों को सस्ता न्याय देना चाहते हैं तो न्याय विभाग में सुधार करना होगा। वकील लोगों की मनोवृत्ति भी आज ठीक नहीं है। इस वर्ग में भी आज भ्रष्टता आ गई है। मनुष्य

(श्री गोरधन सोनी)

मार कर कोई आता है, मामला बहुत स्पष्ट होते हुए भी पैसे के लालच में गलत पैरवी करते हैं और न्याय मिलने नहीं देते। ये आदमी, इस मनोवृत्ति वाले वकील भी न्याय में बाधक हैं। तो इस व्यवस्था की तरफ भी सोचने की जरूरत है। न्याय जब तक सरल नहीं करेंगे तब तक गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा।

यह कहा जाता है हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय है। कौन जिम्मेदार है इसके लिये ? जब अंग्रेज थे तब तो कोई टैक्स भी नहीं था। आज अनाप शनाप टैक्स बढ़ा दिये फिर भी दिवालियापन की हमारी हालत है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में मित व्ययता अपनाने की बात कही। क्या किया आपने ? उहटी मन्त्रियों की फौज बढ़ाई। सड़कें स्वीकृत की जाती हैं पांच लाख की दो लाख उस पर लगाकर छोड़ दिया जाता है। थोड़े दिनों में वह दो लाख भी नष्ट हो जाता है। जब वापिस शुरू करेंगे उसे तो पांच लाख फिर से लगाने पड़ेंगे। फिर किस आधार पर मित व्ययता का नारा दिया जाता है ? इन लोगों की कथनी और करनी में कितना अन्तर है। इस देश का कब कल्याण होगा। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सहकारिता को अपनाया। मैं इसे बुरा नहीं मानता। पर जिस प्रकार का हमारे राष्ट्र का चरित्र है उसमें सहकारिता पनप नहीं सकती। सुपर बाजारों को देखें। सहकारी समितियां, सहकारी केन्द्र इन सब में कितने धन का दुरुपयोग होता है। क्या सरकार इसे नहीं जानती ? पर वह सोचने को तैयार नहीं है, इसका पैसा उनके ही भाई भतीजों की परवरिश में जाता है इसलिये। जब इसके पीछे भी एक यही मंशा हो कि पक्षपात के आधार पर किसी तरह अपने आदमियों का पेट पालन किया जाय, उनके पेट की चिन्ता है उनको, राष्ट्र-हित की चिन्ता नहीं है, तो फिर कैसे पनपेगी सहकारिता ? अत्यधिक टैक्स लगाकर गरीब मुल्क के लोगों से लिये गये रुपयों का इस तरह से निर्दयता से यह सरकार दुरुपयोग करती है। आज हम सुनते हैं जोधपुर के सुपर बाजार में इतना नुकसान, जयपुर के सुपर बाजार में इतना नुकसान, दिल्ली के सुपर बाजार में इतना नुकसान। बड़े बड़े मन्त्रियों और भ्रष्ट अधिकारियों की बीवियों कारों में बैठकर दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह मील से वहां जाती हैं और एक पत्ती का पैकट लेकर आती हैं। अफसोस की बात है इन सुपर बाजारों का दुरुपयोग हो रहा है। राष्ट्रीय धन का बड़ा अपव्यय हो रहा है। २० रुपये की एक पत्ती का डिब्बा पड़ता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अरे भाई, यह तो बण्डल है।

श्री गोरधन सोनी : इसके अलावा सुरक्षा का मामला लें, वहां भी यही हाल है। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के युद्ध के दौरान हवाई आक्रमण हुए जोधपुर में। भगवान ने ही भले जोधपुर की रक्षा की हो, पर इस सरकार का कोई इन्तजाम नहीं था उन बमवर्षकों को रोकने का। वहां एक भी विमान नहीं गिराया जा सका। यह तो ईश्वर की कृपा थी कि जिससे बम इधर उधर ही पड़े और इस कारण लोग बच गये।

इसके सिवाय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी सुरक्षा की पुलिस विभाग पर है वह पुलिस विभाग

(श्री गोरधन सोनी)

सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। कई तो पुलिस में जाते ही नहीं। चोरी होती है, किसी के साथ अन्याय होता है अगर वह पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने जावें तो उसे ही उल्टा पुलिस को पैसे देने पड़ते हैं। फिर भला कौन जावेगा वहां? ऐसी हालत में क्या यह व्यवस्था रहेगी? जो पुलिस विभाग लोगों की जान माल की रक्षा के लिए है वही लोगों को हड़पती हो तो फिर इस राज्य से रक्षा की क्या आशा की जा सकती है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करीब तीन वर्ष पहले तीन बच्चों की मेरे इलाके में हत्या कर दी गई। पर आज तक उसका कोई पता नहीं, कोई सुराग नहीं मिल सका। तीस चोरियां हुई। एक का भी पता नहीं चला। जीवालाल दिवाकर के घर दो महीने पहले चोरी हुई। एक औरत को मार कर उसका माल ले गया। उस हत्यारे का और चोरी करने वालों का आज तक पता नहीं लगा। इससे बढ़कर और क्या अफसोस की बात होगी। क्या यह पुलिस देश की व्यवस्था कर सकेगी? लोगों की जान माल की रक्षा कर सकेगी? यह तब तक नहीं हो सकता जब तक हम उनको कर्त्तव्य-परायणता और ईमानदारी की प्रेरणा नहीं दे सकेंगे। आखिर इस सब की वजह क्या है? कभी सोचा आपने? इस तरह से क्या होना है देश का? कभी सोचा है? सोचने की बात है यह।

खाद्य समस्या के नाम पर हो-हल्ला खड़ा कर दिया गया है। समझ में नहीं आता और इसके आधार पर तरह तरह के नियन्त्रण और कानून बना दिये गये हैं। सरकार ने मोठ को चारे में मानकर इसका निर्यात बन्द कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या मोठ चारा है वास्तव में? तो जब सरकार खुद इस तरह की हरकतें करती है तो दूसरे लोग उसका अनुकरण क्यों नहीं करेंगे? लोगों ने भी तस्कर व्यापार करना शुरू किया। मोठ को मूंग बनाकर बाहर भेजा। जब सरकार ने ऐसा किया तो इसमें भी उनका क्या अपराध है? तो जब स्वयं सरकार में नैतिकता नहीं रहती तो दूसरों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? एक नीति हो देश में। कोई प्रतिबन्ध खाद्यान्नों के आवागमन में नहीं रहना चाहिये। कहा सरकार ने, चने के अलावा सब जा सकते हैं। पर राज्य सरकार ने इसमें भी बेईमानी की। कलेक्टर को पॉवर दे दिये। वह पांच रुपया क्विन्टल लिये बगैर परमिट नहीं देता। इसके अलावा तीन रुपया क्विन्टल अल्प बचत में जमा कराने के नाम पर लेता है कलेक्टर तो इस तरह से पांच और तीन यों आठ रुपया क्विन्टल के भाव से किसान पर बोझा पड़ता है। 150 बोरी एक वैगन में जाते हैं तो इस हिसाब से 1200) का नुकसान एक वैगन पर किसान को होता है। आखिर में जाकर यह बोझा किसान पर ही पड़ता है। तो यह अन्याय है। इससे व्यापारियों को भी परेशानी हो गई है। जिस पर प्रतिबन्ध नहीं है उस पर भी क्लेक्टर के पास जाकर परमिट लेना पड़ता है। यह कब तक चलेगा। समझ में नहीं आता।

तीन वर्ष पहले 64 में राज्य सरकार ने नीति घोषित की कि आधा चना 40-42 के भाव से दो और आधा चना निर्यात करो। पर दुख है कि जिन्होंने समय पर निर्यात किया उनको एन० ओ० सी० कहीं का नहीं मिला। बन्द कर दिया फिर। निर्यात किया उनको लाखों का घाटा हो गया। अन्याय करके आज

(श्री गोरधन सोनी)

तक परमिट नहीं दिया। हालांकि बाद में यहां से चना खरीद कर राजस्थान के बाहर भेजा। पर उनके साथ तो भारी अन्याय कर दिया। क्या वे देश की जनता नहीं है? क्यों नहीं उनकी भी उचित बातों पर ध्यान दिया जाता। राज्य सरकार को यह समझना चाहिए कि सब उनकी प्रजा है। सबके साथ न्याय होना चाहिए।

आज के 3 साल पहले राज्य सरकार ने हमेशा यह घोषणा की कि व्यापारी भाव बढ़ा देते हैं इसलिये भावों में तेजी आ जाती है। इसलिये सरकार ने एक लाइसेंसिंग आर्डर 1964 में लागू किया जिसके आधार पर आज व्यापारी लोग गुलामी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। उस आर्डर के तहत इन्सपेक्टर उनका स्टाक देखते हैं और स्टाक के अनुसार यदि एक बोरी बढ़ गयी या एक बोरी घट गयी तो इन्सपेक्टर उस व्यापारी को परेशान करता है। उस आर्डर के तहत गुड़ का भाव, बाजरे का भाव और दूसरी दूसरी चीजों का क्या भाव है वह लिखना पड़ता है और कोई स्टाक में माल नहीं और अगर व्यापारी अपनी उस लिस्ट के ऊपर उसके आगे कुछ नहीं लिखता तो इन्सपेक्टर यही कहकर परेशान करता है कि इसके आगे निल क्यों नहीं लिखा। और कुछ नहीं तो इसी तरह की छोटी छोटी बातों पर मुकदमे बन जाते हैं। यह और कुछ नहीं बल्कि एक तरीका है रिश्वत लेने का और खाने का। आप व्यापारी को कोई रेट से बाजरा नहीं देते, बाजरे पर किसी प्रकार का कोई कन्ट्रोल नहीं है और हो सकता है कि उस व्यापारी के पास बाजरे की बोरी दो बोरी कम हो तो इन्सपेक्टर उनसे इसी बात पर पैसा खा जाता है कि तुमने इस लिस्ट के अन्दर सही क्यों नहीं लिखा। इस तरह से लोगों के साथ न्याय नहीं हो सकता।

भावों की लिस्ट में मान लीजिए कि गेहूं के भाव 100 से 110 के लिखे हुए हैं तो ग्राहक को क्या पता कि कौन सा कौन सा गेहूं है और यह तो इन्सपेक्टरों की व्यापारियों को परेशान करने की बात हो गयी। तारीख बदलने के मामले में परेशान कर सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर परेशान कर सकते हैं। राज्य सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए।

उसके बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष समय नहीं लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने 10 मिनट लेने का कहा था 20 मिनट तो ले लिए।

श्री गोरधन सोनी : 2 मिनट।

हालांकि कुछ महत्वपूर्ण मामलों के बारे में कहना चाहता हूं फिर भी राज्य सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि जो लेवी लेने का अधिकार निगम को दिया है उसका बड़ा भारी दुरुपयोग होता है। निगम जनता, किसान और सरकार के बीच में ऐसा हाथी हो गया है कि जिसमें धन का भारी दुरुपयोग हो रहा है। मैं निवेदन करूं कि 50 रुपया क्विंटल लेवी का किसानों को बाजरे का देना पड़ता है जब कि मार्केट में 60 रुपया क्विंटल का भाव है तो 10 रुपये क्विण्टल का तो किसानों को पहले ही नुकसान

(श्री गोरधन सोनी)
होता है फिर निगम क्या करता है कि 10 रुपया क्विण्टल का काटा काटता है। 10 रुपये तो नहीं लेकिन 7 रुपये के करीब काटा का काटता है। तो 7 रुपये काटा काटने का मतलब यह है कि 14 रुपये सैंकड़े का काटा कटा। इतना बड़ा जुल्म किसानों के ऊपर निगम के द्वारा किया जाता है। यह किसानों का हित करने वाले क्या किसानों की तरफ ध्यान नहीं देंगे? उसके बाद में ज्वार और मक्का का बाजार में 47½ रुपये क्विण्टल का भाव है और 2-3 रुपया का काटा काटते हैं तो 45-46 लेते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी निगम को बेचने को कहा जाये तो बाजरा 60 रुपये से कम नहीं बेचेंगे। इस तरह से 15 रुपये क्विंटल निगम निगल जायगा। आज ज्वार 48-50 रुपये बाजार में है तो निगम इससे ज्यादा में ही बेचेगा। इसका मतलब सीधे, सीधे उपाध्यक्ष महोदय, यह है कि जनता को कम और सस्ते भाव से अनाज नहीं मिलेगा। अगर इस साल फसल अच्छी है तो उस हालत में भाव मन्दे रहे तो निगम में जो माल रहा उसका नुकसान किस को होगा? तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से किसानों को आम जनता के वसूल किये हुए टैक्स से निगम को लेवी का अधिकार देना एक भारी अन्याय है और इससे जनता को एक करोड़ की हानि होगी।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि इस सरकार में पक्षपात और भ्रष्टाचार का महान बोलबाला है। कोई क्षेत्र नहीं है कि जिसमें यह भ्रष्टाचार और पक्षपात न हो। मैं आगे निवेदन करूंगा कि जो मेरे चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने अन्याय करने में कोई कसर नहीं रखी। नगरपालिका के प्रशासक भी मेड़ता में थे। उन्होंने एक व्यक्ति को 275 गज जमीन सिर्फ 50 रुपये में दी। और नीलाम करके दी और उसके बाद में वैसे ही सौदेबाजी करके बाकी की जमीन 5 रुपये गज में दे दी गयी। इस तरह से नगरपालिका को 18 हजार रुपये का नुकसान हुआ। तो मुझे दुख है कि इस प्रकार का अन्याय करने वाले अधिकारी को ए० डी० एम० नागौर बना दिया जाता है। क्या राज्य सरकार की आंखें खुलती हैं? क्या राज्य सरकार नहीं जानती कि कौन भला है और कौन बुरा है? अगर इस तरह से अन्याय को प्रोत्साहन दिया गया तो इस देश का भविष्य अन्धकार मय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही कहूंगा कि अगर सरकार चाहती है कि देश में न्याय रहे तो उच्चस्तर पर ईमानदारी लानी होगी और भ्रष्टाचार मिटाना होगा और पक्षपात के आधार पर जब तक यहां की कार्यप्रणाली नहीं बदलती है तब तक लोगों को सुख नहीं मिल सकता। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

मैं इतना कहने के बाद अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासहाय !

श्री गंगासहाय (कठूमर सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के गत सत्र में दिये हुए अभिभाषण को और इस सत्र में भी दिये गये अभिभाषण को दोनों को ही पढ़ा है और उसमें आरम्भ से लेकर अंत तक यही पाया है कि उसमें आकड़े ही आंकड़े हैं। कहीं कृषि के हैं, कहीं छात्रवृत्ति के आंकड़े हैं और कहीं लेवी योजना के हैं। तो इस प्रकार पूरे आंकड़े ही आंकड़े हैं। पिछली बार छात्रवृत्ति के आंकड़े दिये गये थे और इस बार छात्रवृत्ति के स्थान पर भूमिहीनों को जमीन दिये जाने के बारे में आंकड़े हैं। यह बात देखने में आई है कि न तो राज्यपाल महोदय ने और न वित्त मंत्री महोदय ने एक भी आंकड़ा दिया जिसमें यह बताया हो कि राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने लोग पढ़ते हैं, और कितने शिक्षित होकर निकलते हैं और कितने लोगों को सरकारी नौकरी पर लगाया गया ? ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं और न समाज कल्याण विभाग के पास ही यह आंकड़ हैं। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं और इसीलिये सारे अपाइन्टमेन्ट्स में भयंकर भेदभाव बरता जाता है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देता हूं। नवम्बर 67, में आपके पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टर्स की भर्ती हुई और उसमें विभागीय और गैर विभागीय उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे वह लिखित प्रश्नों के उत्तर में और दौड़ भाग में सर्वप्रथम भी आये लेकिन उनको लेने में उपेक्षा बरती गयी है और 68 में से एक भी अनसूचित जाति का सदस्य नहीं लिया गया।

दूसरा प्रश्न यह है कि यह सरकार वास्तव में देखा जाये तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को अन्धेरे में रखे हुए है……

श्री खेतसिंह (उप-मंत्री, गृह): अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सलेक्शन हुआ है उसमें 2 तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं और 3 शिडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं।

श्री परसराम गंगाराम : कितने में से ?

श्री खेतसिंह : टोटल 25 हैं।

श्री गंगासहाय : यह नवम्बर 67 की बात कर रहा हूं। यह तो अभी की बात है।

श्री परसराम गंगाराम : 25 में से यह अनुपात कितना है $12\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट के हिसाब से ?

श्री उपाध्यक्ष : 20 पर्सेन्ट।

श्री खेतसिंह : कभी धन्यवाद तो देना सीखा करो।

श्री दुर्गालाल बादवार : पात्र, कुपात्र देखते हैं।

श्री गंगासहाय : जब से यह सरकार बनी है मैं दखता आया हूं कि हरिजनों की घोर उपेक्षा की गयी है। मैं भी छात्र था। मैंने मंत्रियों के दरवाजों को खटखटाया पर एक को भी छात्रवृत्ति नहीं मिली। इतना ही नहीं कहता अभी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हजारों दरख्वास्ते पड़ी हैं लेकिन एक को भी छात्रवृत्ति नहीं दी गयी। मेरी तो मान्यता है कि यह समाज

(श्री गंगासहाय)
कल्याण विभाग शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को धोखा देने के लिए रखा गया है। यह नारा जो भेदभाव को मिटाने का दिया जाता है यह एक धोखा मात्र है। अलग कुए निर्माण करके छुआछूत के भेद को बढ़ाना है।

दूसरे उनकी अलग बस्तियां बसाई जाना इस बात का द्योतक हैं, प्रमाण हैं। तीसरे, अलग होस्टल्स उनके चलाये जा रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण हैं। मैं और भी प्रमाण देना चाहता हूं कि भेदभाव का नाम किस तरह से मिटाया जा रहा हैं। इसका एक प्रमाण मिलता हैं गत आम चुनावों में जनता जनार्दन और समाज ने यह निर्णय किया जिसका परिणाम यह निकला कि 31 सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस के विरोध में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग जीते। इसका सुखाड़िया जी की उस खाई को पाटने का उद्देश्य नहीं था, अगर वह खाई पट गई, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हमारे विरुद्ध हो जायेंगे तो हम कुर्सियों पर नहीं बैठ सकेंगे इसलिए षडयन्त्र रचा गया कि इन गरीब लोगों को नाजायज तरीके से दबाया जाय और उसमें वे सफल सिद्ध हो गये। मैं बताना चाहता हूं उन विधायकों को भी कि यह अनुसूचित समाज उनको कभी क्षमा नहीं करेगा। आने वाला इतिहास बतलायेगा कि उन लोगों ने अपने समाज के साथ धोखा किया हैं, गद्दारी की हैं और उनसे बदला लिया जायगा।

भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में आकड़े दिये गये हैं कि एक लाख एकड़ भूमि नहरी क्षेत्र में दी जायगी। पिछली बार यह तय किया गया था, मुझे ऐसे समाचार मिले हैं, ऐसी सूचना मिली हैं कि 25 बीघा प्रत्येक परिवार को दी जायगी और उसका केवल 7 हजार रुपया तय किया गया था, लेकिन आज उस क्षेत्र में भूमि देने की जो व्यवस्था की गई हैं वह 15 बीघा प्रत्येक परिवार के हिसाब से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दी जायगी और उसकी कीमत 12 हजार रुपया एकड़ उठाना चाहते हैं। इस हिसाब से मैं मानकर चलता हूं कि कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्ति उस जगह जाकर जमीन खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। पांच परसेंट उसका पहले जमा करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उस जगह शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक भी व्यक्ति नही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सहकारिता के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं। मेरे ही क्षेत्र में सहकारिता के सम्बन्ध में जितना भी प्रचार या प्रसार किया जा रहा है वह जितना बढ़ता जाता है उतना ही असफल होता जा रहा है। अलवर में करीब 27 सहकारी समितियां बुनकरों की हैं मगर आज एक भी सहकारी समिति चालू नहीं है। सरकार से बराबर निवेदन किया गया और मैं अधिकारियों से भी मिला, लेकिन आज तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया कि यह कारण क्या है कि ये सोसाइटियां बन्द पड़ी हैं।

इसी प्रकार से उपभोक्ता भंडार नं० 9, अलवर में 20 हजार का घोटाला था लेकिन उस घोटाले की जांच नहीं की गई। जब वह समस्या आई तो कुछ पैसा

(श्री गंगासहाय)

जमा करा दिया गया और आज तक कुछ पैसा बकाया पड़ा है। सहकारी समिति की बैठक हुई तो उसमें आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण किया गया और उसमें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन न तो केस पुलिस में दिया गया, न पैसा जमा कराया गया। इसका कारण यह लगता है कि वहां के मैनेजर सहकारी मंत्रीजी के भानजे होते हैं।

दूसरा प्रश्न सहकारी भूमि बन्धक बैंक के सम्बन्ध में है इसमें करीब करीब डेढ़ दो साल लोन लेने में लग जाते हैं। पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और सोसाइटीज के रजिस्ट्रार इन सबसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इसमें डेढ़ दो साल लग जाते हैं और रिश्वत दिये बिना कोई कार्य होता नहीं है। उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की घोर उपेक्षा की जाती है। हमारे यहां 3-4 व्यक्तियों के बीच में भूमि है और वे उस पर लोन लेना चाहते हैं तो उनको दिया जाता नहीं। उनसे प्रश्न किया जाता है कि यह भूमि एक आदमी के नाम नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की चीजों को दूर करने के लिए एक पास बुक बना दी जाय और उसमें सारी बातें हों कि किस किस्म की भूमि है। उसको लेकर वह बैंक में जाय और पैसा ले आये। उससे जो कि बीच की इतनी एजेन्सियां हैं वे खत्म हो जायं।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा कि कठूमर क्षेत्र में, जो अलवर का पूर्वी क्षेत्र है और भरतपुर से मिला हुआ है, बाढ़ के कारण से हरिजनों के घर गिर गये। मैंने सरकार का इस ओर भी ध्यान दिलाया लेकिन उन हरिजनों को सहायता के नाम से एक पैसा भी नहीं दिया गया जब कि भरतपुर के हरिजनों को 100-200 रुपये दिये हैं जिससे वे झोपड़ियां बना सकें।

इतना ही कहते हुए मैं निवेदन करूंगा शिड्यूल्ड कास्ट्स के भाइयों से कि उनको अपनी शक्ति का परिचय देना है और अपने अस्तित्व का परिचय देना है। उनका संगठित होकर अपनी शक्ति को बता देना चाहिए ताकि उनके अधिकार का संरक्षण हो सके और अपने अधिकारों को मनवा सकें और सरकार का पूर्णतः विरोध करें और इस धन्यावद प्रस्ताव का विरोध करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं दोनों मंत्रीजी को और जो एक उप-मंत्रीजी विराजमान हैं उनको प्रणाम करता हूं कि 36 में से आखिर ढाई तो यहां मौजूद हैं। इसके बाद जो दोनों तरफ थोड़े से सदस्यगण विराजमान हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। यहां पर राजस्थान के करीब करीब कई हिस्सों से लोग आये होंगे तो वे अपने मन में क्या सोचते होंगे कि जब इतने दिनों के बाद असेम्बली चलती है और थोड़े दिनों के लिए चलती है फिर भी दिन भर सदस्यगण नहीं बैठे रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो दूसरों को अपने कर्तव्य का पालन करना किस तरह से सिखायेंगे? क्या कारण है कि विरोधियों का इतनी बड़ी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
संख्या में होने पर भी दूसरे पक्ष पर असर नहीं होता ? तो हम में दोष जरूर है।

श्री उपाध्यक्ष : किस पक्ष के लिए असर नहीं होता है ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : विरोधी पक्ष वालों की बात कहता हूं। हम लोग सत्ता पक्ष पर असर नहीं डाल सकते । अपन गुरु के स्थान पर हैं । फिर भी क्या कारण है इसके लिए हम लोग चिन्तन नहीं करते हैं । कहीं तीसरे दर्जे में आकर प्रथम श्रेणी का किराया तो नहीं चार्ज करते ? अगर करते हैं तो जब हम भ्रष्टाचार करते हैं तो दूसरों को भ्रष्टाचार से कैसे रोक सकते हैं ? बिजली पर 5 रुपया प्रति माह देते हैं लेकिन चूल्हे जलते हैं बिजली के। क्या अपने घर पर भी बिजली के चूल्हे जलाते हैं ? हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम गलत और अनैतिक काम तो नहीं कर रहे हैं। जब हम स्वयं गलत काम करेंगे तो दूसरों को नहीं रोक सकते। इस बारे में मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक बच्चा था। उसको डिसेन्ट्री हो रही थी। उसकी मां ने बहुत चाहा कि उसकी डिसेन्ट्री जल्दी ठीक हो लेकिन बच्चा मानता नहीं था, उसको गुड़ खाने का शौक था। मां ने देखा कि मेरी बात नहीं मानता है तो सबसे बड़ा गुरु है उसके पास ले जाऊं। वह उसको गुरु के पास ले गई। गुरु ने कहा कि महीने भर बाद आना। बच्चा गुड़ खाता रहा और डिसेन्ट्री चलती रही। एक महीने के बाद उसको वह ले गई वापिस तो गुरुजी ने कहा उस बच्चे से कि गुड़ मत खाया करो। मां ने उनसे कहा कि यह बात तो आप उसको एक महीने पहले ही कह सकते थे। गुरुजी ने कहा कि पहले मुझे भी गुड़ का शौक था लेकिन अपने शिष्य को ठीक करने के लिए पहले मुझे गुड़ का त्याग करना पड़ा। जब मैंने देखा कि अब मैं इस स्थिति में हूं कि उससे कह सकूं कि तू गुड़ मत खा तो इसका असर हुआ। अगर हमारा आचरण ठीक होगा तो शासन करने वाली पार्टी पर हमारा असर होगा अन्यथा नहीं होगा। इसलिये मैंने यह संक्षेप में कहा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे कोई चीज अच्छी लगी तो वह यह है कि आज कम से कम यह सरकार शराबबन्दी की ओर थोड़ी बहुत तो आगे बढ़ी है। जहां एक ओर सभी सरकार, चाहे वे कांग्रेस की हों चाहे गैर कांग्रेसी हों, शराबबन्दी से मुकर रही है और गांधीजी की छाती में छुरा घोंप रही हैं, वहां दो सरकारें ऐसी है जो अडिग हैं। एक तो है गुजरात और दूसरी अन्नादुराई की सरकार, जिसने कभी गांधीजी का नाम भी नहीं लिया वह है मद्रास की सरकार। दूसरी तरफ जो शराबबन्दी की ओर बढ़ रही है वह है राजस्थान सरकार। इसलिये मैं सुखाड़िया साहब को और आबकारी मंत्रीजी को, जो वित्त मंत्रीजी भी हैं, और उनके सब साथियों को, जो 36 की बड़ी भारी टीम है, उन सबको बधाई देता हूं कि इस ओर वे बढ़े तो हैं। आपने गारन्टी सिस्टम को खत्म किया 25 किलो लीटर तक ही सही, लेकिन गुजरात के आस पास के पांच जिलों में जो शराबबन्दी की है और 18 वर्ष के बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे हैं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
उनके लिये शराब वर्जित की है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन इस 18 वर्ष वाली घोषणा से मेरे दिल पर बड़ी चोट पड़ी कि अगर 18 वर्ष के लड़के शराब पीयेंगे तो कानूनी जुर्म होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के बाद इतने वर्षों में ऐसी स्थिति आ गई कि 18 वर्ष और इससे कम आयु के लड़के भी शराब पीने लग गये। इससे बढ़कर कलंक और शर्म की और क्या बात हो सकती है। एक दफा किसी का पैर तोड़ दें उसके बाद उसकी सेवा करके उसका पैर जोड़ने का काम करें। इसी तरह से शराब आपने इतनी बढ़ाई कि आज यह स्थिति आई। 18 वर्ष की आयु वाले कानून से तो बेहतर यह होता कि कोई राज्य कर्मचारी चाहे चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी क्यों न हो, वह यदि शराब पीयेगा तो नौकरी से अलग कर दिया जायगा, यह कानून होता तो शराब का चलन इतना नहीं होता क्योंकि ऐसे लोगों के बच्चे शराब पीना नहीं सीखते। आज शराब का चलन जितना बड़े आदमियों में है उतना दूसरों में नहीं है। जितने आई० ए० एस० इकट्ठे होते हैं वे शराब की बोतल खोले बिना नहीं बैठते हैं। उनमें से जो लोग नहीं पीते हैं उनको वे लज्जित करते हैं। ऐसे लोगों को तुरन्त नौकरी से बर्खास्त करना चाहिये। आप कह सकते हैं कि आई० ए०एस० को डिसमिस करना हमारे हाथ में नहीं है। आई० ए० एस० आपके हाथ में नहीं है तो दूसरे ऑफिसर तो हैं। आपको ऐसा कानून लाना चाहिये कि शराब पीने वालों को बर्खास्त कर सकें। अगर दूसरे लोग आपके कब्जे में आ जायेंगे तो आई० ए० एस० भी आ जायेंगे.....

श्री भवरलाल : जो मंत्री पीते हैं उनका क्या होगा ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं अब दूसरी बात कहता हूं। राज्यपाल को धन्यवाद देने के प्रस्ताव से मैं भी सहमत होना चाहता हूं और मेरा चिन्तन चलता है कि जो जैतपुर और अनवासा बंध मंजूर किये थे क्या वे बन गये ? बिजली के खंभे जो डेढ़ साल पहले भीलवाड़ा से बिजोलिया तक लगे थे क्या उन पर लट्टू लग गये ? क्या कुओं को बिजली मिल गई ? क्या हमारा नैतिक स्तर ऊंचा हुआ है ? क्या दूध बेचने वाला दूध में पानी नहीं मिलाता है ? क्या व्यापारी लोग मिलावट नहीं करते हैं ? 20 वर्षों में देश की क्या हालत हो गई है इस बारे में मैं चिन्तन करता हूं तो वेदना होती है और धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं हो सकता।

रिश्वत का आज क्या हाल है ? रिश्वत को तो मैं अब रिश्वत नहीं कहता। इसके लिये मैंने शिष्टाचार शब्द काम में लिया है क्योंकि जब 100 में से 5 लोग ही रिश्वत लेने वाले हों तो रिश्वत कहें लेकिन जब 100 में से 95 रिश्वत लेने वाले हैं तो उसको शिष्टाचार ही कहना चाहिये। रिश्वत की शिकायत भी किसके पास करें ? जब पटवारी की शिकायत करते हैं तो तहसीलदार भी रिश्वतखोर है और उसकी शिकायत करते हैं तो ऊपरवाला भी रिश्वतखोर है तीनों ही पोले हैं हुक्का भी पोला, चिलम भी पोली और नली भी पोली--तीनों ही पोले हैं तो क्या करें ? जब यह हालत देखी तो लोगों ने मजबूर होकर कहा :

"हाय आज ई राज री कांई केऊं बात,
टको फेंकायो होवे तो दिनने करदे रात"

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
टका फकने वाला हो तो रात को भी दिन कर दे ।

आज धन बचाने का अभियान चल रहा है लेकिन आज लोगों का विश्वास आप में नहीं रहा है । अगर लोगों का विश्वास आपमें होता तो इधर आप घोषणा करते और उधर लोगों का क्यू धन जमा कराने वालों का लग जाता । लेकिन लोग कहते हैं कि राज्य में गया हुआ धन उसी तरह से वापिस नहीं आता जिस तरह तीन जगह गई हुई चीज वापिस नहीं आती । जैसे मरघट में गई हुई लकड़ी वापिस नहीं आती । इसी तरह कब्रिस्तान में गया हुआ पत्थर वापिस नहीं आता, इसी तरह से अंधा पूत का मुंह नहीं देखता । लोग कहते हैं कि इसी प्रकार राज्य में गया हुआ रुपया भी वापिस नहीं आता । इस हद तक आपने अपनी प्रतिष्ठा खोई है ।

आपने अल्प बचत के लिये 500) का इनाम रखा है । जो पंचायत समितियां ज्यादा रकम इकट्ठी करेंगी उनको भी इनाम मिलेगा । क्या पंचायत समितियां धन इकट्ठा कर सकती हैं ? मैं कहूंगा कि पंचायत समितियों के प्रधान घर घर घूम कर अल्प बचत अभियान का समर्थन करें तो यह सार्थक हैं ? लेकिन वे तो तहसीलदार और पटवारी के सहारे से जबरन लेना चाहते हैं ।

पटवारी कहते हैं कि अल्प बचत का रुपया दो नहीं तो सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब आते हैं या कलेक्टर साहब आते हैं आदि 2 (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मुझे कुछ समय मिलेगा ? आप फरमा दीजिये, मैं अपनी बात पांच मिनट में खत्म कर दूंगा ।

तो कलेक्टर साहब आते हैं या सुपरिन्टेंडेंट साहब आते हैं इस तरह का डर दे कर पैसा वसूल करते हैं तो यह बिल्कुल अनुचित है । आपको व्यापार करना नहीं आता, आप 75 रुपये के भाव से गेहूं खरीदते हैं तो भी आपको नुकसान, आपको रोडवेज में टोटा । गाड़ियां रास्ते में पंक्चर हो जाय तो गाड़ी वहीं रुक जायेगी । हम कहें कि स्टेपनी क्यों नहीं लगवाते तो कहते हैं कि मिलती ही नहीं । हमने कहा कि कम्प्लेंट बुक लाओ तो शिकायत लिख दें तो बोले कि वह भी नहीं है । तो आपको व्यापार की पद्धति नहीं मालूम । प्राइवेट गाड़ियां वाले कमाते हैं लेकिन आपको रोडवेज में नुकसान पड़ रहा है । रुपया कैसे कर्ज लिया जाय इसकी पद्धति आपको नहीं मालूम तो कलेक्टर और सुपरिन्टेन्डेंट का नाम बताया जाता है, यह कोई तरीका नहीं पैसा बचवाने का । और लेते किनसे हैं ? जिनके पीठ पर कपड़ा नहीं, जिनके पास बच्चों को खिलाने के लिये पैसा नहीं, जिनके पास रहने को मकान नहीं, उनसे लेते हैं । और जिनके बच्चे बादाम खाते हैं उनसे नहीं लेते । और किस काम में लायेंगे ? तो कहते हैं कि विकास के काम में लायेंगे । अरे बाबा, जो विकास के काम पहले ही मन्जूर शुदा पड़े हुए हैं पहले उनको तो करो ।

सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं, हमने कहा कि डामर करो तो कोई नहीं सुनता । हां, इन गड्ढों से एक फायदा तो है । हमारे यहां पांच डिस्पेन्सरीज हैं उनमें से चार में कोई डाक्टर नहीं, तो जब किसी को डिलीवरी करवाने के लिये ले जाते हैं तो बिना डाक्टर के ही उन गड्ढों की वजह से रास्ते में ही

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बच्चा हो जाता है। तो इन गड्डों को ठीक करने के लिये पैसा नहीं, लेकिन इन 36 मंत्रियों की फौज यहां बिठा रखी है उनके लिये पैसा है। इन 36 में से एक से मैंने पूछा कि आप कहां रहते हो? तो बतलाया कि किराये के मकान में रहता हूं। मैंने पूछा कि कितना किराया देते हो, तो कहा कि 450 रुपये महीना। अब वे राज्य मंत्री भी नहीं हैं, न डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनसे भी नीचे हैं। तो जब मैंने सुना कि 450 रुपये महीना किराया देते हैं तो मैंने कहा कि मेरे यहां ही ठहर जाया करो तो कम से कम 450 रुपये की तो बचत हो जायगी।

हमारे मुख्य मंत्री इस वक्त नहीं हैं, होते तो मैं उनसे कहता कि राज्यों में सबसे अधिक अगर किसी ने राज्य किया है तो वह मुखाड़ियाजी ने किया है। वे चाहें तो गलत काम को प्रोत्साहन न दें तो उनकी वाहवाही हो जाय। आपकी 232 पंचायत समितियां चल रही हैं यानि विकास खंड चल रहे हैं। मैंने कई बार कहा है ये विकास खंड नहीं हैं, विनाश खंड हैं। सबसे ज्यादा अगर इन पंचायत समितियों ने कोई नुकसान किया है तो वह गांवों में से इनीशियेटिव खत्म किया है। पहले गांवों में इनीशियेटिव था। कोई भी काम आता था तो गांव वाले खुद कर देते थे। मंदिर, मस्जिद, धर्मशाला या बावड़ी बनानी होती थी, तो खुद बनवा देते थे। पर आज क्या होता है? आज हर बात के लिये सरकार का मुंह देखते हैं बी० डी०ओ०से पूछते हैं कि इस काम के लिये सरकार से कितना रुपया मिलेगा? और फिर प्रधान बता देता है कि ढाई रुपया दिखा लो और डेढ़ रुपया देकर बकाया एक रुपया श्रमदान में जमा कर लो। यह प्रोसीजर हुआ है। अगर पंचायत समितियां बन्द हो जायं तो आज सरकार की करोड़ों रुपयों की बचत हो सकती है। आज इस से बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमको अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता है।

मुझ से एक मंत्रीजी ने कहा कि पाउडर मिल्क का क्यों विरोध करते हो? मैंने उनसे कहा कि आप ब्राह्मण हो, किसी के मौसर पर आप अपने बच्चों को जीमने क्यों नहीं भेजते? तो जिस तरह आप अपने बच्चों को वहां नहीं भेजते उस तरह मैं बच्चों को इस पाउडर मिल्क के लिये जो धर्मादे में दिया जाता है, देने के विरुद्ध हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बैठक का समय पांच मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो इस तरह से सारी स्थिति है।

आज फेमिली प्लानिंग का क्या हो रहा है? आपकी जीपें इधर उधर दौड़ रही हैं, तो आप हिसाब लगाइये कितना नुकसान हो रहा है। गृह उद्योग को एक तरफ से आप मदद देंगे और दूसरी तरफ उसके सामने मिल खड़ी कर देंगे। कहते हैं कि आजादी आई है, लेकिन किस के लिये? आज स्थिति पहले से भी बदतर है।

आजादी आई भली, सादर देऊं धोक,
वे गोरे, ये धोलिया, अन्तर है अतरोक।

इसके अलावा कोई अन्तर नहीं। इसलिये हम सोचें और समझें। मैं विरोधी पक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हम भी जिम्मेदार हैं। द्रोपदी के चीर हरण में वे भी जिम्मेदार थे जिन्होंने वह सब चुपचाप बैठे बैठे देखा। अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य चाहते तो उस बात को रोक सकते थे। तो वे भी दोषी हैं। हम आज कांग्रेस के गलत कामों को रोकना चाहते हैं ....

(5 म० प०)

लेकिन यह ताकत तभी आयेगी जब कि हमारे आचरण शुद्ध होंगे। हमारे खुद के आचरण यदि शुद्ध नहीं हैं तो कोई फर्क नहीं पडता। जिसको एक किलो शक्कर मिलती है वह भी ब्लेक करता है और जिसको एक बोरी शक्कर मिलती है वह भी ब्लेक करता है तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। 5 रुपया बिजली का मिलने पर 100 रुपये की बिजली खर्च करें और ये 1,000 की खर्च करें, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। कई सदस्य थर्ड क्लास में ट्रेवल कर के फर्स्ट क्लास का चार्ज करते हैं हालांकि हम इसके लिये एन्टाइटल्ड् हैं कि किसी क्लास में आयें जायें, फर्स्ट क्लास का चार्ज कर सकते हैं पर मैं तो उसे भी अनैतिकता ही मानता हूं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप ध्यान रखिये।

इसमें लिखा है कि नशाबन्दी में हम विश्वास करते हैं पर यह कहीं नहीं लिखा है कि गांधी शताब्दी, 2 अक्टूबर, 1969 तक पूर्ण नशाबन्दी कर देंगे। उस महात्मा के शब्दों को याद करो वो कहता है, मैं शराब को एक मिनिट के लिये भी नहीं देख सकता चाहे बच्चों की शिक्षा भी बन्द करनी पड़े तो हम बन्द करेंगे पर शराब से जो पैसा मिलता है वह नहीं लेंगे, शराब को बन्द करेंगे। शराब के बारे में उसने कहा कि अगर मैं भारत का एक घंटे के लिये डिक्टेटर हो जाऊं तो उस एक घंटे में सबसे पहला काम मैं यह करूंगा कि तमाम शराबखानों को बन्द कर दूंगा बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिये। उसने कहा था शराब चोरी और व्यभिचार की जननी है। जिसने इतना कहा, उस ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं।

राजस्थान में अंगूरों की खेती बहुत हो रही है, कहीं राजस्थान वाले ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि 2 अक्टूबर, 1969 को अंगूर की शराब से महात्मा गांधी की मूर्ति को स्नान करायेंगे। अंगूर की शराब का गिलास भर के उसके मुंह से लगा कर कहेंगे कि बूढ्ढे तेरे बाप दादों ने भी अंगूर की शराब नहीं पी होगी, ले पी अंगूर की शराब? यदि ऐसा नहीं है तो आप घोषणा करिये कि 2 अक्टूबर, 1969 तक पूर्ण नशाबन्दी कर दी जायेगी। जो इधर बैठे हैं और उधर बैठे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप पूर्ण नशाबन्दी का संकल्प ले लीजिये।

बस मैं यही निवेदन कर के अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 5 बज कर 5 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 25-1-68 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची देखिये)

Statement showing the number of total power supply failures from the main supply sources in the municipal area of Jodhpur.

Serial No.	Date	Period Hrs.	Minutes	Reasons
1	2	3		4
1	11-1-67	1	08	Reduction of load due to trouble in plant.
2	15-1-67	0	33	—do—
3	20-1-67	2	04	Arranged shut-down.
4	21-2-67	0	40	Reduction of load due to trouble in plant.
5	1-3-67	1	47	—do—
6	10-3-67	1	15	—do—
7	21-3-67	2	17	Line fault.
8	22-3-67	0	55	Reduction of load due to trouble in plant.
9	24-3-67	1	38	—do—
10	25-3-67	1	00	—do—
11	31-3-67	0	45	—do—
12	9-4-67	2	25	—do—
13	10-4-67	0	35	—do—
14	27-4-67	2	40	—do—
15	30-4-67	2	45	—do—
16	9-5-67	0	33	—do—
17	11-5-67	0	43	Line fault.
18	17-5-67	0	55	—do—
19	20-5-67	2	45	Reduction of load due to trouble in plant.
20	21-5-67	0	30	—do—
21	22-5-67	0	32	—do—
22	3-6-67	0	54	—do—
23	4-6-67	3	23	—do—
24	9-6-67	1	05	Line fault.

1	2	3		4
25	14-6-67	0	34	Due to over load.
26	30-6-67	1	34	Line fault.
27	2-7-67	1	40	Reduction of load due to trouble in plant.
28	11-7-67	0	40	—do—
29	12-7-67	0	30	—do—
30	15-7-67	0	40	—do—
31	19-7-67	7	52	Line fault.
32	23-7-67	2	55	Reduction of load due to trouble in plant.
33	24-7-67	0	30	—do—
34	25-7-67	0	30	—do—
35	2-8-67	3	12	Line fault.
36	8-8-67	2	45	—do—
37	11-8-67	1	19	Reduction of load due to trouble in plant.
38	13-8-67	3	20	Arranged shut-down.
39	31-8-67	1	00	Reduction of load due to trouble in plant.
40	4-9-67	1	00	—do—
41	15-9-67	2	20	—do—
42	1-10-67	5	00	Arranged shut down.
43	10-10-67	1	05	Reduction of load due to trouble in plant.
44	18-10-67	2	35	Reduction of load due to trouble in plant.
45	24-10-67	1	00	—do—
46	25-10-67	3	25	—do—
47	27-10-67	1	20	—do—
48	31-10-67	0	45	—do—
49	15-11-67	2	03	—do—
50	1-12-67	0	03	—do—
51	6-12-67	1	45	—do—
52	8-12-67	0	34	—do—
53	9-12-67	0	35	—do—
	TOTAL ..	87	00	

परिशिष्ट 2

(समयभाव के कारण समय में न लिए जाने वाले प्रश्नोत्तर)

ग्राम महनसर की जल प्रदाय की योजना

109. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) ग्राम महनसर, जिला झुंझुनूं की जल प्रदाय योजना किस स्थिति में है ? क्या उक्त ग्राम की जल योजना का सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कितना व्यय होगा ?

(2) क्या जन सहयोग की धनराशि जो 5 प्रतिशत ग्रामवासियों को जमा करानी पड़ती है, राज्य सरकार के खजाने में जमा हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तथा कितने रुपये ?

(3) इस योजना का कार्यारम्भ कब तक हो जावेगा तथा काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

उत्तर

(1) योजना बनाई जा रही है। सर्वेक्षण हो चुका है। योजना की अनुमानित लागत रु० 1.50 लाख है।

(2) जी हां। जमा करानी पड़ती है एक डिमाण्ड ड्राफ्ट 7,165) रु० का दिनांक 17-6-67 को प्राप्त हो चुका है।

(3) योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि के बाद ही योजना का निर्माण कार्य हाथ में लिया जावेगा। तत्पश्चात् साधारणतया एक योजना को पूर्ण करने में धन तथा आवश्यक सामग्री की उपलब्धि पर 2 से 3 वर्ष की अवधि लग जाती है।

केकड़ी अस्पताल की लेडी डॉक्टर के विरुद्ध शिकायतें

110. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है केकड़ी गवर्नमेंट होस्पीटल में नियुक्त लेडी डॉक्टर को वहां करीब नौ साल हो गए हैं ?

(2) यदि हां, तो इनको इतने साल तक वहां क्यों रखा जा रहा है ?

(3) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस लेडी डॉक्टर से स्थानीय जनता काफी तंग है और इनकी कई दफा शिकायत भी की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इनका कई दफा तबादला भी हो गया पर चन्द व्यक्तियों ने इनका तबादला कैंसिल करवा दिया ?

(5) क्या सरकार इनका अति शीघ्र तबादला कर स्थानीय जनता को सुविधा पहुंचायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जनता की मांग पर रखा जा रहा है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, इनका तबादला चार बार किया गया परन्तु जनता की विशेष मांग से रद्द किया गया।

(5) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

ब्यावर के चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन

111. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह बात सही है कि ब्यावर नगर के अमृतकौर चिकित्सालय की एक्स-रे मशीन पिछले 6 माह से खराब हालत में पडी हुई है? यदि हां, तो इसे अब तक क्यों नहीं सुधारा गया?

(2) क्या यह एक्स-रे मशीन सुधारने योग्य नहीं है? यदि हां, तो क्या जनता की असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार अविलम्ब एक नई मशीन का प्रबन्ध करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त चिकित्सालय की मशीन खराब होने पर सुधरवाने भेजी गई थी जो सुधर कर आ चुकी है और आंशिक रूप से कार्य के लिये उपलब्ध है।

(2) मशीन में फिलेमेंट ट्रांसफार्मर इम्पोर्टेड उपलब्ध न होने के कारण उक्त फर्म ने स्वदेशी ट्रांसफोर्मर लगाया है जो हाई वोल्टेज पर काम नहीं कर पा रहा है। उक्त फर्म को अंतिम रूप से पूछा जा रहा कि आया वो इसको पूर्णतः ठीक कर सकेंगे या नहीं। ठीक नहीं होने पर मशीन को बदलने के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम गोठन की जल-प्रदाय योजना

112. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम गोठन (मेड़ता क्षेत्र) की जल प्रदाय योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि वहां कुए पर पम्प का फिटिंग हो चुका है व टंकी का निर्माण भी हो चुका है?

(3) क्या यह सही है कि सिर्फ पाइप लाइन बिछाकर वहां जनता को जल वितरण किया जा सकता है?

(4) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से गोठन की जनता को पानी का कष्ट उठाना पड़ रहा है?

(5) क्या राज्य सरकार स्वीकृत योजनाओं का मामूली काम अधूरा रखकर जनहित की उपेक्षा करने वाले विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कुए पर पम्प का फिटिंग नहीं हुआ है, टंकी का निर्माण हो चुका है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(3) पाइप लाइन बिछाने का कार्य चालू है कुए पर पम्प का फिटिंग होने के बाद ही जल वितरण शुरू किया जा सकेगा ।

(4) जी नहीं ।

(5) साधारणतया एक योजना को पूर्ण करने के लिए धन की एवं सामग्री की उपलब्धि पर लगभग 2 से 3 वर्ष की अवधि लग जाती है । अतः कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बीकानेर अस्पताल में पानी की व्यवस्था

113. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर अस्पताल में पानी की निहायत कमी के कारण रोगियों को जबरदस्त असुविधा होती है ?

(2) क्या यह सही है कि कई बार पीने के लिये तथा स्टरलाइज करने तक के लिये पानी उपलब्ध नहीं होता ?

(3) यदि हां, तो अस्पताल के लिये एक अलग कुए की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । अलबत्ता बीकानेर अस्पताल को उसकी जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा है । इसलिए कभी कभी असुविधा हो जाती है ।

(2) जी नहीं ।

(3) बीकानेर शहर में जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पानी देने की क्षमता बढ़ाने की योजना विचाराधीन है । इस योजना के अन्तर्गत कुछ धनराशि भी स्वीकृत हो गई है । आशा की जाती है कि जल प्रदाय विभाग की यह योजना क्रियान्वित होने पर यह कमी दूर हो जावेगी । अस्पताल के लिए अलग से कुए की व्यवस्था की कोई अभी योजना ना तो आवश्यक है ना विचाराधीन है ।

ग्राम काली बंगा में खुदाई कार्य पर व्यय

114. **श्री लादूराम मुलानिया** (फागी): क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला श्री गंगानगर में काली बंगा गांव में जो पुराने अवशेषों को खुदाई का कार्य आरम्भ किया गया था, उसका आज तक क्या परिणाम निकाला है ?

(2) इस कार्य पर कितना धन खर्च किया गया है और भविष्य में कितनी और धनराशि खर्च की जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) निम्नलिखित परिणाम निकले हैं:–

(अ) पूर्व हड़प्पा कालीन व हड़प्पा कालीन संस्कृति के चिन्ह जिनमें हड़प्पा कालीन बहुत से अवशेष, हड़प्पा कालीन अंकित मोहरें, मृण्मय कलाकृतियां तथा हड़प्पा कालीन भवनों के अवशेष सम्मिलित हैं ।

(ब) वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर उस स्थान या क्षेत्र का काल 2,700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है ।

(पुरातत्व मंत्री)

(2) यह खुदाई भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा हो रही है तथा अभी जारी है। इस कार्य पर अनुमानतः 1 लाख रुपया खर्च हो चुका है। इस कार्य पर किये गये एवं भविष्य में होने वाले वास्तविक व्यय के आंकड़ों का विवरण भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से संबंधित है।

नीम-का-थाना में प्लोट्स की नीलामी

115. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगरपालिका, नीम-का-थाना, मंडी नीम-का-थाना में कोई प्लोट्स सन् 1965 या 66 में नीलाम किये गये थे? अगर हां, तो कुल कितने प्लोट्स किस रेट से किस रेट तक कुल कितनी धनरशि के नीलाम किये गये?

(2) क्या यह सही है कि इनमें से बहुत से प्लोट्स की नीलामी वास्तविक रूप से नहीं की गई और उनका फर्जी रिकार्ड बनाया जाकर म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों ने अपने आदमियों की तरफदारी करके कम कीमत पर नीलाम किया जाना दिखाया?

(3) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई स्वीकृति ली गई और ली गई तो कब?

(4) क्या यह बात सही है कि यह धनराशि किसी भी डेवेलपमेन्ट फण्ड में जमा नहीं हुई?

(5) क्या यह सही है कि गैर कानूनी तौर से उक्त धनराशि को डेवेलपमेन्ट फण्ड में जमा न करके म्युनिसिपल बोर्ड ने इसका दुरुपयोग किया है? कृपया इस समस्त धनराशि का उपलब्धि के बाद का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें जिसमें यह बतायें कि वह किस प्रकार से उपयोग में लाई गई?

(6) क्या यह सत्य है कि उक्त प्लोट की नीलामी गैर कानूनी व अधिकार क्षेत्र के बाहर नगरपालिका, नीम-का-थाना ने की है? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसे निरस्त किया है?

(7) क्या यह बात सही है कि नीलामी के बाद से आज तक खरीद कर्त्ताओं को प्लोट्स का कब्जा नहीं दिया गया है?

(8) क्या इस समस्त मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार व कलेक्टर महोदय, सीकर के पास नीम-का-थाना की जनता से शिकायती प्रार्थन-पत्र प्रस्तुत हुए हैं? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

(सरकार द्वारा प्रश्न स्थगित करने के लिये प्रार्थना की गई)

ग्राम कुरजड़ी के व्यक्ति द्वारा आत्म हत्या

116. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम कुरजड़ी, तहसील नोखा, जिला बीकानेर में दिनांक 29-6-67 को रात्रि में एक व्यक्ति ने कुए में गिरकर आत्महत्या की है?

(2) क्या यह सत्य है कि कुए में गिरकर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति

(श्री चुन्नीलाल इदलिया)

टी० बी० (क्षय रोग) का मरीज था? यदि हां, तो इस व्यक्ति को किस तारीख से दवाई दी जा रही थी?

(3) यह व्यक्ति कभी टी० बी० होस्पीटल में भर्ती रहा है या नहीं? अगर रहा है तो किस समय? तारीख व अवधि बतलाने की कृपा करें?

(4) क्या यह सही है कि बीकानेर के टी० बी० अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा था और क्या यह भी सही है कि यह टी० बी० का मरीज दवाई अपने घर लाकर प्रयोग में ले रहा था? यदि हां, तो इस व्यक्ति को कितनी बार दवाई दी गई?

(5) क्या यह सही है कि इस टी० बी० के मरीज को डॉक्टरों द्वारा सही इलाज न मिलने के कारण ही उसने अपनी आत्महत्या की है? यदि हां, तो क्या सरकार उन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

(6) क्या इस परिवार में और भी कोई टी० बी० के मरीज हैं? यदि हैं, तो कितने और उनके लिए क्या इन्तजाम किया जा रहा है?

(7) उक्त टी० बी० के मरीज की औरत जीवत है या नहीं तथा इस परिवार के कुल कितने सदस्य हैं?

(8) क्या इस टी० बी० से पीड़ित परिवार को राज्य सरकार की ओर से कोई सहायता दी जा रही है? यदि हां, तो कितनी सहायता दी जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां?

(2) जी हां, दिनांक 20-5-66 से टी० बी० क्लीनिक, बीकानेर में उसका इलाज शुरू किया गया था?

(3) जी हां, श्री मूलदास दिनांक 14-12-66 को टी० बी० अस्पताल, बीकानेर में भर्ती किया गया। तथा वह दिनांक 27-1-67 को बिना कारण बताये अस्पताल से गायब हो गया।

(4) जी हां, उक्त मरीज जब अस्पताल में भर्ती था उन दिनों दवा को घर में लाकर प्रयोग करने का सवाल पैदा नहीं होता। अलबत्ता जब मरीज टी० बी० क्लीनिक में जेरे इलाज था दवाई घर लाकर प्रयोग में ले रहा था। उक्त मरीज को जबकि वह टी० बी० क्लीनिक में चिकित्सा करवा रहा था (20-5-66 से 12-12-66 तक) छः दफा दवाई दी गई।

(5) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) उसके परिवार का अन्य कोई सदस्य टी० बी० का मरीज नहीं है।

(7) उसकी प्रथम स्त्री की मृत्यु हो चुकी है। जानकारी करने पर बताया गया कि उसने दूसरी स्त्री को अपने घर डाल रखा था केवल एक 11 वर्ष की लड़की परिवार में और है जो इस स्त्री के पहले पति से पैदा हुई बताई जाती है।

(8) जी नहीं।

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न सं० 35 की सूची देखिये)

तरुण कलाकार परिषद को दी गई आर्थिक सहायता का ब्योरा

क्रम सं०	वित्तीय वर्ष	रकम जो संस्था को दी गई	रकम दिये जाने का विषय
1	2	3	4
1	1958-59	4,000/-	अखिल भारतीय संगीत गोष्ठी हेतु।
2	1959-60	1,500/-	ड्रामा फेस्टीवल आयोजित करने हेतु।
3	1959-60	500/-	संगीत वाद्य खरीदने हेतु।
4	1960-61	500/-	द्वितीय ड्रामा फेस्टीवल हेतु।
5	1960-61	3,000/-	संगीत गोष्ठी के आयोजनार्थ।
6	1960-61	2,000/-	तृतीय संगीत गोष्ठी के आयोजनार्थ।
7	1961-62	2,000/-	तृतीय ड्रामा फेस्टीवल।
8	1961-62	500/-	क्षेत्रीय संगीत प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु।
9	1962-63	1,500/-	ड्रामा फेस्टीवल।
10	1962-63	500/-	क्षेत्रीय संगीत प्रतियोगिता।
11	1963-64	400/-	क्षेत्रीय संगीत प्रतियोगिता
12	1963-64	1,200/-	ड्रामा फेस्टीवल ।
13	1964-65	400/-	क्षेत्रीय संगीत प्रतियोगिता।
14	1965-66	400/-	क्षेत्रीय संगीत प्रतियोगिता।
15	1965-66	1,000/-	श्रुति मण्डल के कार्यक्रमों के हेतु।
16	1965-66	1,200/-	नाटक प्रतियोगिता।
17	1966-67	600/-	क्षेत्रीय संगीत प्रतियोगिता।
18	1966-67	500/-	ड्रामा प्रोडक्शन।
19	1966-67	1,800/-	फुल लेन्थ ड्रामा प्रतियोगिता।

शुद्धि—पत्र

(दिनांक 24 जनवरी, 1968)

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
5	7	चार ह ।	चार हैं ।
5	अन्तिम से 7	दीजिय ।	दीजिये ।
14	11	श्री पनसिह	श्री पनैसिह
17	अन्तिम से 9	पीन क	पीने के
42	,, 9	टक्निकल	टेक्निकल
43	,, से 15	श्री प्रमसिह	श्री प्रेमसिह
72	3	भू गृहादि	भू गृहादि
73	शीर्षक	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल	श्री अध्यक्ष
145	अन्तिम से 18	चम्बर में	चेम्बर में
168	,, से 13	श्री पनमचन्द	श्री पूनमचन्द
179	,, से 15	जन	जैन
181	,, से 9	पर्सेन्टे	पर्सेन्ट
182	1	मिटान क लिए	मिटाने के लिए
182	13	स कों	सड़कों
183	12	नको	उनको
189	अन्तिम से 11	पड़त	पड़ते
189	,, 2	क्ष	क्षेत्र
207	अन्तिम से 5	दया	दिया ।
210	,, से 18	नहीं	
214	,, से 8	पर्ष	वर्ष
214	अन्तिम	अन्याय	न्याय
223	2	पसा	पैसा
223	9	होत	होते हैं
229	1	फकने	फेंकने
232	4	शम	शर्म